

विषय-सूची

<u>अध्याय – 1</u>	: <u>उद्देश्य कथन और बुनियादी विशेषताएं</u>	<u>2</u>
<u>अध्याय – 2</u>	: <u>पिछडा क्षेत्र विकास निधि की आयोजना प्रक्रिया</u>	<u>6</u>
<u>अध्याय – 3</u>	: <u>नियोजन और क्रियान्वयन के लिए पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का विकास</u>	<u>7</u>
<u>अध्याय – 4</u>	: <u>पिछडा क्षेत्र विकास निधि को चालू करना</u>	<u>12</u>
<u>अध्याय – 5</u>	: <u>संविधान के भाग 9 एवं 9ए के तहत शामिल न होने वाले राज्यों और जिलों पर लागू बी. आर. जी. एफ. दिशा निर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रावधान</u>	<u>20</u>
<u>अनुबंध – 1</u>	: <u>बी आर जी एफ जिलों की सूची</u>	<u>28</u>
<u>अनुबंध – 2</u>	: <u>ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं के लिए दिशा निर्देश</u>	<u>32</u>
<u>अनुबंध – 3</u>	: <u>राष्ट्रीय क्षमता निर्माण आधारभूत ढांचा</u>	<u>63</u>
<u>अनुबंध – 4</u>	: <u>अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति विकास के लिए उद्दिष्ट निधियों के लिए प्राथमिकता स्कीमों की सूची</u>	<u>101</u>

अध्याय – 1

उद्देश्य कथन और बुनियादी विशेषताएं

1.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के गठन का उद्देश्य विकास में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करना है। निधि से चुने हुए जिलों में विकास के लिए दी जाने वाली राशि के प्रवाह में वृद्धि करने तथा उसे समन्वित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी ताकि :

- (क) स्थानीय आधारभूत ढांचे और विकास संबंधी अन्य आवश्यकताओं की ऐसी नाजुक कड़ियों को जोड़ा जा सके जो मौजूदा व्यवस्था के अंतर्गत ठीक नहीं हो पा रही हैं;
- (ख) इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पंचायत और नगरपालिका स्तर की शासन व्यवस्था को क्षमता सृजन के माध्यम से पर्याप्त सुदृढ़ करना ताकि स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहभागितापूर्ण नियोजन, निर्णय करने, क्रियान्वयन और निगरानी में मदद मिले;
- (ग) स्थानीय निकायों को नियोजन, क्रियान्वयन और योजनाओं की निगरानी में पेशेवर सहायता उपलब्ध कराना;
- (घ) पंचायतों को सौंपे गये महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में सुधार करना तथा अपर्याप्त स्थानीय क्षमता तथा सबको इनका फायदा दिलाने में विद्यमान कमियों को दूर करना।

1.2 इस दस्तावेज में दिये गये पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि संबंधी दिशानिर्देश उन राज्यों और जिलों पर लागू होते हैं जो संविधान के खंड नौ के दायरे में आते हैं। राज्यों और जिलों के लिए दिशानिर्देश अलग से जारी किये जाएंगे जिन पर संविधान का खंड नौ लागू नहीं होता। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची अनुलग्नक-1 में दी गयी है।

1.3 समन्वित विकास की शुरुआत तभी होगी जब प्रत्येक जिला नियोजन में विशेषज्ञों की सहायता लेकर पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए अध्ययन करायेगा। इसके बाद इस पिछड़ेपन के समाधान के लिए 2006-07 और ग्यारहवीं पंचवर्षीय याजना अवधि के दौरान बड़ी सूझ-बूझ से सहभागितापूर्ण जिला विकास संदर्शी योजना तैयार की जाएगी। संविधान के खंड नौ में उल्लिखित ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर की पंचायतें अनुच्छेद 243-जी की मूल भावना का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए कार्यक्रम का नियोजन और क्रियान्वयन करेंगी, जबकि खंड नौ-क में उल्लिखित नगरपालिकाएं भी अनुच्छेद 243-डब्ल्यू और अनुच्छेद 243 जेडडी की मूल भावना के अनुसार शहरी इलाकों में इसी तरह से कार्यक्रम का नियोजन और क्रियान्वयन करेंगी।

1.4 इस योजना में संबंधित जिले में चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों का समन्वय किया जाएगा और इस तरह जिले को प्राप्त होने वाले अनेक संसाधन जुटाकर पिछड़ेपन की समस्या से निबटा जाएगा। निधि के अंतर्गत क्रियान्वयन के लिए जिन कार्यक्रमों की पहचान की जाएगी उनका चयन जनता की भागीदारी से किया जाएगा, जैसे ग्रामीण इलाकों में ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं तथा शहरी इलाकों में क्षेत्र सभा और वार्ड कमेटियों के जरिए। प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका में सहभागिता वाली योजनाएं बनायी जाएंगी। इन योजनाओं में पंचायत के उस क्षेत्र में खर्च किये जा रहे तमाम संसाधनों का हिसाब रखा जाएगा। कम से कम इनका हिसाब तो अवश्य रखा जाएगा:

- (क) राज्य योजना के क्षेत्रीय और जिला खंड,
- (ख) केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं (खास तौर पर उसके प्रमुख कार्यक्रम ¹),
- (ग) राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए दी जाने वाली धनराशि,
- (घ) केन्द्रीय और राज्य वित्त आयोग से संबद्ध और असंबद्ध अनुदान, और
- (ङ.) भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली धनराशि।

1.5 प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका द्वारा सहभागिता से तैयार की गयी योजना को जिला नियोजन समिति अपनी जिला योजना में समन्वित करेगी (संविधान का अनुच्छेद 243 जेडडी)। जिले को उपलब्ध सभी वित्तीय संसाधनों को इसमें प्रदर्शित किया जाएगा और यह सुनिश्चित करते हुए कि उनके इस्तेमाल में किसी तरह की देरी, बरबादी और दोहरावट न हो तथा दूसरे कार्यों में उनका उपयोग न हो, उनका उपयुक्ततम उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा।

1^प6 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में वित्तपोषण के दो मार्ग हैं जो इस प्रकार हैं:

(क) 250 करोड़ रुपये वार्षिक की क्षमता निर्माण निधि :

इस धनराशि का उपयोग मूलतः नियोजन, क्रियान्वयन, निगरानी, लेखांकन और जवाबदेही तथा पारदर्शिता में सुधार की क्षमता जुटाने में किया जाएगा। अनुबंध करने और आउटसोर्सिंग के जरिए बाहर से कार्य कराने का इसमें प्रावधान होगा।

(ख) 2006-07 के लिए 3500 करोड़ रुपये का असंबद्ध अनुदान (ग्यारहवीं योजना अवधि में परिव्यय के बारे में आगे बताया जाएगा):

पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा इन राशियों का आबंटन पारदर्शी मानदंडों के अनुसार होगा और वे इसका उपयोग समन्वित विकास की टूटी हुई महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने में करेंगे जिनकी पहचान इन दिशानिर्देशों में बतायी गयी सहभागितापूर्ण नियोजन प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा।

¹ केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हैं: राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, सर्वशिक्षा अभियान, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम, पेयजल मिशन, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, समन्वित बाल विकास सेवाएं और राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन।

1७7 जिलों को धनराशि के वितरण के मानदंड

लगभग पूरी तरह असंबद्ध अनुदानों को संबंधित जिलों में इस प्रकार वितरित किया जाएगा :

- (क) प्रत्येक जिले को 10 करोड़ रुपये वार्षिक की एक न्यूनतम निश्चित धनराशि दी जाएगी।
- (ख) योजना के अंतर्गत बाकी बची 50 प्रतिशत राशि सभी पिछड़े जिलों की कुल आबादी में उस जिले की जनसंख्या के हिस्से के आधार पर की जाएगी।
- (ग) शेष 50 प्रतिशत राशि पिछड़े जिलों के कुल क्षेत्रफल में उस जिले के हिस्से के आधार पर किया जाएगा।

1.8 जिले के भीतर पंचायतों/शहरी स्थानीय निकायों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से धनराशि के आंतरिक आबंटन का फार्मूला

प्रत्येक राज्य को पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (इसमें राजधानी वाले शहर और 10 लाख की आबादी वाले शहर शामिल नहीं हैं) को पिछड़ा क्षेत्र विकास निधि से धन के आबंटन के लिए अपनाये जाने वाले मानदंडों के फार्मूले का उल्लेख करना होगा। मानदंडों संबंधी फार्मूले में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए :

- (क) जिले के अंदर प्रत्येक स्थानीय स्वशासन संस्था (पंचायतों और नगर पालिकाओं) का हिस्सा।
- (ख) प्रत्येक श्रेणी के लिए किये गये कुल आबंटन में से प्रत्येक पंचायत या नगर पालिका के आपसी हिस्से के बारे में मानदंड

1७9 फार्मूले में जो बातें शामिल की जा सकती हैं वे हैं:

- (क) राज्य के भीतर तैयार किया गया और अपनाया गया कोई भी सूचकांक जिससे पिछड़ेपन या विकास के स्तर का पता चलता हो।
- (ख) जिला परिकल्पना तैयार करते समय निर्धारित की गयी जिलावार विशिष्ट प्राथमिकताओं की ओर ध्यान देना, जैसा कि जिला नियोजन के बारे में योजना आयोग के 28.8.06 के दिशा-निर्देशों में बताया गया है। (अनुलग्नक-2)
- (ग) किसी निश्चित मानदंड के आधार पर आबंटित धनराशि का एक निश्चित प्रतिशत कार्यनिष्पादन प्रोत्साहन देने के लिए अलग से रखना।

आबंटन के उपर्युक्त ब्यौरे का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना चाहिए, खास तौर पर सभी पंचायतों और संबंधित शहरी स्थानीय निकायों में। एक बात उपर्युक्त मानदंडों के बारे में सहमति हो जाने पर उन्हें 2006-07 और समूची ग्यारहवीं योजना अवधि में लागू किया जाएगा।

1P102006-07 के लिए प्रारम्भिक रूपात्मकता समेत राष्ट्रीय सम विकास योजना से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में परिणमन

वर्तमान राष्ट्रीय सम विकास योजना को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि में बदलने का कार्य इस प्रकार होगा :

- (क) राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत आने वाले सभी 147 जिलों को धनराशि तब जारी की जाएगी जब वे योजना के अंतर्गत वांछित शर्तों को पूरा करेंगे। इन शर्तों में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत स्वीकृत योजना के स्वीकृत स्तर तक पूरा हो जाने तक उपयोग प्रमाणपत्र भेजना प्रेषित करने (और मौजूदा निगरानी शुल्क के भुगतान) की शर्त भी शामिल है।
- (ख) राष्ट्रीय सम विकास योजना से बाहर के पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जिलों में इन दिशानिर्देशों के अनुसार जिला योजना बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। राष्ट्रीय सम विकास योजना से बाहर के जो पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जिले अपनी विकास योजना का प्रारूप जिला योजना में समन्वित करने के लिए तैयार कर लेंगे उन्हें 2006-07 के लिए आबंटित पूरी वार्षिक राशि दे दी जाएगी ताकि वे तुरंत अपनी योजनाओं पर अमल शुरू कर सकें।
- (ग) वर्ष 2006-07 के दौरान उन प्रत्येक गैर-राष्ट्रीय सम विकास योजना-पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, जिनमें जिला नियोजन समितियां गठित की जा चुकी हैं तथा कुछ महत्वपूर्ण स्कीमों जिनके संबंध में सहभागिता योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं को मिलाकर एक जिला योजना तैयार की जा चुकी है, 10 करोड़ रुपये की एक आरम्भिक किश्त जारी की जाएगी। जो राज्य जिला नियोजन समितियां गठित करने की प्रक्रिया में हैं, वे अगर संविधान के अनुच्छेद जेड डी के अनुरूप 15 फरवरी, 2007 तक जिला नियोजन समितियां गठित करते हैं तो इस उप-धारा के प्रावधानों के अनुसार निधि प्राप्त करने के पात्र होंगे।
- (घ) वर्ष 2006-07 के लिए रखी गई क्षमता निर्माण के लिए (पैरा 1.6 (क) में यथा वर्णित), को जिला नियोजन समितियों के गठन की बिना पूर्व- शर्त के इन दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी राज्यों को वर्ष 2006-07 के दौरान निर्मुक्त किया जाए।

1P11संभावित परिणाम

अनुमान लगाया गया है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की दिशा में की गयी पहल से क्षेत्रीय असंतुलन दूर होंगे, पिछड़े हुए जिलों में गरीबी दूर करने में मदद मिलेगी और जवाबदेह तथा संवेदनशील पंचायतों तथा नगरपालिकाओं को बढ़ावा मिलेगा।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के लिए नियोजन प्रक्रिया

2.1 संबंधित जिले के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत या नगरपालिका पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत एक इकाई होगी। प्रत्येक पंचायत या नगरपालिका द्वारा तैयार योजनाओं को जिला योजना में समन्वित किया जाएगा। यह कार्य संविधान के अनुच्छेद 243जेडडी के अनुसार गठित जिला नियोजन समितियों द्वारा किया जाएगा। नियोजन की प्रक्रिया योजना आयोग द्वारा समय समय पर दिये गये दिशानिर्देशों के अनुसार होगी। वार्षिक नियोजना और 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में योजना आयोग के दिशानिर्देश अनुलग्नक-2 में दिये गये हैं।

2.2 योजना आयोग के दिशानिर्देशों में की गयी परिकल्पना के अनुसार जिला योजना बनाते समय उपेक्षित समूहों का पक्के तौर पर ध्यान रखना :

योजना आयोग के दिशानिर्देशों में की गयी 'परिकल्पना' के अनुसार जिला योजना को समन्वित करते समय यह बात खास तौर पर सुनिश्चित की जाएगी कि जिला योजना में अनुसूचित जातियों/जनजातियों से संबंधित मुद्दों का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाए। इस दिशा में निम्नलिखित पर पूरी तरह ध्यान दिया जाना जरूरी है:

(क) प्रत्येक पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय की योजना में एक अलग उप योजना तैयार की जानी चाहिए जिसमें अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लिए कार्यक्रम वार आबंटन को प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(ख) जिस क्षेत्र के लिए योजना बनायी जा रही है उसके दायरे में रहने वाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों के लोगों के लाभ के कार्यक्रमों के लिए कम-से-कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में धन का आबंटन किया जाना चाहिए।

(ग) जिन गांवों में अनुसूचित जातियों/जनजातियों की आबादी अधिक है वहां स्कूल, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केन्द्र जैसी सुविधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

नियोजन और क्रियान्वयन के लिए पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों की क्षमता का विकास

3.1 पंचायतों तथा शहरी स्थानीय निकायों की आयोजना तथा क्रियान्वयन के लिए क्षमता निर्माण बी आर जी एफ का एक क्रांतिक घटक है। क्षमता निर्माण के लिए क्षमता निर्माण हेतु एक ढांचा विकसित किए जाने की आवश्यकता है ताकि एक अल्प समय संरचना में सुनिश्चित परिणाम दे सके इसके बारे में एक विस्तृत ढांचा अनुबंध 3 में दिया गया है। इससे भारत समर्थ आंदोलन के खंडों का निर्माण होगा, बी आर जी एफ के ढांचे के भीतर ही ग्रामीण क्षमता का निर्माण होगा।

3.2 प्रशिक्षण कार्यक्रम के वित्त पोषण के लिए संसाधन

3.2.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम को कारगर तरीके से लागू करने के लिए इसके सभी लाभार्थियों की क्षमता का निरंतर विकास करना होगा। निधि के अंतर्गत पंचायतों को सक्षम बनाने के लिए 250 करोड़ रुपये वार्षिक की धनराशि विशेष रूप से निर्धारित की गयी है। प्रत्येक राज्य के लिए धनराशि का आबंटन उस राज्य में पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में शामिल जिलों की संख्या के अनुसार प्रति जिला एक करोड़ रुपये की दर से तय किया गया है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण के कुछ पहलुओं के लिए जिले के विकास अनुदान से धनराशि आबंटित की गयी है, जैसा कि इस अध्याय में बताया गया है।

3.2.2 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत क्षमता निर्माण के विभिन्न घटक और इसके लिए धन के स्रोत निम्नलिखित सारणी में बताये गये हैं:

सारणी-1

	क्षमता निर्माण के घटक	उप-घटकों का विवरण	धनराशि का स्रोत
(क)	नियोजन और क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में पंचायत कर्मियों की व्यवस्था	पंचायतों के कर्मियों का स्तर नीचे पैरा 3.23 में वर्णित तरीके से बढ़ाया जा सकता है पंचायत और नगर पालिका कर्मियों की संख्या निम्नलिखित शर्तों पर बढ़ाई जा सकती है: (क) इस राशि का उपयोग पंचायतों और नगर पालिकाओं के मौजूदा कर्मचारियों के वेतन के भुगतान में नहीं किया जाना चाहिए। (ख) इस सुविधा का उपयोग जहां कहीं भी कमी हो वहां जरूरी कर्मचारियों के लिए ही किया जाना चाहिए। (ग) पंचायतों और नगरपालिकाएं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से कर्मचारी नियुक्त करेंगी। (घ) पंचायतों धीरे-धीरे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान खुद करने के साथ-साथ वित्तीय अंतरण, जैसे राज्य और केन्द्रीय वित्त आयोग के अनुदान के इस्तेमाल या कमी पूरी करने के लिए अपने राजस्व का इस्तेमाल कर सकती हैं।	जिले के लिए आबंटित विकास अनुदान में से 5 प्रतिशत राशि

(ख)	नियोजन और क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता का प्रावधान, या आउटसोर्सिंग की व्यवस्था, खास तौर पर पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को विकेन्द्रित नियोजन प्रक्रिया में मदद के लिए रिसोर्स पर्सन्स की सेवाएं प्राप्त करना।	(क) सभी पंचायतों और नगर पालिकाओं में विकास संबंधी विभागों और/या विशेषज्ञों के समेकित स्टाफ की मदद लेकर विस्तार या संसाधन केन्द्र की स्थापना जिसका लाभ आवश्यकता पड़ने पर सभी मध्यवर्ती पंचायतों या उससे निचले स्तर पर उठाया जा सके। (ख) आउटसोर्सिंग के जरिए रिसोर्स पर्सन्स और पेशेवर विशेषज्ञों की सेवाओं तक पहुंच	250 करोड़ रुपये के क्षमता निर्माण कोष से
(ग)	सड़कों, टेलीफोन, बिजली आपूर्ति और ई कनेक्टिविटी के जरिए इन अधिकारियों को जहां भी आवश्यक हो वहां कार्यालय संबंधी पर्याप्त आधारभूत ढांचा और ई-कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना।	पंचायतों के काम-काज के संचालन के लिए भौतिक बुनियादी ढांचा इस शर्त के साथ कि लागत का 30 प्रतिशत अन्य स्रोतों से जुटाया जाए	विकास अनुदान का उपयोग करना
		प्रत्येक पंचायत के स्तर पर कम्प्यूटर और उससे संबंधित उपकरणों, तथा इन्टरफेश उपकरणों को मुहैया करवाकर जिनकी ग्राडवैन्ड कनेक्टिविटी के लिए जरूरत होती है तथा इनके उपयोग के लिए प्रत्येक पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था।	250 करोड़ रुपये के क्षमता निर्माण कोष से वित्त पोषण
		सभी पंचायतों में टेलीफोन संपर्क की सुविधा।	दूरसंचार विभाग द्वारा जिन पंचायतों द्वारा इस सुविधा की मांग की जाएगी टेलीफोन कनेक्शन मुहैया कराने के प्रयास किए जाएंगे।

(घ)	पर्याप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था	राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क में बताये गये तरीके से प्रशिक्षण की समदर्शी योजना का क्रियान्वयन (देखिए अनुलग्नक-3) अनुलग्नक-3 में बताये गये तरीके से हेल्पलाइन की स्थापना और अनुरक्षण । प्रस्तावित हेल्प लाइनों के लिए निविदा अथवा किसी अन्य पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से राज्य/जिले में प्रचालनरत किसी भी विद्यमान टेलीकाम प्रोवाइडर को चुना जा सकता है ।	250 करोड़ रुपये के क्षमता निर्माण कोष से वित्तपोषण
(ङ)	पिछड़ेपन और विकास के बारे में बुनियादी डाटाबैंक बनाने के लिए अध्ययन और सर्वेक्षण	प्रत्येक पंचायत के बारे में राष्ट्रीय पंचायत पोर्टल में डाटा दर्ज करना और धीरे-धीरे सभी पंचायतों को इसके दायरे में लाना अंतरिक्ष विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं का उपयोग करते हुए स्थानीय नियोजन के लिए जीआईएस आधारित मल्टी लेयर्ड डाटाबेस तैयार करना	250 करोड़ रुपये के क्षमता निर्माण कोष से
(च)	लेखांकन और लेखा परीक्षा प्रणाली की स्थापना		250 करोड़ रुपये के क्षमता निर्माण कोष से
(छ)	योजनाएं तैयार करने और उनको समन्वित करने में पंचायतों और जिला नियोजन समिति की सहायता प्राप्त करना		250 करोड़ रुपये के क्षमता निर्माण कोष से

3.2.3 प्रत्येक ग्राम पंचायत में कार्यकर्ता स्तर पर प्रशिक्षित समुदाय के प्रावधान पर ध्यान देने पर वरीयता

बी आर जी एफ समुदाय क्षमता निर्माण, विशेषकर ग्राम पंचायत को स्टाफ उपलब्ध करने के लिए दृष्टिकोण में स्पष्ट ध्यान देना होगा । निम्नलिखित विधि अनुसार पंचायतों द्वारा कार्रवाई की जा सकती है :-

(क) कृषि विस्तारण के लिए एक प्रशिक्षित समुदाय स्तर व्यक्ति:

यह व्यक्ति कृषि, जल प्रबंधन, पशुपालन, फसल उपरान्त प्रबंधन तथा कृषि व्यापार पर समुदाय को जानकारी निवेश मुहैया करवाने वाला एक बहु-कार्य कार्यकर्ता होगा । चयन स्थानीय पंचायती राज संस्था द्वारा किया जा सकता है ।

(ख) एक जेंडर सशक्तीकरण समुदाय नेता अथवा स्वयंसेवक:

यह व्यक्ति गांव में एक समन्वयक के रूप में कार्य करेगा तथा महिला शिक्षा तथा सूक्ष्म (माइक्रो) वित्त के लिए कार्यकलापों को हाथ में लेगा । एक निर्वाचित महिला पंचायत प्रतिनिधि को भी एक जेंडर समन्वयक के रूप में चुना जा सकता है । यह समन्वयक पंचायत स्तर पर महिलाओं को एस. एच. जी. के रूप में संगठित करने में सहायता देगा, अगर वे अशिक्षित हैं तो उन्हें पंचायतों के साथ पंजीकृत होने में प्रोत्साहित करेगा तथा शिक्षा कक्षाएं चलाने के लिए किसी शिक्षित व्यक्ति को लगाएगा । सरकार उपलब्ध साक्षरता के लिए तीन पुस्तकें तथा जेंडर अधिकारों पर एक चौथी पुस्तक को शुरू करेगी । साक्षरता कक्षाओं में जाने पर भी वे माइक्रो वित्त के लिए वे थ्रिप्ट एवं क्रेडिट समूहों के रूप में गठित कर सकते हैं । एक वर्ष की समाप्ति पर साक्षरता स्थिति का मूल्यांकन एक साझा मूल्यांकन परीक्षण के माध्यम से किया जा सकता है तथा उस व्यक्ति को जिसने उन्हें साक्षर बनाया है 100 रुपये या इससे अधिक राशि का मानदेय दिया जाय । (साक्षरता अभियान के लिए निधि से उपलब्ध कराया जायेगा) । इस प्रकार के मॉडल महिला साक्षरता के लिए एक सामाजिक आंदोलन सृजित करने के लिए है जिससे 100 मिलियन महिलाओं को साक्षर बनाया जा सकता है तथा राष्ट्रीय स्तर पर लगभग आधा मिलियन महिलाओं के स्वतः सहायता समूह तैयार किए जा सकते हैं इसके अलावा महिला कार्यकर्त्ती का एक संवर्ग तैयार होगा जो जेण्डर सशक्तीकरण अनुक्रिया के माध्यम से उभरकर सामने आएगा ।

(ग) प्रशिक्षित वेयर फुट इंजीनियर अथवा स्थानीय इंजीनियरी क्षमता का सृजन:

बिजली मरम्मत, हैण्ड पम्प की मरम्मत, कृषि पम्प सेट की मरम्मत जैसे लघु इंजीनियरी मरम्मत में प्रत्येक पंचायत में कम से कम एक व्यक्ति प्रशिक्षित होना चाहिए ।

(घ) व्यवसायिक नियोजन के लिए समर्थन:

स्थानीय निकायों को उनकी योजनाओं के नियोजन तथा कार्यान्वयन के लिए बी आर जी एफ के तहत उपलब्ध करवाये जाने के लिए परिकल्पित व्यवसायिक समर्थन के अंतर्गत इस समर्थन के पहले दो वर्षों में हथकरघा, हस्त शिल्प तथा ग्राम उद्योग क्षेत्र में आर बी एच के सृजन पर ध्यान दिया जा सकता है तथा इन क्षेत्रों में व्यवसायिकों को स्थानीय निकायों द्वारा मध्यस्थता के माध्यम से शिल्पकारों के साथ जोड़ा जा सकता है । राष्ट्रीय स्तर पर हथकरघा और हस्तशिल्प दोनों के लिए संगठन अभिज्ञात कर लिए गए हैं तथा अन्य ग्रामीण उद्योगों विशेषकर पारम्परिक उद्योगों के लिए इनको विस्तृत किया जा सकता है । इस दृष्टिकोण के माध्यम से डिजाइन तथा निपुणता उन्नयन के लिए लक्ष्यीत व्यवसायिक दस्तक हेतु अच्छे विद्यमान निदर्श प्रतिमूर्ति बनाई जा सकती है ।

3.24 उपर्युक्त कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण

पंचायत स्तर पर इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए बी आर जी एफ निधि का प्रयोग किया जा सकता है । राज्य स्तर पर प्रशिक्षण मॉडल तैयार किए जा सकते हैं तथा विद्यमान इंजीनियरी कार्मिकों, कृषि वैज्ञानिकों, कृषिय तथा पशुपालन विभाग के कर्मचारियों, निजी तथा सरकारी क्षेत्र संगठनों आदि का प्रयोग करके एक प्रशिक्षण नेटवर्क संगठित किया जा सकता है जिसे स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण देने के लिए स्थानीय स्तर पर प्रयोग किया जा सकता है जिसकी परिकल्पना अनुबंध-3 पैरा 2.3.1 में वर्णित पाठ्यक्रम-।। में की गई है ।

3.3 प्रशिक्षण का प्रावधान:

क्षमता निर्माण के प्रशिक्षण संबंधी घटक के उद्देश्य (उपयुक्त सारणी-1 में घटक 'घ') इस प्रकार हैं :

- (क) सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों की जानकारी और कौशल में सुधार ताकि वे अपने दायित्वों का बेहतर तरीके से निर्वाह कर सकें।
- (ख) पंचायतों को सौंपे गये कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण कर्मियों को, जो उनके अधीन या उनके निकट संपर्क में कार्य कर रहे हैं, प्रारंभिक जानकारी देना ताकि विकेंद्रित कार्यों को करने में वे पंचायतों की कारगर सेवा और सहायता कर सकें।
- (ग) ग्राम सभाओं के काम काज में सुधार, खास तौर पर स्व सहायता समूहों और सीबीओ जैसे दबाव समूहों को सक्षम बनाकर, ताकि वे अधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से अपनी भागीदारी निभा सकें।

केन्द्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तैयार राष्ट्रीय क्षमता निर्माण फ्रेमवर्क के व्यापक मानदंडों (अनुलग्नक 3) के अंतर्गत संबंधित राज्य सरकारों को राज्य और जिलों के लिए खास प्रशिक्षण रणनीति तथा योजना बनानी चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय इसमें आवश्यक मदद देगा। प्रत्येक राज्य ऊपर बताये गये घटकों को ध्यान में रखकर पांच साल के लिए राज्य क्षमता निर्माण परिप्रेक्ष्य योजना भी तैयार कर सकता है। इसके लिए राज्य प्रशिक्षण योजना तैयार करने और उस पर अमल के लिए एसआईआरडी जैसी किसी नोडल एजेंसी को नामित कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रशिक्षण के उद्देश्य से विशिष्ट परिप्रेक्ष्य योजना दस्तावेज तैयार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय तकनीकी सहायता भी उपलब्ध करा सकता है।

राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय निगरानी और क्रियान्वन समिति अमल से पहले योजना को मंजूरी दे सकती है। इसकी लागत में पूंजीगत और राजस्व दोनों तरह की लागतें शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित शर्तों पर हर साल धनराशि जारी करेगा:

- (क) राज्य स्तरीय उच्च स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित योजना प्राप्त होने पर;
- (ख) ऊपर बतायी गयी सारणी में कार्यान्वयन के लिए राज्य के स्तर पर रखी जाने वाली और प्रत्येक जिले को दी जाने वाली प्रस्तावित राशि के संकेत के लिए।
- (ग) परिप्रेक्ष्य योजना के आधार पर तैयार की वार्षिक योजना जिसमें संबंधित वर्ष में शुरू किये जाने वाले कार्यक्रमों और उसके प्रत्येक घटक के लिए आबंटन का उल्लेख हो।

3.4 प्रशिक्षण के परिणामों का मूल्यांकन, प्रलेखन और निगरानी :

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नामित संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण का स्वतंत्र मूल्यांकन कराया जाएगा।

ग्यारहवीं योजना (यानि 2009-12) के तीन वर्षों में जहां क्षमता निर्माण कार्यक्रम का अभिन्न अंग बना रहेगा, वहीं मुख्य जोर निगरानी और मूल्यांकन पर दिया जाएगा।

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि को चालू करना

4.1 पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन प्रणाली :

4.11 संविधान के भाग-नौ और भाग-नौ (क) के अनुसार गठित पंचायतें, नगरपालिकाएं और जिला पंचायत समितियां कार्यक्रम के प्रबंधन का दायित्व निबाहेंगी। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए पंचायत या शहरी स्थानीय निकायों के किसी भी स्तर पर विशेष संगठन, प्रबंधन समितियां आदि नहीं बनायी जाएंगी। कार्यक्रम के पर्यवेक्षण, प्रबंधन और निगरानी के लिए इस तरह की संस्थाओं के अंतर्गत कानूनी प्रावधानों के अनुसार गठित स्थायी समितियों को इस कार्य के लिए सुदृढ़ कर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार इस बारे में निम्नलिखित कदम उठायेगी :

4.12 कार्यों का क्रियान्वयन पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा उचित स्तर पर, संबंधित गतिविधियों के मापन के उपायों के माध्यम से किया जाना चाहिए। ऐसा करते समय वित्तीय अधीनस्थता (फाइनेंशियल सब्सिडिएरिटी) के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए। इसके अंतर्गत अगर पंचायत के उच्चतर स्तर की कोई संस्था जैसे जिला या मध्यवर्ती पंचायत निर्धारित सीमा से कम लागत का कोई कार्य मंजूर करती है तो वह इसके लिए आबंटित की जाने वाली धनराशि क्रियान्वयन के लिए संबंधित ग्राम पंचायत को दे देती है। अगर कार्य पंचायत या नगरपालिका के दायरे से बाहर है तो जिला पंचायत समिति क्रियान्वयन करने वाले विभाग/एजेंसी का फ़ैसला कर सकती है और उसके जरिए काम करा सकती है। ऐसे में निगरानी और पर्यवेक्षण की शक्ति संबंधित पंचायत की होगी।

4.2. राज्य स्तर पर मंजूरी

4.21. राज्य सरकार किसी विभाग को कार्यक्रम के प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन के लिए उत्तरदायी नोडल विभाग नामित कर सकती है। ऐसा करते समय पंचायती राज विभाग को प्राथमिकता दी जाएगी।

4.22. राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति, जिसमें अन्य लोगों के अलावा विकास आयुक्त, नियोजन सचिव, राज्य के पंचायती राज सचिव, शहरी विकास सचिव, तथा इस कार्यक्रम के तहत राज्य सचिव जिनके प्रभार में ये कार्य किए जाने हैं, पंचायती राज मंत्रालय के एक प्रतिनिधि और योजना आयोग के राज्य से संबंधित सलाहकार के अलावा भारत सरकार द्वारा नामजद अन्य ऐसे प्रतिनिधि शामिल होंगे जिन्हें वह आवश्यक समझती है। यह समिति प्रस्तावित जिला योजना पर विचार कर उसे मंजूरी देगी। इस पर प्रशिक्षण योजना के साथ पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के जिला घटक के अंतर्गत अमल किया जाएगा। नोडल विभाग के सचिव उच्च स्तरीय समिति के सदस्य-सचिव होंगे।

4.23. नोडल विभाग पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम में शामिल जिलों की सभी पंचायतों का कम्प्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार करने के लिए भी उत्तरदायी होगा जिसमें पंचायतों के उन बैंक खातों का भी डेटाबेस शामिल होगा जिसमें पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि से प्राप्त होने वाली विकास सहायता जमा करायी जाएगी। इस प्रकोष्ठ में प्रत्येक पंचायत से प्राप्त उपयोग प्रमाण पत्रों को भी रखा जाएगा।

4.3 विकास निधि का उद्देश्य :

4.3.1 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत जारी विकास सहायता राशि का उपयोग अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने के बावजूद भी रह गए अंतर को दूर करने के लिए किया जाएगा। पंचायतों और अन्य शहरी स्थानीय निकाय इस धनराशि का उपयोग संविधान की ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची के अनुसार उन्हें सौंपे गये किसी भी कार्य के लिए कर सकते हैं। इस धनराशि का उपयोग धार्मिक स्थलों या ऐसे स्थलों के परिसर में इमारतों के निर्माण, स्वागत द्वार बनाने या फिर किसी व्यक्ति अथवा परिवार को सहायता देने में नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विकास के विकास के जिन घटकों के लिए धनराशि उपलब्ध करायी जा सकती है उसका निर्देशात्मक विवरण अनुलग्नक-4 में दिया गया है।

4.3.2 प्लैगशीप कार्यक्रम के साथ जुड़ी स्थानीय अवसंरचना में अंतर पाटना : इस कार्यक्रम के तहत अंतर पाटने के लिए कुछ चयनित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संवेदनशील क्रिया बनाया जा सकता है चाहे बी आर जी एफ का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर स्थानीय अवसंरचना में अंतर पाटने का क्यों न हो। पंचायतों के विकल्प पर भारत निर्माण के तहत स्थानीय अवसंरचना में महत्वपूर्ण अंतर दूर करने के लिए निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता है।

(क) ग्राम विद्युतीकरण, जहां पर एक गांव का गहन विद्युतीकरण वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर निवेश से किए जाने का प्रस्ताव है।

यहां पर पंचायती राज संस्थाओं को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना तथा कृषि पम्प सेटों के विद्युतीकरण के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(ख) पहाड़ी तथा जनजातीय क्षेत्रों जहां पर पारम्परिक पम्प तथा पाइप जल आपूर्ति नहीं दी जा सकती है, में पेयजल के लिए पंचायतों द्वारा समुचित प्राद्योगिकी विकल्प को अपनाना। इसमें ग्रेवीटी फेड प्रणालियां तथा स्वच्छता कूप सम्मिलित हैं। बी आर जी एफ के तहत स्टैंड अलोन पाइप जल आपूर्ति स्कीमों तथा प्रणाली उन्नयन को हाथ में लेने के लिए ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित किया जा सकता है।

(ग) इंदिरा आवास योजना का विस्तार जहां पर भारत निर्माण कार्यक्रम के तहत नये गृह निर्माण के प्रावधानों में कमी है। अगर एक विशिष्ट जिला नियोजन समिति गृह निर्माण समस्या मुक्त जिला बनाने का लक्ष्य रखती है तथा अगर स्थानीय पंचायती राज संस्था इसे एक प्राथमिकता के रूप में देखती है तब ग्रामीण गृह निर्माण के लिए निधियां दी जा सकती है।

बी आर जी एफ सहायता को उपर्युक्त भारत निर्माण लक्ष्यों के साथ जोड़ा जा सकता है ऐसे क्षेत्र हैं, ग्रामीण सड़कें, टेलीफोन एवं लघु सिंचाई जिसमें अन्य संसाधनों से निवेश उपलब्ध कराये जाएंगे जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (सड़कें), भारत सरकार-यू एस ओ निधि (ग्रामीण टेलीफोन के लिए) तथा एन आर डी जी ए (सूक्ष्म सिंचाई तथा नहरों के लिए)।

4.4. विकास अनुदान के उपयोग के प्रस्ताव:

ऐसे प्रस्तावों में निम्नलिखित विवरण दिया जाना चाहिए :

- (क) किसी जिले में जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तरों पर और शहरी स्थानीय निकायों को धनराशि के आबंटन के मानदंड जिनमें जिले के विकास की परिकल्पना के साथ-साथ विकास लक्ष्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित की गयी हों।
- (ख) सीएसएसएस सहित विभिन्न स्रोतों से जिले को प्राप्त होने वाली धनराशि के उपयोग का विस्तृत ब्यौरा
- (ग) पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त वित्तीय शक्तियां प्रदान करने की दिशा में राज्य द्वारा उठाये गये कदमों के साथ-साथ योजना के लिए पंचायतों द्वारा खुद जुटाए जाने वाले संभावित संसाधन
- (घ) पंचायतों को व्यापक प्रशासनिक और तकनीकी सहायता देने या अनुबंध/आउटसोर्सिंग के जरिए इन्हें जुटाने के उपाय करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदम

4.5- जिलों को धनराशि जारी करने के लिए आवश्यक शर्तें नीचे सारणी-2 में दी गयी हैं:

सारणी – 2

अवधि	धनराशि जारी करने की शर्तें
2006-07 – कार्यक्रम का पहला साल	प्रत्येक जिले के लिए क्षमता निर्माण हेतु कुल आबंटन दिशानिर्देशों में बतायी गयी तैयारियां पूरी होने पर ही किया जाएगा। विकास अनुदान देने में उन जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां जिला नियोजन समितियों ने जिला विकास योजना का प्रारूप तैयार कर लिया हो और उच्च स्तरीय समिति ने राज्य स्तर पर इसे मंजूरी दे दी हो।

2007-08	इन जिलों को पहली किस्त निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र भेजने के बाद स्वतः जारी कर दी जाएगी। दूसरी किस्त निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर जारी की जाएगी :	
	क	भौतिक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट भेजना
	ख	प्रारंभिक अतिशेष पिछले वर्ष उपलब्ध धनराशि के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं नहीं होना चाहिए। इस सीमा से अधिक धनराशि को दूसरी किस्त जारी करते समय काट लिया जाएगा।
	ग	कार्यक्रम के लिए पिछले वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट और कार्रवाई रिपोर्ट भेजते समय चार्टर्ड एकाउंटेंट का इस आशय का प्रमाणपत्र संलग्न करना चाहिए कि कार्यक्रम के जिला की लेखा परीक्षा करते समय उसने बैंक समाधान विवरण तथा सभी क्रियान्वयन एजेंसियों के खातों का ध्यान रखा है और अग्रिमों को व्यय के अंतर्गत नहीं दिखाया गया है।
	घ	धनराशि जारी किये जाने के एक साल के भीतर अनुलग्नक-5 में दिये गये निर्धारित प्रारूप में उपयोग-प्रमाणपत्र भेज दिये जाने चाहिए।
	ड.	धनराशि का अन्यत्र उपयोग और गबन न किये जाने संबंधी प्रमाणपत्र
	च	सभी लम्बित प्रगति/निगरानी रिपोर्टें भेज दी गयी हों
	छ	इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए कि संबंधित जिले ने (अगर उस पर संविधान का भाग-नौ लागू होता है) संविधान के अनुच्छेद 243 जेडडी के अनुसार एक जिला नियोजन समिति गठित कर दी है।
	ज	कार्यक्रम के सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर लगायी गयी कोई भी अन्य शर्त
	2008-09 के आगे - पहली किस्त	उन जिलों को बिना शर्त जारी जिन्हें उससे ठीक पहले साल की दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। जिन जिलों को निर्धारित शर्तें पूरी न होने के कारण पिछले साल की दूसरी किस्त नहीं मिली है वे शर्तें पूरी होने के बाद पहली किस्त के लिए के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। जिन जिलों ने पिछले साल दूसरी किस्त शर्तों के साथ प्राप्त की है वे पिछले साल दूसरी किस्त के जारी होते समय लगायी गयी शर्तें पूरी करने के बाद पहली किस्त के लिए अपना प्रस्ताव भेजेंगे।

4.6 धनराशि देने की प्रणाली :

सभी धनराशियों को राज्य सरकारों की समेकित निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। जिन धनराशियों को पंचायतों और नगरपालिकाओं अंतरित किया जाना है उन्हें उनके बैंक खातों में अंतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए उन्हीं शर्तों का पालन करना होगा 12वें वित्त आयोग अनुदान के लिए निर्धारित हैं, यानी समेकित निधि में धनराशि के जारी होने के 15 दिन के भीतर। राज्य के स्तर से धनराशियों को सीधे संबंधित पंचायतों या नगरपालिकाओं के बैंक खातों में जमा कर दिया जाएगा। इसके लिए बैंकों के जरिए पंचायतों को तेजी से धनराशि के अंतरण की व्यवहार्यता के बारे में पंचायती राज मंत्रालय के कार्यबल द्वारा सुझायी गयी बैंक अंतरण प्रणाली का उपायोग किया जाएगा। सभी

पंचायतों के बैंक खातों का विवरण संबंधित राज्य सरकारों को उपलब्ध कराना होगा। इस बारे में पंचायती राज मंत्रालय ने पहले ही निर्देश दिया हुआ है।

4.7. धनराशि जारी करना :

कार्य की स्वीकृति मिल जाने के बाद तुरंत ही संबंधित पंचायतों को उनकी इच्छानुसार धनराशि पूरी की पूरी या किस्तों में जारी कर दी जाएगी। ऐसा करते समय इस तरह के भुगतानों के निपटान की निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। जिन मामलों में क्रियान्वयन एजेंसिया पहले जारी धनराशि के लिए लेखा और उपयोग प्रमाणपत्र जारी नहीं का पायेंगी उन में नये कार्यो पर अमल और आगे धनराशि जारी करने के बारे में विचार नहीं किया जाएगा। एक जिले के संसाधनों का दूसरे जिले में उपयोग करने की इजाजत नहीं है।

4.8 बैंक खाता खोलना :

संबंधित पंचायतों द्वारा पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि की धनराशि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या डाकघर में रखा जाएगा । यह वांछनीय है कि बी आर जी एफ के लिए अलग से एक बैंक खाता खोला जाए लेकिन यह अधिदेशित नहीं है, शर्त है कि इस स्कीम के लिए एक अलग से कैश बुक अनुरक्षित की जाएगी ।

4.9. जमा राशियों पर अर्जित ब्याज का उपयोग

जमा राशियों पर अर्जित ब्याज की रकम को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के अंतर्गत अतिरिक्त संसाधन माना जाएगा। इसका उपायेग कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए।

4.10. धनराशि का आहरण

पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा धनराशि का आहरण राज्य पंचायतरी राज अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा बनाये गये लेखा और वित्तीय नियमों में बताये वर्तमान तरीके से होगा। कार्यपालक एजेंसी द्वारा कराये जाने वाले कार्यों के लिए भुगतान हेतु खाते से धनराशि की निकासी बैंक के जरिए और नियमों तथा इससे संबंधित विभागीय मैनुअलों में निर्धारित तरीके से की जाएगी। किसी अन्य कार्य के लिए धनराशि की निकासी की इजाजत नहीं होगी।

4.11 खातों का रखरखाव

प्रत्येक पंचायत और नगरपालिका उसे आबंटित धनराशि के खातों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी। पंचायतों के इन खातों को जिला पंचायतों द्वारा समेकित किया जा सकता है और इनकी लेखा परीक्षा करायी जा सकती है। इसी प्रकार कार्यक्रम के अंतर्गत कोई भी कार्यपालक एजेंसी जिसे कोई धनराशि सौंपी गयी है, अगल से लेखा-जोखा रखेगी जिसे लेखा परीक्षा के लिए भेजा जाएगा। राज्य सभी पंचायतों और नगरपालिकाओं को कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखने के लिए पर्याप्त जनशक्ति और संसाधन उपलब्ध करायेगा। इस तरह की सहायता प्रणाली को मध्यवर्ती पंचायत संसाधन केन्द्र में समेकित किया जा सकता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले खर्च को संबंधित पंचायतों और नगरपालिकाओं के वार्षिक खातों में दर्शाया जाएगा। इसे पंचायती राज और नगरपालिका अधिनियमों तथा नियमों में निर्धारित तरीके से समेकित किया जा सकता है और राज्य विधानमंडलों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

4.12. लेखा परीक्षा का कार्य :

इस योजना के अंतर्गत हर जिले में प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में किये गये कार्यों की नियमित रूप से भौतिक और वित्तीय लेखा परीक्षा करायी जायेगी। लेखा परीक्षा या तो स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों द्वारा या फिर राज्य सरकार या राज्य के महालेखाकार द्वारा सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेंटों द्वारा कराया जाना चाहिए। धनराशि की दूसरी किस्त जारी करने के प्रस्ताव के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर की गयी कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट भेजी जानी जरूरी है। कार्रवाई रिपोर्ट लेखा परीक्षक द्वारा अभिप्रेमाणित होनी चाहिए।

4प13. जिला स्तर पर समीक्षा समितियां :

मध्यवर्ती पंचायत के स्तर तक पंचायतों द्वारा स्वयं एक-दूसरी पंचायत की प्रगति की समीक्षा की जा सकती है। जिला स्तर पर जिला नियोजन समिति द्वारा समीक्षा समिति का गठन किया जाएगा। जिला पंचायत अध्यक्ष, मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष और शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष बारी-बारी से इस समिति के अध्यक्ष भी होंगे। समिति में कुछ सदस्य भी होंगे जिनकी संख्या 8-10 से अधिक नहीं होगी। समीक्षा समिति पंचायतों द्वारा तैयार की गयी सहयोगी समीक्षा रिपोर्टों की भी जांच करेगी।

4प14. कार्यों के निरीक्षण का कार्यक्रम

कार्य की गुणवत्ता बनाये रखने के लिए गुणवत्ता निगरानी प्रणाली कायम की जाएगी। प्रणाली के कार्यनिष्पादन की उच्च स्तरीय समिति द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाएगी।

4प15. सबसे निचले स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा और सतर्कता

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम या वार्ड सभाओं और शहरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय सभाओं और वार्ड समितियों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा के बारे में स्पष्ट दिशानिर्देश राज्यों द्वारा जारी किये जा सकते हैं। ग्राम सभा पंचायतों की योजनाओं कार्यक्रमों या परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि के बारे में उपयोग प्रमाणपत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत करेगी। इसके लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वही होगी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के दिशानिर्देशों में निर्धारित है। स्कीम के बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी देने के लिए स्कीमों के नाम तथा संसाधन जिनसे इनका वित्त पोषण किया जा रहा है कार्यस्थल पर नामपट्टों द्वारा प्रदर्शित किए जाएंगे।

प्रत्येक पंचायत अभी तक अनुमोदित सभी स्कीमों के ब्यौरे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करेगी तथा स्कीमों को शुरू करने की/पूरा करने की प्रत्याशित तारीख भी बताएगी।

कार्यों के सत्यापन पर एक पृथक पुस्तिका पंचायती राज मंत्रालय द्वारा विनिर्धारित की जाएगी।

4प16. प्रगति रिपोर्ट

प्रगति रिपोर्ट के लिए प्रपत्र निर्धारित हैं और इन्हें इन्हीं प्रपत्रों में भेजा जाना चाहिए।

संविधान के भाग IX और IXए के तहत शामिल न होने वाले राज्यों और जिलों पर लागू बी.आर.जी.एफ. दिशानिर्देशों के अंतर्गत अतिरिक्त प्रावधान

संविधान के भाग IX और IXए के कार्यक्षेत्र में आने वाले राज्यों और जिलों पर लागू होने वाले पिछले अध्याय 1 से 4 के प्रावधान

अगले अध्याय 5, जो अब पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम दिशानिर्देशों का एक अभिन्न अंग हैं, में उन राज्यों और जिलों के लिए विशेष अतिरिक्त प्रावधान दिए गए हैं जिन पर संविधान के भाग IX और IXए लागू नहीं होते।

अध्याय 5:संविधान के भाग IX और षष्ठे के कार्यक्षेत्र में न आने वाले क्षेत्रों में पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि को प्रकार्यात्मक बनाना

5.1 संविधान के भाग IX और IXए के तहत शामिल न होने वाले क्षेत्रों में बी.आर.जी.एफ. के कार्यान्वयन के संबंध में विकेंद्रीकृत योजना पर विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें:

अधिकारप्राप्त उप समिति की 13 सितम्बर 2006 को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा संविधान के भाग IX और IXए के तहत शामिल न होने वाले क्षेत्रों के लिए विकेंद्रीकृत योजना पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसमें सिफारिश की गई है कि इन क्षेत्रों में बी.आर.जी.एफ. के कार्यान्वयन के लिए एक संस्थागत कार्यतंत्र बनाया जाए। इस अध्याय में बी.आर.जी.एफ. के दिशानिर्देशों के अतिरिक्त प्रावधान इस समिति की सिफारिशों पर आधारित हैं।

5.2 उन जिलों का ब्यौरा जो भाग IX और IXए क्षेत्रों में शामिल नहीं हैं:

5.21 बी.आर.जी.एफ के तहत शामिल उन जिलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिन पर संविधान के भाग IX और IXए लागू नहीं होते:

राज्य		जिला		वर्गीकरण*		जनसंख्या			क्या यह एनआरई जी जिला है	ग्राम स्तरीय संस्थाएँ
क्र. सं.	नाम	क्र. सं.	नाम	श्रेणी	उप श्रेणी	ग्रामीण	शहरी	कुल		
1	जम्मू कश्मीर	1	डोडा	2		644234	47695	691929	हाँ	ग्राम पंचायत हटा दी गई
		2	कूपवाड़ा	2		624898	25495	650393	हाँ	
		3	पुंछ	2		348635	23978	372613	हाँ	
2	असम	4	कारबी आंगलोंग	1	ए	721381	91930	813311	हाँ	
		5	उत्तरी कछर हिल्स	1	ए	128110	58079	186189	हाँ	
		6	कोकराझार	1	बी	841823	63941	905764	हाँ	
3	मणिपुर	7	चंदेल	2	ए	103365	14962	118327	नहीं	
		8	चूडचन्द्रपुर	2	ए	227905	0	227905	नहीं	
		9	तमेनलौंग	2	ए	111499	0	111499	हाँ	
4	मेघालय	10	री-भोई	1	बी	179610	13180	192790	नहीं	
		11	दक्षिणी गारोहिल्स	1	बी	92337	8643	100980	हाँ	
		12	पश्चिमी	1	बी	459412	58978	518390	हाँ	

			गारोहिल्स							
5	मिजोरम	13	लौंगतलाई	1	डी	73620	0	73620	नहीं	
		14	सैहा	1	ए	41230	19826	61056	हाँ	
6	नागालैंड	15	मोन	2		244062	16590	260652	हाँ	सशक्त वीडीबी
		16	त्वेनसांग	2		385046	29772	414818	नहीं	
		17	वोखा	2		123587	37636	161223	नहीं	
7	त्रिपुरा	18	धलाई	1	सी	289001	18867	307868	हाँ	गैर-पार्ट 9 क्षेत्रों में कोई ग्राम पंचायत नहीं

*वर्गीकरण कुंजी

श्रेणी		उप श्रेणी	
क्र. सं.	विवरण	कम	विवरण
1	छठी अनुसूची के क्षेत्र	क	एक स्वायत्त परिषद् के सहलक्षी बी.आर.जी.एफ जिला
		ख	एक बड़ी क्षेत्रीय परिषद् के भाग के रूप में एक बी.आर.जी.एफ जिला
		ग	जिला जिसका एक भाग स्वायत्त परिषद् के तहत और शेष भाग संविधान के भाग IX और IX, के तहत शामिल है
		घ	जिला जो एक से अधिक स्वायत्त परिषदों के तहत आता है
2	गैर-छठी अनुसूची के क्षेत्र	क	एक स्वायत्त परिषद् के सहलक्षी बी.आर.जी.एफ जिला
		ख	एक बड़ी क्षेत्रीय परिषद् के भाग के रूप में एक बी.आर.जी.एफ जिला

5.3 परवर्ती दिशानिर्देश तैयार करने में पालन किए गए सामान्य सिद्धांत:

(क) जबकि निर्वाचित स्थानीय निकायों को हटाया अथवा व्यपगत किया जा सकता है, व्यावहारिक अंतरिम उपायों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बी.आर.जी.एफ. के कार्यान्वयन में तृणमूल स्तर पर पणधारियों की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करें।

(ख) छठी अनुसूची के तहत शामिल जिलों तथा उन जिलों, जिनमें संबद्ध राज्यों के कानून द्वारा अधिदेशित स्थानीय व्यवस्थाएँ मौजूद हैं, के लिए पृथक व्यवस्थाएँ अपेक्षित हैं।

(ग) बी.आर.जी.एफ. के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत कार्यतंत्र बनाते समय स्थानीय स्वशासन में आने वाले कतिपय मूलभूत सिद्धांतों का ध्यान रखना होगा।

5.4 ग्राम स्तर पर सहभागितापूर्ण आयोजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सामान्य सिद्धांत

(क) जहाँ कहीं बस्ती, ग्राम अथवा क्लस्टर स्तर पर आयोजना कार्यतंत्र मौजूद है वहाँ उसका सहभागितापूर्ण योजना तैयार करते समय उपयोग किया जाना चाहिए।

(ख) ग्राम स्तरीय निकायों की अनुपस्थिति में एन.आर.ई.जी.ए. के तहत गठित संस्थाओं का उपयोग किया जा सकता है।

- (ग) अभिचिह्नित संस्थागत कार्यतंत्र को यथासंभव समावेशी होना चाहिए।
- (घ) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए ग्राम सभा की खुली बैठक के माध्यम से बस्ती स्तर पर एक समिति गठित की जाए। सदस्यों में 50 प्रतिशत महिलाएँ होनी चाहिए।
- (ङ.) इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागितापूर्ण आयोजना के लिए ऐसे ही निकाय गठित किए जाएँ।
- (च) जिला स्तर पर समावेशी समितियाँ गठित की जाएँ।

5प5 निधियों के प्रवाह के लिए कार्यतंत्र

- (क) अभिचिह्नित आयोजना एवं कार्यान्वयन संस्थाओं को निधियों का अंतरण बिना विपथन और विलंब के रिलीज के 15 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए।
- (ख) नागालैंड में ग्राम विकास बोर्डों को निधियों के अंतरण में काम में लिए गए कार्यतंत्र को स्थानीय रूप से बनाई गई एक प्रभावी प्रविधि के रूप में अपनाया जाए। विशेष रूप से ग्राम स्तरीय समिति को एक संकल्प के जरिए एक बैंक खाता खोलने के लिए अधिकृत किया जाए जिसमें इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निधियाँ जमा की जाएँगी।

5प6 जवाबदेही सुनिश्चित करने हेतु प्रणालियाँ

योजना और कार्यान्वयन दोनों का पदनामित संस्थाओं द्वारा समवर्ती और स्वतंत्र मानीटरन हेतु मजबूत प्रणालियाँ स्थापित की जाएँगी। इन मानीटरन प्रणालियों में पंचायती राज मंत्रालय द्वारा चयनित स्वतंत्र मानीटरों के साथ-साथ राज्य स्तर पर चुने गए मानीटर भी हो सकते हैं। मानीटरन एजेंसियों में बाह्य और स्थानीय एजेंसियों का तर्कसंगत मिश्रण होना चाहिए।

5.7 राज्य स्तरीय कार्यान्वयन कार्यतंत्र:

क. जम्मू और कश्मीर

क. जम्मू और कश्मीर में ग्राम स्तर पर निर्वाचित स्थानीय सरकारें मौजूद नहीं हैं। अतएव, स्थानीय निकायों का गठन होने तक ग्राम स्तर पर एक अंतरिम परामर्शी एवं कार्यान्वयन कार्यतंत्र विकसित किए जाने की आवश्यकता होगी।

(i) ग्राम स्तरीय आयोजना:

चूँकि जम्मू कश्मीर में बी.आर.जी.एफ. के तहत शामिल तीन जिले एन.आर.ई.जी.ए. के तहत भी शामिल हैं, अतः एन.आर.ई.जी.ए. के लिए ग्राम स्तरीय आयोजना एवं कार्यान्वयन में अपनाई गई व्यवस्थाओं को बी.आर.जी.एफ. की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए भी अपनाया जा सकता है।

(ii) सभी स्थानीय पणधारियों को शामिल करने हेतु उपाय:

टाटा लद्दाख हिल डवलपमेंट सपोर्ट प्रोग्राम में अपनाई गई सूक्ष्मस्तरीय आयोजना पद्धति को बी.आर.जी.एफ. के कार्यान्वयन के लिए भी अपनाया जा सकता है।

ख. असम:

ख. असम में बी.आर.जी.एफ. के तहत शामिल ऐसे तीन जिले हैं जिन पर भाग IX लागू नहीं होता। ये सभी तीन जिले छठी अनुसूची के हैं। तथापि, कार्बी आंगलॉग और उत्तरी कछर हिल्स ऐसे राजस्व जिले हैं जो संबद्ध स्वायत्त परिषदों के समलक्षी हैं जबकि कोकराझार जिला वृहत्तर बोडोलैंड राज्यक्षेत्रीय परिषद् के अंतर्गत आता है।

(i) ग्राम स्तरीय आयोजना:

चूँकि असम में बी.आर.जी.एफ. के तहत शामिल तीन जिले एन.आर.ई.जी.ए. के तहत भी शामिल हैं, अतः एन.आर.ई.जी.ए. के लिए ग्राम स्तरीय आयोजना एवं कार्यान्वयन में अपनाई गई व्यवस्थाओं को बी.आर.जी.एफ. की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए भी अपनाया जा सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी रखी जानी चाहिए कि ग्राम स्तरीय निकाय पैराग्राफ 5.4 में उल्लिखित सामान्य सिद्धांतों का पालन करें।

(ii) सभी स्थानीय पणधारियों को शामिल करने हेतु उपाय:

परिषद् की सिफारिशों के आधार पर ग्राम निकाय बनाए जाएँगे।

(iii) जिला स्तरीय व्यवस्थाएँ:

जिला योजना तैयार करने और जिले के लिए प्रारूप योजना को समेकित करने के लिए संबद्ध स्वायत्त परिषद् की एक पृथक उप समिति बनाई जा सकती है। जिला स्वायत्त परिषद् का अध्यक्ष इस समिति की अध्यक्षता करेगा और परिषद् का सदस्य इसका

सदस्य-संयोजक होगा। जिले का उपायुक्त भी इस समिति का सदस्य होगा। कोकराझार जिले के मामले में बोडो टेरिटेरियल काउंसिल का अध्यक्ष इस समिति की अध्यक्षता करेगा। बोडो टेरिटेरियल काउंसिल का प्रधान सचिव परिषद् का सदस्य-संयोजक होगा। जिला समिति में बोडो टेरिटेरियल काउंसिल में कोकराझार जिले के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। समिति में शहरी क्षेत्रों और नगरपालिकाओं के प्रतिनिधियों का भी प्रतिनिधित्व होगा।

(ग) मणिपुर:

(ग) मणिपुर में बी.आर.जी.एफ. के तहत शामिल जिले छठी अनुसूची में नहीं आते। तथापि, संविधान के अनुच्छेद 243एम(2)(बी) के प्रावधानों के अनुसार इन जिलों को भाग IX लागू करने से छूट दी गई है। राज्य ने इन जिलों के लिए स्वायत्त परिषदें गठित की हैं किंतु 1989 में उनके कार्यकाल की समाप्ति के बाद से उनके चुनाव नहीं कराए गए हैं। इसलिए चुनाव होने तक परिषद् की अध्यक्षता एक प्रशासक जिला कलेक्टर द्वारा की जाती है।

(i) ग्राम स्तरीय आयोजना:

एन.आर.ई.जी.ए. के तहत शामिल तामेनलोंग जिले में एन.आर.ई.जी.ए. के लिए ग्राम स्तरीय आयोजना एवं कार्यान्वयन में अपनाई गई व्यवस्थाओं को बी.आर.जी.एफ. की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए भी अपनाया जा सकता है।

चंदेल और चूड़चंद्रपुर जिलों के लिए पैराग्राफ 5.4 में दर्शाए गए सामान्य सिद्धांतों के अनुसार ग्राम स्तरीय निकाय बनाए जाएँगे।

(ii) जिला स्तरीय व्यवस्थाएँ:

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर (जो जिला परिषद् का प्रशासक है) की अध्यक्षता-संयोजन में एक योजना एवं कार्यान्वयन समिति बनाई जा सकती है। जिले से विधान सभा के सदस्यों को इस समिति का सदस्य बनाया जाएगा। निधियाँ जिला परिषद् के एक पृथक बैंक खाते में जमा होंगी जो जिला परिषद् के अध्यक्ष की हैसियत से उपायुक्त के नियंत्रण एवं अधीक्षण में होगा।

(घ) मेघालय:

(i) ग्राम स्तरीय आयोजना:

दक्षिणी गारो हिल्स और पश्चिमी गारो हिल्स दोनों एन.आर.ई.जी.ए. के तहत शामिल हैं। दोनों जिलों में ग्राम रोजगार परिषदें एन.आर.ई.जी.ए. के कार्यान्वयन के लिए गठित की गई हैं। इन संस्थाओं को आगे समर्थन और सहयोग आई.एफ.ए.डी. की प्राकृतिक संसाधन प्रबंध परियोजनाओं के तहत स्थापित सहभागितापूर्ण निकायों से मिलता है। ये स्थापित ग्राम रोजगार परिषदें ग्राम स्तर पर बी.आर.जी.एफ. की आयोजना एवं कार्यान्वयन का कार्य करेंगी। इसी उपागम का अनुसरण री भोई जिले में भी किया जाएगा।

(ii) जिला स्तरीय व्यवस्थाएँ:

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता-संयोजन में एक योजना एवं कार्यान्वयन समिति बनाई जा सकती है। इस समिति में स्वायत्त परिषद सदस्य तथा जिले के विधायक इस समिति के प्रतिनिधियों में शामिल होंगे। निधियाँ जिला समिति के एक पृथक बैंक खाते में जमा होंगी जो अध्यक्ष की हैसियत से उपायुक्त के नियंत्रण एवं अधीक्षण में होगा।

(ड.) मिजोरम:

(i) ग्राम स्तरीय आयोजना:

मिजोरम में सैहा जिला एन.आर.ई.जी.ए. के तहत शामिल है जबकि लोंगतलाई जिला नहीं। इन दोनों जिलों में जिला परिषद् द्वारा पारित कानून के जरिए ग्राम परिषदें गठित की गई हैं। ये परिषदें ग्राम स्तर पर बी.आर.जी.एफ. की आयोजना एवं कार्यान्वयन का कार्य करेंगी। तथापि, आयोजना एवं कार्यान्वयन में महिलाओं को शामिल किया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए उन्हें ग्राम परिषदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(ii) जिला स्तरीय व्यवस्थाएँ

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता-संयोजन में एक योजना एवं कार्यान्वयन समिति बनाई जा सकती है। लांगतलाई जिले में इस कार्यान्वयन समिति में इस जिले की मारा और चकमा स्वायत्त

परिषदों का प्रतिनिधित्व होगा। निधियाँ समिति के एक पृथक बैंक खाते में जमा होंगी जो अध्यक्ष की हैसियत से उपायुक्त के नियंत्रण एवं अधीक्षण में होगा।

(च) नागालैंड

(i) ग्राम स्तरीय आयोजना:

विकास योजनाओं के ग्राम स्तरीय योजना एवं कार्यान्वयन के लिए नागालैंड द्वारा गठित ग्राम विकास बोर्ड बी.आर.जी.एफ. को कार्यान्वित करेंगे। वास्तविक आयोजना एवं कार्यान्वयन के तौर-तरीके वही होंगे जो राज्य सरकार के वी.डी.बी. द्वारा कार्यान्वित सहायता-अनुदान कार्यक्रम के हैं।

(ii) कार्यक्रम के लिए निधियाँ राज्य की समेकित निधि में से जिला योजना और विकास बोर्ड को प्राप्त होंगी तत्पश्चात् इनका उपयोग वी.डी.बी. नियमावली के अनुसार किया जाएगा। जिला योजना विकास बोर्ड इस कार्यक्रम का मानीटरन करने वाला निकाय होगा।

(छ) त्रिपुरा

(i) ग्राम स्तरीय आयोजना:

त्रिपुरा राज्यक्षेत्रीय स्वायत्त जिला परिषद् क्षेत्र में आने वाले धलाई जिले के भाग में ग्राम परिषदें स्थापित की गई हैं। चूँकि धलाई जिला एन.आर.ई.जी.ए. के तहत शामिल है, अतः गाँवों में इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन का कार्य ग्राम परिषदों को सौंपा गया है। स्थापित ग्राम परिषदें ग्राम स्तर पर बी.आर.जी.एफ. की आयोजना एवं कार्यान्वयन का कार्य कर सकती हैं।

(ii) जिला स्तरीय व्यवस्थाएँ:

जिला योजना का समेकन जिला योजना समिति द्वारा किया जाएगा। तथापि, चूँकि धलाई जिला आंशिक रूप से टी.टी.ए.डी.सी. और संविधान के भाग IX के तहत शामिल है, इसलिए डी.पी.सी. में टी.टी.ए.डी.सी. के प्रतिनिधियों को टी.टी.ए.डी.सी. क्षेत्र की जनसंख्या के आधार पर आवश्यक प्रतिनिधित्व दिए जाने की आवश्यकता होगी। चूँकि धलाई जिले में जनजातीय जनसंख्या की बहुलता है अतः धलाई से टी.टी.ए.डी.सी. के लिए चुने गए जनजातीय प्रतिनिधि को जिला योजना समिति का अध्यक्ष प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए।

चूँकि यह जिला टी.टी.ए.डी.सी. और पार्ट IX दोनों क्षेत्रों में फैला हुआ है अतः जिला कलेक्टर को डी.पी.सी. का सदस्य सचिव बनाया जाए। जबकि इस कार्यक्रम की निधियाँ दोनों क्षेत्रों, संविधान के पार्ट IX और स्वायत्त परिषद क्षेत्रों में जानी चाहिए इसलिए यह सुझाव दिया जाता है कि ये निधियाँ जिला योजना समिति के एक पृथक खाते में जमा हों जो उपायुक्त के नियंत्रण और अधीक्षण में हो।

5.7 गैर-पार्ट IX क्षेत्रों में विशेष मानीटरन व्यवस्थाएँ:

संबद्ध राज्य विभाग इस योजना के कार्यान्वयन का सघन मानीटरन सुनिश्चित करेगा और आवधिक प्रगति रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा। एक और अथवा अधिक स्वतंत्र संगठनों की पहचान कर उन्हें कार्यान्वयन के मानीटरन का कार्य सौंपा जा सकता है।

पंचायती राज मंत्रालय स्वयं भी इस योजना के कार्यान्वयन के मानीटरन एवं मूल्यांकन का कार्य प्रत्यक्ष रूप से अथवा अपने द्वारा नियुक्त स्वतंत्र एजेंसियों के माध्यम से कर सकता है।

अनुलग्नक-1
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि – जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1.	आदिलाबाद	2.	अनंतपुर	3.	चित्तूर	4.	कड़प्पा
5.	करीमनगर	6.	खम्मम	7.	महबूबनगर	8.	मेडक
9.	नलगोंडा	10.	निज़ामाबाद	11.	रंगारेड्डी	12.	विजयनगरम
13.	वारंगल						

अरुणाचल प्रदेश

1.	ऊपरी सुबनसिरी
----	---------------

असम

1	बरपेटा	2.	बोंगाईगांव	3.	कछार	4	धेमाजी
5	ग्वालपाड़ा	6.	हैलाकांडी	7.	कर्बी अंगलौंग	8.	कोकराझार
9	मालीगांव	10.	उत्तरी लखीमपुर	11	उ. कछार हिल्स		

बिहार

1.	अररिया	2.	औरंगाबाद	3.	बांका	4.	बेगूसराय
5.	भागलपुर	6.	भोजपुर	7.	बक्सर	8.	दरभंगा
9.	गया	10.	गोपालगंज	11.	जमुई	12.	जहानाबाद
13	कैमूर / भबुआ	14	कटिहार	15.	किशनगंज	16.	खगड़िया
17	लखीसराय	18	मधेपुरा	19.	मधुबनी	20.	मुंगेर
21	मुजफ्फरपुर	22.	नालंदा	23.	नवादा	24.	पटना
25	प. चम्पारण	26	पूर्वी चंपारण	27.	पुर्णिया	28.	रोहतास
29.	सहरसा	30.	समस्तीपुर	31.	सारण	32.	शेखपुरा
33.	शिवहर	34.	सीतामढ़ी	35.	सुपौल	36.	वैशाली

छत्तीसगढ़

1.	बस्तर	2.	बिलासपुर	3.	दांतेवाड़ा	4.	धमतरी
5.	जशपुर	6.	कांकेर	7.	कवर्धा	8.	कोर्बा
9.	कोरिया	10.	महासमुंद	11.	रायगढ़.	12.	राजनादगांव
13.	सरगुजा						

गुजरात

1.	बनास कंठा	2.	डांग	3.	दहोद	4.	नर्मदा
5.	पंचमहल	6.	साबरकंठा				

हरियाणा

1.	मोहिन्दरगढ़	2.	सिरसा
----	-------------	----	-------

हिमाचल प्रदेश

1.	चंबा	2.	सिरमौर
----	------	----	--------

जम्मू कश्मीर

1.	डोडा	2.	कृपवाड़ा	3.	पुंछ
----	------	----	----------	----	------

झारखंड

1.	बोकारो	2.	चतरा	3.	देवगढ़	4.	धनबाद
5.	दुमका	6.	गढ़वा	7.	गिरिडीह	8.	गोड्डा
9.	गुमला	10.	हजारीबाग	11.	जमतारा	12.	कोडरमा
13.	लातेहर	14.	लोहरदग्गा	15.	पश्चिम सिंहभूम	16.	पकुर
17.	पलामू	18.	रांची	19.	साहिबगंज	20.	सरायकेला
21.	सिमदेगा						

कर्नाटक

1.	बीदर	2.	चित्रदुर्ग	3.	दावणगेरे	4.	गुलबर्गा
5.	रायचूर						

केरल

1.	पलक्काड	2.	वायनाड
----	---------	----	--------

मध्य प्रदेश

1.	बालाघाट	2.	बरवानी	3.	बेतूल	4.	छतरपुर
5.	दमोह	6.	धार	7.	डिंडोरी	8.	गुना
9.	झाबुआ	10.	कटनी	11.	खंडवा	12.	मंडला
13.	पन्ना	14.	राजगढ़	15.	रीवां	16.	सतना
17.	सिवनी	18.	शाहडोल	19.	श्योपुर	20.	शिवपुरी
21.	सीधी	22.	टीकमगढ़	23.	उमरिया	24.	प. नमाड

महाराष्ट्र

1.	अहमदनगर	2.	अमरावती	3.	बेतूल	4.	भंडारा
5.	चंद्रपुर	6.	घुले	7.	गढ़चिरोली	8.	गोंदिया
9.	हिंगोली	10.	नांदेड	11.	नंदुरबार	12.	यवतमाल

मणिपुर

1.	चंदेल	2.	चूड़ाचांदपुर	3.	तामंग
----	-------	----	--------------	----	-------

मेघालय

1.	री भोई	2.	द. गारो हिल्स	3.	प. गारो हिल्स
----	--------	----	---------------	----	---------------

मिजोरम

1.	लौगतलाई	2.	सिआहा
----	---------	----	-------

नागालैंड

1.	मोन	2.	तामंग	3.	वोर्खा
----	-----	----	-------	----	--------

उड़ीसा

1.	बोलांगीर	2.	बौध	3.	देवगढ़	4.	ढेंकनाल
5.	गजपति	6.	गंजम	7.	झारसूगुड़ा	8.	कालाहांडी
9.	क्योंझर	10.	कोरापुट	11.	मलकानगिरि	12.	मयूरभंज
13.	नबरंगपुर	14.	नुआपाड़ा	15.	फूलबनी	16.	रायगाडा
17.	संबलपुर	18.	सोनापुर	19.	सुंदरगढ़		

पंजाब

1.	होशियारपुर
----	------------

राजस्थान

1.	बांसवाड़ा	2.	बाड़मेर	3.	चित्तोड़गढ़	4.	डूंगरपुर
5.	जैसलमेर	6.	जालौर	7.	झालावाड़	8.	करोली
9.	सवाई माधोपुर	10.	सिरोही	11.	टोंक	12.	उदयपुर

सिक्किम

1.	सिक्किम उत्तर
----	---------------

तमिलनाडु

1.	कुड्डलोर	2.	डिंडीगुल	3.	नागपट्टिणम	4.	शिवगंगई
5.	तिरुवन्नमलै	6.	विल्लुपुरम				

त्रिपुरा

1.	ढलाई
----	------

उत्तर प्रदेश

1.	अंबेडकर नगर	2.	आजमगढ़	3.	बहराइच	4.	बलरामपुर
5.	बांदा	6.	बाराबंकी	7.	बस्ती	8.	बदायूं
9.	चंदौली	10.	चित्रकूट	11.	इटावा	12.	फर्रुखाबाद
13.	फतेहपुर	14.	गोंडा	15.	गोरखपुर	16.	हमीरपुर
17.	हरदोई	18.	जालौन	19.	जौनपुर	20.	कौशाम्बी
21.	कुशीनगर	22.	लखीमपुर खीरी	23.	ललितपुर	24.	महाराजगंज
25.	महोबा	26.	मिरजापुर	27.	प्रतापगढ़	28.	रायबरेली
29.	संत कबीरनगर	30.	श्रावस्ती	31.	सिद्धार्थनगर	32.	सीतापुर
33.	सोनभद्र	34.	उन्नाव				

उत्तरांचल

1.	चमोली	2.	चंपावत	3.	टिहरी गढ़वाल
----	-------	----	--------	----	--------------

पश्चिम बंगाल

1.	बांकुड़ा	2.	बीरभूम	3.	द. दिनाजपुर	4.	जलपाईगुड़ी
5.	माल्दा	6.	मेदिनीपुर पूर्व	7.	मेदिनीपुर प.	8.	मुर्शिदाबाद
9.	पुरुलिया	10.	द. 24 परगना	11.	उ. दिनाजपुर		

अनुबंध -2 ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं के लिए दिशानिर्देश

सं. एम-13011/1/2006-एस.पी.-समन्वय
योजना आयोग

(राज्य योजना प्रभाग)

.....

विषय : 11वीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं के लिये दिशानिर्देश

1. प्रस्तावना

सन 1950 में नियोजित विकास के शुरु से ही प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट स्थायी निधि पर आधारित एकीकृत स्थानीय क्षेत्र योजनाओं की आवश्यकता महसूस की गई थी। तथापि अनेक रिपोर्टों और अध्ययनों के बावजूद ऐसी योजना के छुटपुट प्रयास और अलग-थलग मामले ही सामने आये थे। क्षेत्रीय योजनाओं और एक जैसे कार्यक्रमों के जरिये अधिकांश विकास किया गया था जिससे निष्कर्ष सीमित निकले और संसाधनों का अपव्यय हुआ। संविधान के 73वे और 74वे संशोधनों ने ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायतों और जिला पंचायत स्तर पर तथा शहरी स्थानीय सरकारों में स्थानीय योजना की वकालत की और प्रत्येक जिले में जिला योजना की स्थापना हुई। हालांकि संवैधानिक आदेशपत्र को लागू हुए 14 से भी अधिक वर्ष हो चुके हैं, कुछ ही क्षेत्रों को छोड़कर बहुत कम प्रगति हुई है।

यह निर्णय लिया गया है कि 'जिला योजना प्रक्रिया' 11वीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) और वार्षिक योजना 2007-2008 को तैयार करने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए। इसे देखते हुए पंचायती राज मंत्रालय ने योजना आयोग के परामर्श से 2005 में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था।

निचले स्तर पर योजना से संबंधित विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट मार्च 2006 में सरकार को प्रस्तुत कर दी गई थी। इसे पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और तथा इसे अप्रैल-मई 2006 में राज्यों को परिचालित किया गया था। रिपोर्ट के अध्याय 3 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है। यह परिपत्र राज्यों द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना 2007-2008 के तैयार किए गये प्रस्तावों का एक हिस्सा है।

11. जिला योजना :

जिला योजना उपलब्ध संसाधनों (प्राकृतिक, मानवीय और वित्तीय) को ध्यान में रखते हुए जिले में स्थानीय सरकारें क्षेत्र के लिये एक समन्वित योजना तैयार करने की एक प्रक्रिया है तथा इसमें जिला स्तर और उससे नीचे के स्तर पर सौंपे गये तथा राज्य में स्थानीय सरकारों के जरिये कार्यान्वित किये जाने वाले कार्य क्षेत्रीय कार्यकलापों और योजनाओं को शामिल किया गया है।

जिस दस्तावेज में संसाधनों का यह विवरण तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये उनका आबंटन शामिल होता है, उसे जिला योजना कहा जाता है। इसके मुख्य रूप से तीन पहलू होते हैं अर्थात् :

1. ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा उन्हें सौंपे गये कार्यकलापों तथा उनके द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय/राज्यीय योजनाओं, जिनके पास अपने संसाधन हों और इन्हें इन प्रयोजनों के लिये निर्धारित किया गया हो, की योजना तैयार करना;
2. शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उन्हें सौंपे गये कार्यकलापों तथा उनके द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय/राज्यीय योजनाओं, जिनके पास अपने संसाधन हों और इन्हें इन प्रयोजनों के लिये निर्धारित किया गया हो, की योजना तैयार करना;
3. ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों की योजना का भौतिक एकीकरण जिन्हें जिले की भौगोलिक सीमाओं के भीतर कार्यान्वित किया जाता है।

जिला योजना समिति (डी पी सी) द्वारा इन सभी तीनों पहलुओं पर विचार किया जाएगा और इन्हें जिला योजना में शामिल किया जाएगा। यह पूरी तरह स्पष्ट है कि जिला योजनाओं को अलग-थलग तैयार नहीं किया जा सकता और इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था के गैर-सरकारी क्षेत्रों की संभावित गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। इनमें से निम्नलिखित महत्वपूर्ण हैं :

1. स्व-सहायता समूहों, सहकारी समितियों आदि जैस जन समूहों की गतिविधियों से उभरने वाली योजनाएं।
2. वाणिज्यिक बैंकों (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, दोनों) नाबार्ड, सहकारी बैंकों और समकक्ष बैंकों की स्थानीय शाखा (शाखाओं) जैसे वित्तीय संस्थानों से उभरने वाली योजनाएं।
3. जिले में मौजूद गैर-सरकारी संगठनों (आई एन जी ओ)/एन जी ओ एस और द्विपक्षीय एजेंसियों की योजनाएं।
4. अन्य निजी एजेंटों की योजनाएं जिनका सरकार के कार्यकलापों पर प्रभाव पड़ता हो अथवा वे सरकार से यह अपेक्षा करते हों कि सरकार जहां तक उनके क्षेत्रीय कार्यों/सेवा सुपुर्दगी का संबंध है, उनके विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करेगी।

111. राज्य स्तर पर किये जाने वाले उपाय :

राज्य सरकारें (राज्य योजना आयोग/बोर्ड/विभाग) निम्नलिखित के लिये तत्काल कदम उठा सकती हैं **यदि ऐसा पहले न किया गया हो** :

- 1- स्थानीय सरकारों के विभिन्न स्तरों द्वारा शुरू की जाने वाली **गतिविधियों** को पूरा करना;
2. संविधान में की गई कल्पना के अनुसार जिला योजना समितियां (डी पी सी) का गठन करना, अर्थात् प्रत्येक जिले में पंचायत के निर्वाचित सदस्यों और शहरी स्थानीय सरकारों से 80 प्रतिशत सदस्यों का चुनाव किया जाए तथा बकाया 20 प्रतिशत सदस्यों को राज्य सरकारों द्वारा विशेषकर विशेषज्ञों के रूप में नामित किया जाए;
3. डी पी सी और स्थानीय सरकारों को नीचे भाग 4 में दर्शाए अनुसार दिशानिर्देश जारी किये जाएं;
4. राज्य योजना के स्थानीय सरकारी घटक के वितरण के फार्मूले पर निर्णय लेना तथा संसाधनों के व्यापक आर्डर का उल्लेख करना जो पिछले 5 वर्षों/एक वर्ष (2007-2008) के लिये विभिन्न स्तरों (प्रत्येक स्थानीय सरकार के लिये) पर उपलब्ध होगा— यह क्षेत्रवार और उन्मुक्त होगा;
5. संसाधनों का उल्लेख करें जो प्रत्येक स्थानीय सरकार के लिये केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के जरिये केन्द्रीय स्रोतों, विशेष आबंटनों, जिनमें वित्त आयोग के संसाधन भी शामिल हैं आदि को व्यापक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा;
6. जिला योजना का प्रारूप तैयार करें तथा संवीक्षा के बाद जिला योजनाओं के सार को भाग 4 में दर्शाए गये प्रपत्र में प्रस्तुत करें। इसके साथ-साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना/वार्षिक योजना 2007-08 के प्रस्तावों को भी प्रस्तुत करें।

iv. जिला योजना तैयार करना :

जिला योजना के प्रारूप को तैयार करते समय निचले स्तर पर योजना संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के अध्याय 3 में विस्तृत विभिन्न उपायों का आमतौर पर पालन किया जाना चाहिये (अनुबंध-1 में उपलब्ध कराया गया है)। विकास और क्षमता सहित संसाधनों की मौजूदा स्थिति विभिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिये नवीनतम प्रौद्योगिकी का इंतजार करना जरूरी नहीं है। आंतरिक क्षमताओं में सुधार करने के लिये अलग-अलग उपाय किये जा सकते हैं।

निम्नलिखित उपायों का सुझाव दिया जाता है :

1. प्रत्येक स्थानीय सरकार के लिये उपलब्ध आंकड़ों को एकसाथ रखा जाए। इस संबंध में राज्य सरकार की एजेंसियों, विभागों और जिला सांख्यिकीय संगठनों (केन्द्रीय और राज्य) द्वारा उनकी मदद की जानी चाहिए। आंकड़ों की कुछ अनिवार्य मदें सुझाए गए रूप में अनुबंध-॥ में दी गई हैं।
2. इन आंकड़ों के आधार पर जिला और भागीदारी मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक स्थानीय सरकार द्वारा 10 से 15 वर्ष के लिये एक विजन दस्तावेज तैयार किया जाना चाहिए। इस संबंध में डी पी सी स्थानीय सरकारों तथा अन्य प्रमुख शैयर धारकों के साथ औपचारिक बातचीत कर सकती है तथा इन्हें अंतिम रूप दिया जा सकता है। दस्तावेज में पिछड़ेपन/विकास की कमियों के प्रमुख कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए तथा विकास में बाधा बनने वाले मुद्दों का समाधान किया जाना चाहिए। इसमें निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे :

- कृषि और संबद्ध क्षेत्र (जैसा प्रासंगिक हो)
- जल स्रोतों की उपलब्धता और विकास
- उद्योग— विशेषकर परम्परागत, खाद्य प्रसंस्करण सहित लघु उद्योग
- विद्युत सहित आधारभूत ढांचा
- पेय जल और स्वच्छता
- साक्षरता, स्कूल शिक्षा
- स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाएं
- गरीबी उपशमन और बुनियादी आवश्यकताएं
- स्त्री-पुरुष और बच्चे
- सामाजिक न्याय—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विकलांग इत्यादि।

3. विजन दस्तावेज तैयार करने में डी पी सी की सहायता करने (और तत्पश्चात योजना प्रस्तावों की संवीक्षा करना) के लिये प्रत्येक जिले में एक तकनीकी सहायता समूह का गठन किया जाए। इसमें विभागीय अधिकारी (जहां उपलब्ध हों) को उनके कर्तव्यों के अतिरिक्त जिस उद्देश्य के लिये उन्हें नामित किया गया है या स्थानीय तौर पर उपलब्ध सेवानिवृत्त व्यक्ति या कोई स्थानीय शैक्षिक संस्थान या कोई स्थापित गैर-सरकारी संगठन जिसका अच्छा रिकार्ड हो, शामिल होना चाहिए—इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों, मध्यवर्ती

पंचायतों और ग्राम पंचायतों के लिये उपयुक्त तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जानी चाहिए।

4. यदि इसे एक अभियान के रूप में शुरू किया जाए तो विजन दस्तावेज को दो महीने के समय में तैयार किया जा सकता है।
5. इसके अलावा, यदि जिला योजना प्रक्रिया के लिये आर्थिक ईकाई हो तो विजन दस्तावेज के दायरे को बढ़ाकर इसमें प्रत्येक जिले के तुलनात्मक लाभप्रद क्षेत्रों (तकनीकी संस्थानों, बी पी ओ, पर्यटन, कृषि उद्योग आदि की उपलब्धता) को शामिल किया जा सकता है।
6. विजन दस्तावेज के आधार पर तथा समान भागीदारी प्रक्रिया को अपनाकर आवश्यकताओं को पंचवर्षीय अवधि के अनुसार लक्ष्य निर्धारित करके प्राथमिकता दी जा सकती है तथा पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को नीचे दिये अनुसार दर्शाया जा सकता है :

क) योजना तैयार करने के प्रारूप की शुरुआत ग्राम सभा स्थल से की जानी चाहिए। ग्राम पंचायत अपनी योजना को ग्राम सभा से उभरने वाली प्राथमिकताओं के आधार पर अंतिम रूप दे सकता है तथा मध्यवर्ती पंचायत के लिये सुझाव दे सकता है। ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं और गतिविधियों को "ग्राम पंचायत योजना" में शामिल किया जाना चाहिए। ऐसी परियोजनाएं और गतिविधियां जिन्हें एक या उससे अधिक ग्राम पंचायतों में ही कार्यान्वित किया जा सकता हो, को मध्यवर्ती पंचायतों में भेजा जाएगा, जो उन्हें "मध्यवर्ती पंचायत योजना" में शामिल करने पर विचार करेंगी। *ग्राम पंचायत योजनाओं में सामुदायिक योगदान का अनुमान उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिसे विकास योजना को लागू करने के उद्देश्य से जुटाया जा सकता है।*

ख) ग्राम पंचायतों से प्राप्त इन सुझावों तथा अपनी निजी प्राथमिकताओं के आधार पर मध्यवर्ती पंचायत को अपनी योजना को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर कार्यान्वित की जा सकने वाली योजनाओं और गतिविधियों को "मध्यवर्ती पंचायत योजना" के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। जिन परियोजनाओं और गतिविधियों को **एक से अधिक** मध्यवर्ती पंचायत में कार्यान्वित किये जाने की आवश्यकता है, को लिये पंचायत को भेजा जाएगा जो उन्हें "जिला पंचायत योजना" में शामिल करने पर विचार करेंगी।

- ग) ग्राम पंचायत योजनाओं, मध्यवर्ती पंचायत योजना और जिला पंचायत योजना के आधार पर जिला योजना समिति द्वारा जिले के लिये जिला योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
- घ) शहरी स्थानीय सरकारों में भी इसी तरह की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। प्रत्येक स्थानीय सरकार को जिला योजना के विभागीय घटकों में अलग-अलग सुझाव देने के लिये कहा जाना चाहिए।
7. उपर्युक्त पैरा 6 में विभिन्न उपायों की समय-सीमा को दर्शाया जाना चाहिए। इसी प्रकार राज्य योजनाओं सहित एकीकृत जिला योजनाओं की समय-सीमा को भी 11वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत के समय उपलब्ध सीमित समय को भी दर्शाए जाने की आवश्यकता है।
8. प्रत्येक स्थानीय सरकार के योजना प्रस्ताव का प्रारूप अनुमोदित कार्यक्रम तथा केन्द्रीय प्रायोजित फ्लेगशिप तथा संबंधित कार्यक्रमों (जहां कहीं लागू हों) के अनुसार होने चाहिये।
9. योजना प्रस्तावों के प्रारूप में उपर्युक्त पैरा (2) में उपलब्ध क्षेत्रों को शामिल किया जाना चाहिए तथा ये उत्पादन, रोजगार, आधारभूत ढांचा और मानव विकास के संभावित निष्कर्षों का उल्लेख करेंगे।
10. हालांकि उपर्युक्त पैरा (6), (7), (8) और (9) के अनुसार योजना का प्रारूप बनाते समय संबंधित राज्य सरकार विकासात्मक योजनाओं तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं और बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाओं जो उन्हें कार्यान्वयन के लिये सौंपी गई हैं, के जिला घटकों को ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा, राज्य योजना के घटकों, जिले के भौगोलिक क्षेत्र में कार्यान्वित किया जा रहा है, सहित जिला योजना के भौतिक एकीकरण पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है। जिले में स्थित राज्य योजना की इन मदों के संबंध में संसाधन और परिव्यय (जिन्हें स्थानीय निकायों के माध्यम से कार्यान्वित नहीं किया गया है) को स्थानीय निकायों के योजना संसाधनों तथा परिव्ययों में शामिल नहीं किया जाएगा।
11. जिला योजना के स्थानीय सरकारी घटक संसाधनों से उत्पन्न होंगे जिनमें निम्नलिखित निधि स्रोत शामिल होंगे :
- क) विकास के लिये उपलब्ध निजी संसाधन।

- ख) विकास प्रयोजनों के लिये राज्य वित्त आयोग द्वारा स्थानांतरण।
- ग) राज्य सरकार द्वारा पारित 12वें वित्त आयोग के अनुदान।
- घ) स्थानीय योजना के लिये मुक्त अनुदान।
- ड.) केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के संबंध में अनुदान जिन्हें कार्यान्वयन के उद्देश्य से स्थानीय निकायों को सौंपा गया है।
- च) राज्य योजना स्कीमों के लिये अनुदान जिन्हें स्थानीय सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिये सौंपा गया है।
- छ) बाहरी समर्थन प्राप्त योजनाओं के लिये अनुदान जिन्हें स्थानीय सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन के लिये सौंपा गया है।
- ज) समुदायों द्वारा स्वयं के लिये अनुमानित अंशदान।
12. डी पी सी दो चरणों— पंचायत योजना और शहरी क्षेत्रीय योजना को सुदृढ़ करेगी, और उन्हें जिले के लिये विकासात्मक योजनाओं के साथ जोड़ेगी ता पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना के प्रारूप को तैयार करेगी।
13. राज्य योजना आयोग/बोर्ड/विभाग उपर्युक्त दिशानिर्देशों को जारी करेगा और जिला योजना दस्तावेज के व्यापक ढांचे का सुझाव देगा। और साथ ही दस्तावेज के साथ प्रपत्र संलग्न करेगा।

V. राज्य के 11वें योजना प्रस्ताव के भाग के रूप में प्रस्तुति :

1. राज्य के 11वीं पंचवर्षीय और वार्षिक (2007) योजना प्रस्तावों के भाग के रूप में जिला योजनाओं का एक सार प्रस्तुत करना होगा।
2. इस उद्देश्य के लिये स्थानीय सरकारों के अधिकारों की वर्तमान स्थिति तथा स्थानीय सरकारों के सभी स्तरों पर तैयार किये गये स्थानीय प्रारूप योजनाओं को प्राप्त करने के लिये अपनाई गयी प्रक्रिया पर एक नोट योजना प्रस्तावों के साथ संलग्न किया जाएगा।
3. सार विवरण संलग्न अनुबंध—।।। प्रपत्र के साथ प्रस्तुत किया जाएगा जो राज्य योजना प्रस्तावों के लिये सामान्यतः अपनाए जाने वाले प्रपत्रों के अलावा होगा (वार्षिक योजना में संदर्भित प्रपत्र पंचवर्षीय योजना के समान हो सकते हैं)।
4. राज्य में जिला योजनाओं पर परिव्यय का कुल योग सकल राज्य योजना परिव्यय का लगभग 40 प्रतिशत होगा*।

(अवतार सिंह सहोता)
निदेशक (एस पी-समन्वय)

25.08.2006

राज्य/संघ शासित क्षेत्रों के योजना सचिव

प्रतिलिपि :

1. योजना आयोग में प्रधान सलाहकार/सलाहकार/विभागाध्यक्ष
2. उपाध्यक्ष/सदस्य/सदस्य-सचिव के निजी सचिव

प्रतिलिपि इन्हें भी दी जाए :

1. सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली
-

* सकल योजना परिव्यय में केन्द्रीय प्रायोजित योजना का केन्द्रीय अंश शामिल है। इस प्रकार राज्य योजना परिव्यय + सी सी एस का केन्द्रीय अंश।

अध्याय-3

पंचायत के सभी स्तर पर जिला और उप-जिला योजना का गठन

- 3.1 जिला योजना का उद्देश्य स्थानीय क्षेत्र के एकीकृत, भागीदारीपूर्ण समन्वित विकास हासिल करना है। इस संबंध में अनिवार्य कदम यह सुनिश्चित करना है कि किसी स्तर पर पंचायत या नगरपालिका को योजना इकाई के रूप में समझा जाता है और 'जिला योजना' को इन योजनाओं के सुदृढ़ और एकीकरण के जरिये निर्माण किया जाता है तथा जिले का विकास किया जाता है। यह दो-तरफा सक्रिय कार्रवाई है और जिले को सुविधाजनक स्थानीय क्षेत्र के रूप में देखा जाता है।
- 3.2 जैसाकि अब प्रचलित है जिला योजना की अवधारणा का इस बात को देखते हुए कोई महत्व नहीं है कि अधिकांश विभागों की योजनाओं में उनके दिशानिर्देशों, अलग और स्वतः स्पष्ट 'योजना' प्रक्रिया की परिकल्पना की गई है। इस प्रवृत्ति को रोकने का एक तरीका यह सुनिश्चित करना है कि शब्द "प्लान" का सीमित प्रयोग किया जाए, जिसका अर्थ "प्लान" जो प्रत्येक स्थानीय सरकार के स्तर पर तैयार किया जाता है, से होगा। क्षेत्रीय योजना प्रयासों का "कार्यक्रमों" के रूप में उल्लेख किया जाएगा। इस प्रकार "प्लान" सम्पूर्ण मिश्रित होगा जिसमें परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर अनेक कार्यक्रम शामिल होंगे। हिन्दी भाषा में इसका अर्थ 'योजना' होगा और इसमें अनेक क्षेत्रीय "कार्यक्रम" होंगे। इसमें क्षेत्रीय कार्यक्रमों को परस्पर लागू करने पर बल दिया जाएगा। इसमें यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि संसाधनों का अपव्यय न हो। एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें आगा-पीछा सोचकर परामर्श किया जाएगा क्योंकि भागीदार संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्राथमिकता तय करने का प्रयास करेंगे। इस परामर्शी प्रक्रिया में ढांचे के अभाव के कारण योजना में अनिश्चित रूप से विलंब हो सकता है, फिर भी बहुत अधिक कर्म परम्परा और कठोरता के कारण चर्चा लंबी हो सकती है और इसमें अंततः अनिवार्य भागीदार शामिल नहीं भी हो सकते हैं। परामर्श के अवसर खुले होंगे लेकिन योजना अनुमोदन से पूर्व बहुत अधिक कदम नहीं उठाए जाएंगे।
- 3.3 विशेषज्ञ समूह का मानना है कि विकेन्द्रीकृत योजना की प्रक्रिया का स्वरूप व्यापक होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना को निचले स्तर से ऊपरी स्तर तक तैयार करने का क्रम एक विकेन्द्रीकृत परिकल्पना और जायजा लेने की प्रक्रिया हो सकती है, जिसके बाद प्रत्येक स्थानीय निकाय स्तर पर योजना प्रक्रिया अपनाई जाएगी तथा तत्पश्चात प्रक्रिया सुदृढ़ और

एकीकृत होगी। परिकल्पना प्रक्रिया में यह देखा जाएगा कि कैसे प्रमुख प्राथमिकताओं तथा भागीदारी प्रक्रिया को तय किया जाएगा, जिसमें सभी श्रेय धारकों को शामिल किया जाएगा। यहां पंचायत निर्वाचित सदस्यों के प्रतिनिधित्व रूपरेखा के रूप में मुद्दों— उदाहरण के लिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 40 प्रतिशत से अधिक सीटों पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व होता है तथा अनु. जाति तथा अनु.जनजाति का प्रतिनिधित्व उनके लिये आरक्षित सीटों से अधिक होता है, का परिकल्पित प्रक्रिया पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। वास्तव में पंचायती राज शासन, परिकल्पना और कार्यान्वयन दोनों क्षेत्रों में महिलाओं के अधिक सशक्त प्रतिनिधित्व को दर्शाता है। इसके बाद पंचायत के प्रत्येक स्तर पर योजना प्रक्रिया में वास्तविक प्रक्रिया को शामिल किया जाएगा। तीसरा, वह प्रक्रिया है जिसमें जिला योजना समिति द्वारा योजनाओं का सुदृढीकरण और एकीकरण शामिल होता है। इस अध्याय में पहले दो उपायों—विकेन्द्रीकृत परिकल्पना और परियोजना शामिल हैं। योजनाओं का सुदृढीकरण और एकीकरण अगले अध्याय में दिया गया है तथा इसमें जिला योजना समिति के कार्य भी शामिल हैं।

3.4 जिला परिकल्पना का निर्माण :

3.4.1 वर्ष 2006—07 के शुरू में प्रत्येक जिले में निचले स्तर पर शुरुआत करते हुए भागीदारी प्रक्रिया के माध्यम से परिकल्पना तैयार की जाएगी कि अगले 10 से 15 वर्षों के बीच भावी विकास क्या होगा। बुनियादी तौर पर प्रत्येक योजना ईकाई में ग्राम पंचायत स्तर तक परिकल्पना का निर्माण किया जाएगा, तथा प्रत्येक क्षेत्र के संबंध में आवश्यकताओं और क्षमताओं का स्तर क्या होगा तथा क्या लक्ष्य निर्धारित किये जाएंगे, का उल्लेख किया जाएगा। मूल आवश्यकता यह है कि परिकल्पना को तैयार करते समय योजना और कार्यक्रमों में शर्तें नहीं रखी जाएंगी। परिकल्पना मुख्य रूप से लक्ष्य और नतीजों पर आधारित होगी और इसमें बुनियादी तौर पर विकास के तीन पहलू शामिल होंगे अर्थात् मानव विकास सूचकांक, आधारभूत ढांचा विकास और उत्पादक क्षेत्र में विकास। इसका उद्देश्य यह है कि परिकल्पना प्रक्रिया के भागीदारपूर्ण होते हुए भी इसमें टीमवर्क की भावना होगी और विभागवार 'योजना' प्रक्रिया का ब्यौरा होगा जो अब प्रमुख बात है।

3.4.2 बुनियादी मानव विकास सूचकांकों के लिये परिकल्पना निर्माण करने से मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला और बाल कल्याण, सामाजिक न्याय तथा न्यूनतम बुनियादी सेवाओं की उपलब्धता शामिल होगी। प्रत्येक पंचायत अपनी परिकल्पना में यह प्रस्ताव कर सकती है कि वह एक विशिष्ट समयावधि में ऐसे प्रत्येक पहलू के विनिर्दिष्ट स्तर को प्राप्त करेंगे। चरण दर

चरण दृष्टिकोण की परिकल्पना नहीं की गई है— उदाहरण के लिये ऐसे जिले जो साक्षरता की दृष्टि से राष्ट्रीय औसत में नीचे हैं, के लिये पहला उपाय यह होगा कि वे औसत स्तर को प्राप्त करें और उसके बाद वांछित स्तर को हासिल करें। इसी प्रकार की परिकल्पना शिक्षा, स्वास्थ्य, जलापूर्ति और स्वच्छता आदि के संबंध में प्राप्त की जा सकती है। महिला एवं उपेक्षित वर्गों के समूहों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे योजना में प्रमुख भूमिका निभा सकें। महिलाओं को विकास योजना तथा कार्यान्वयन में शामिल करने तथा निधियों का आबंटन करने का उद्देश्य महिलाओं की घटक योजना को विशेष प्रस्ताव देना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि क्षेत्रीय वित्त पोषण का एक भाग महिलाओं के लिये उपलब्ध हो और इसका इस्तेमाल उन्हीं के लिये किया जाए। तथापि, आवश्यकता इस बात की है कि पूरी परिकल्पना प्रक्रिया में समानता को बनाए रखा जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि उनकी मात्र एक महिला घटक की बजाय सम्पूर्ण पंचायत योजना के निर्माण में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका हो। उदाहरण के लिये योजना प्रक्रिया में शामिल सर्वेक्षणों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं के विचारों को विशेष रूप से प्राप्त किया जाए जिसमें समूह चर्चा पर ध्यान केन्द्रित किया जाए। महिला सामुदायिक नेतृत्व की पहचान किये जाने की जरूरत है और इसे समितियों में शामिल किया जाए, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत बनाया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि महिलाओं को अन्य सामाजिक विकास जैसे आधारभूत ढांचा, सामान्य भूमि उपयोग, प्राकृतिक संसाधन और रोजगार की तुलना में क्षेत्रों की योजना में शामिल किया जाए। परिकल्पना प्रक्रिया में दलित और महिलाओं जैसे पारम्परिक रूप से पिछड़े और बहिष्कृत समूहों की उद्देश्यपूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये यह जरूरी है कि उनके लिये विशेष क्षमता निर्माण किया जाए। निर्वाचित महिला सदस्यों के नेटवर्क को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि वे सामुहिक दबाव का सामना कर सकें तथा गांव और जिला योजनाओं के अर्थपूर्ण विकास में नेतृत्व कर सकें, जिनमें महिलाओं के विचारों को महत्व दिया जाता हो। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि महिलाओं को अधिकार दिया जाए ताकि उनकी शक्ति को दूसरे लोग समझ सकें और महिलाओं द्वारा पता लगाई गई विकास प्राथमिकताओं का सम्मान किया जाए। यह प्रक्रियाएं जिला परिकल्पना का निर्माण करने में भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया का हिस्सा बन सकती हैं।

- 3.4.3 ढांचागत परिकल्पना के संबंध में भारत निर्माण के अंतर्गत लक्षित उद्देश्यों को प्रत्येक जिले के अनुसार लागू किया जा सकता है। उत्पादक क्षेत्र की परिकल्पना में इस बात पर विचार

किया जाएगा कि जिले की क्षमता क्या है और योजनावधि के अंतर्गत जिले में उपलब्ध प्राकृतिक और मानवीय संसाधनों पर विचार करते हुए क्या हासिल किया जा सकता है। इनमें प्राकृतिक संसाधनों के इस्तेमाल जैसे खाद्य और कृषि उत्पादन, भूमि और इसमें सुधार, सिंचाई और जल सुरक्षा प्राप्त करना आदि सभी पहलुओं पर बारीकी से विचार किया जाएगा। परिकल्पना में राष्ट्रीय, राज्य और निजी विकास प्रयासों के परिणामस्वरूप होने वाले परिवर्तनों पर संभावित स्थानीय प्रक्रिया को भी शामिल किया जाएगा।

3.4.4 देश में ऐसे अनेक जिले हैं जहां मानव विकास सूचकांक से संबंधित बुनियादी लक्ष्यों को पहले ही प्राप्त कर लिया जा चुका है। ऐसे जिलों में परिकल्पना के अगले स्तर पर विचार किया जाना चाहिए, मूल रूप से यह आधारभूत ढांचे और आर्थिक विकास, पारम्परिक उद्योग का आधुनिकीकरण और लोगों की दक्षता का तकनीकी विकास होना चाहिए।

3.5 पंचायतों तथा अन्य स्थानीय निकायों में चर्चा के जरिये जिला परिकल्पना का विकास :

3.5.1 यह अनिवार्य है कि जिला परिकल्पना को सभी के द्वारा अपनाया जाए। परिकल्पना को तैयार करने में अत्यधिक भागीदारी की जरूरत होगी। जिला परिकल्पना को तैयार करने में वार्ड और ग्राम सभाओं को पूरी तरह से शामिल करना होगा। योजना की प्रक्रिया में सुझाई गई एक प्रक्रिया यह थी कि भागीदारीपूर्ण नागरिक सर्वेक्षण करना अपने-आप में प्रक्रिया को शुरू करने का एक अच्छा तरीका है, जिसके द्वारा प्रत्येक नागरिक को सर्वेक्षण के दौरान अपनी आवश्यकता और परिकल्पना को बताने का मौका मिलता है।

3.5.2 जिला परिकल्पना दस्तावेज का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए। ऐसे अनेक तरीके हैं जिनके द्वारा डी पी सी परिकल्पना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित कर सकती है, इनमें से एक सभी मध्यवर्ती पंचायतों और ग्राम पंचायतों को उत्तरोत्तर खंडवार आधार पर शामिल करना है, जिसके अंतर्गत जागरूकता सृजन करने के लिये सभी पंचायत प्रमुखों के लिये अनेक कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। लोगों को इनकी प्रतियां और संक्षिप्त सार मूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

3.6 समानांतर जायजा लेने की प्रक्रिया शुरू करना :

3.6.1 परिकल्पना प्रक्रिया के समानांतर एक जायजा लेने वाली प्रक्रिया भी शुरू किये जाने की आवश्यकता होगी, जिसमें जिले में मानवीय स्थिति का मूल्यांकन तथा प्राकृतिक, सामाजिक और वित्तीय संसाधनों तथा बुनियादी ढांचे का मूल्यांकन दोनों शामिल होंगे। इसे कार्यरूप

देने के लिये विभिन्न रूपों में पहले से विद्यमान विकास के इन पहलुओं से संबंधित आंकड़ों का साधारण तरीके से समेकन, आकलन और उल्लेख किये जाने की आवश्यकता होगी। जायजा लेने के परिणामों का सामान्यतौर पर उल्लेख और प्रदर्शन करना उपयोगी होगा। इस समूह ने योजना के लिये डाटाबेस तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिये सुझाव दिये हैं। तैयार किया गया डाटाबेस जायजा लेने की प्रक्रिया के लिये एक बहुमूल्य स्रोत होगा। इस संबंध में विकास रेडारों, जिनका प्रयोग राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 2001 तैयार करते समय योजना आयोग द्वारा किया गया था, का इस्तेमाल करने की अवधारणा को व्यापक तौर पर गुणावगुण के आधार पर अपनाया जाना चाहिए। विकास रेडार स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी उपशमन, पेयजल, आवास आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में किसी योजना इकाई के निष्पादन का सचित्र उल्लेख करते हैं। इन्हें समय अंतराल के बाद पुनः बनाया जा सकता है और अंतर को फिर से ठीक किया जा सकता है। जायजा लेने तथा परिकल्पना बनाने के अलावा विकास रेडारों का प्रयोग एक रिपोर्ट कार्ड के रूप में भी किया जा सकता है जिनसे विकास मानदंडों की प्रगति का भी पता लगाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक आंकड़ा समेकन में हुई प्रगति को देखते हुए यदि राज्यों द्वारा संघटक राजस्व गांवों सहित पंचायतों की सूची उपलब्ध कराई जाती है तो ग्राम पंचायतों के लिये भी विकास रेडार तैयार किये जा सकते हैं। हम इस बात की पुरजोर सिफारिश करते हैं कि विकास रेडारों को तैयार करने का कार्य जायजा लेने की प्रक्रिया के भाग के रूप में प्राथमिकता पर किया जाए।

3.6.2 राज्य और जिलों के लिये मानव विकास रिपोर्ट तैयार करना:

अनेक राज्यों ने एच आर डी रिपोर्टें तैयार की हैं जो विकास योजना प्रक्रिया का आधार बन चुकी हैं। यह सुझाव दिया जाता है कि एच आर डी रिपोर्टों को जिलावार तैयार किया जाए ताकि एक सामान्य ढांचा कायम हो सके, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जिले में परिकल्पना प्रक्रिया शुरू हो सके।

3.6.3 जायजा लेने की प्रक्रिया के पहलू निम्नानुसार होंगे :

- कार्यान्वयन अधिकारियों के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं की उपलब्धता के संबंध में संचयी भौतिक और वित्तीय उपलब्धि निर्धारित करना,
- प्रत्येक पंचायत स्तर पर शुरू की गई भौतिक परिसम्पत्तियों, सामुदायिक और व्यक्तिगत, का सत्यापन करना,
- पिछली योजना से बचे कार्यों का पता लगाना तथा इन्हें पूरा करने के लिये अपेक्षित निधियों का जायजा लेना,

- सेवा सुपुर्दगी के अनेक क्षेत्रों में निजी क्षेत्र ने अपर्याप्त सरकारी प्रावधानों को समर्थन दिया है और जायजा लेने की प्रक्रिया को ऐसे समर्थन को ध्यान में रखते हुए पूरा करना होगा,
- जिले की ऋण योजनाओं का इस्तेमाल योजना के लिये ऋण के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का जायजा लेने से प्रारंभ किया जा सकता है। इसे स्वसहायता अभियान और लघु वित्त के जरिये पूरा किये जाने की आवश्यकता है।

3.6.4 पंचायतों की निजी राजस्व बढ़ाने की क्षमता का मूल्यांकन करना :

पंचायतों द्वारा स्थानीय राजस्व बढ़ाने की जायजा लेने की प्रक्रिया, योजना और कार्यान्वयन में उपेक्षा की जाती है। इस संबंध में 11वे और 12वे वित्त आयोगों की सिफारिशों को देशभर में लागू करने के लिये कोई गंभीर प्रयास नहीं किये गये हैं। अनेक राज्यों में हालांकि कर वसूली का कार्य कानून के अंतर्गत स्थानीय निकायों को सौंपा गया है, फिर भी वसूली की निगरानी नहीं की जाती और व्यवहारिक रूप में यह उपेक्षित रहती है। अनुभवों से पता चलता है कि प्रोत्साहन देने पर और पर्याप्त क्षमता निर्माण से पंचायतें करों की वसूली के बारे में सक्षम और प्रोत्साहित होती हैं। स्थानीय राजस्व का अनुमान लगाने के लिये स्थानीय योजना प्रक्रिया में पर्याप्त बल दिया जाना चाहिए, जिनमें कर योग्य सम्पत्तियों का वर्गीकरण, विभिन्न वर्गों के लिये कर दरों का निर्धारण, सम्पत्तियों का निर्धारण और करों की स्वतः ६ घोषणा शामिल होगी। पंचायतों के निजी कर और गैर कर का मूल्यांकन करने के लिये एक ढांचे का विकास करना, जायजा लेने की प्रक्रिया का हिस्सा होगा। हालांकि कराधान से संबंधित कानूनी प्रावधानों में स्थानीय परिवर्तन हो सकता है, फिर भी यह उपयोगी होगा कि राज्य की उन नीतियों और प्रक्रियाओं को ध्यान में रखा जाए जिनके कारण पंचायत स्तर पर कराधान में सफल सुधार हुआ है।

3.7 स्थानीय स्तर पर योजना के लिये संसाधनों के उपलब्ध ऑर्डर की जानकारी देना :

यह आवश्यक है कि सभी स्तरों पर योजना के लिये उपलब्ध ज्ञात संसाधनों का पता लगाने की एक प्रक्रिया शुरू की जाए। यदि उपलब्ध निधियों का पूरी तरह पता लगाना संभव न हो तो विभिन्न स्रोतों जैसे सी एस एस, बाहरी सहायता प्राप्त योजनाएं, यदि कोई हों और राज्य योजना निधियां, जो उपलब्ध हों, का संसाधनों के ऑर्डरों के रूप में पता लगाया जाए। द्विपक्षीय परियोजनाओं तथा सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों से आने वाली निधियों का ब्यौरा भी दिया जाना चाहिए ताकि उपलब्ध संसाधनों की पूरी तस्वीर

जनता के सामने लाई जा सके। जहां कहीं स्थानीय योजनाओं के लिये मुक्त निधियां उपलब्ध हों, को भी इनमें शामिल किया जा सकता है। जहां तक व्यापक समय-सीमा, जिसके तहत इन प्रक्रियाओं को शुरू किया जाना होता है, का संबंध है यह सुझाव दिया जाता है कि वर्ष 2006-07 में ही प्रत्येक पंचायत स्तर पर योजना के लिये उपलब्ध संसाधनों का सही-सही पता लगाना संभव होगा। चूंकि, इस प्रक्रिया को पूरा करने में एक वर्ष लग जायेगा, अतः योजना आयोग और राज्य सरकारों द्वारा 2006-07 के शुरू में सूचना दी जानी चाहिये।

3.8 केरल जैसे कुछ राज्यों में स्थानीय योजना, जिनमें मूल्यांकन शामिल है, पर विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये हैं जिन्हें अन्य राज्यों द्वारा अपनाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

3.8.1 परिकल्पना और मूल्यांकन प्रक्रिया के बाद डी पी सी को सम्पूर्ण जिले के विकास के लिये एक नीति का निर्धारण करने की आवश्यकता होगी और तदनुसार ये पंचायती राज संस्थानों और नगरपालिकाओं को उनकी योजनाएं बनाने में मार्गदर्शिकाएं उपलब्ध कराएंगे। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केन्द्र की पंचवर्षीय योजनाओं के आधार पर 5 वर्षों में कम से कम एक बार सभी डी पी सी को तैयार किया जाए और उन्हें अद्यतन बनाया जाए जिसमें प्रत्येक क्षेत्र के विकास का लक्ष्य निर्धारित हो और स्थानीय परिस्थितियों पर आधारित प्रत्येक क्षेत्र के लिये अपनाई जाने वाली नीति का पालन किया जाए। ऐसी योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये एक इकाई के रूप में तालुक तथा शहरी क्षेत्रों के लिये इकाई के रूप में शहर/नगर के लिये भी तैयार की जानी चाहिए।

3.8.2 इस अध्याय के अगले भाग में पंचायत के प्रत्येक स्तर की योजना प्रक्रिया पर विचार किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूरा ध्यान योजना के निचले स्तर पर है, अपनाए जाने वाले क्रम में सबसे पहले ग्राम पंचायत स्तर पर सिफारिश की गई प्रक्रिया को रेखांकित करना होगा और तत्पश्चात ऊंचे स्तर पर बढ़ना होगा।

3.9 ग्राम पंचायत स्तर पर भागीदारपूर्ण योजना

3.9.1 नीचे ऐसे सुझाव दिये गये हैं कि योजना प्रक्रिया को ग्राम पंचायत स्तर पर किस तरह से शुरू किया जा सकता है ताकि लोगों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

3.9.2 ग्राम और वार्ड सभाएं

ग्राम पंचायत स्तर पर उचित योजना के लिये ग्राम सभाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करना होगा। उनकी बैठकों में ग्राम पंचायत के दायरे में आने वाले सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिये। अनेक राज्यों ने ग्राम सभा से निचले स्तर पर परामर्शी प्रणाली तैयार की हैं जैसे वार्ड सभाएं और महिला सभाएं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक सामाजिक,

आर्थिक भाग का ग्राम सभा में उचित प्रतिनिधित्व हो। यहां तक कि आम धारणा यह है कि यह बैठकें बहुत कम होती हैं और बहुत दूर होती हैं तथा इनमें विशेष कर कमजोर और उपेक्षित वर्गों की उपस्थिति भी काफी कम होती है। ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं में अच्छी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये निम्नलिखित सुझाव दिये जाते हैं :

- पंचायतों द्वारा बैठकों की तारीख को पहले से निर्धारित किया जाए।
- नोटिस को छपवाकर बंटवाया जाए तथा योजना निर्माण में ग्राम और वार्ड सभाओं की जिम्मेदारी के बारे में विशेष रूप से सार्वजनिक स्थलों में नोटिस लगाकर पर्याप्त जागरूकता सृजन किया जाए।
- वार्ड और ग्राम सभा में भाग लेने के लिये स्व-सहायता समूहों जैसे विशेष रुचि रखने वाले समूहों से सम्पर्क स्थापित किया जाए।
- वार्ड और ग्राम सभा के बारे में सूचना गैर-सरकारी संगठनों, पुस्तकालयों, स्कूलों, आंगन बाडियों और क्षेत्र में कार्यरत सहकारी समितियों के जरिये दी जाए।
- राष्ट्रीय सेवा योजना और नेहरू युवक केन्द्र स्वयं सेवकों, एन सी सी कैंडेटों और कालेज के छात्रों के जरिये अभियान शुरू किया जा सकता है।
- वार्ड सदस्य के माध्यम से घर-घर जाकर प्रचार किया जा सकता है।
- ग्राम पंचायत प्रत्येक वार्ड सभा के लिये आम सहमति से एक पुरुष और एक महिला का चयन करके दो सहायकों को नामित कर देगी। इन सहायकों को ब्लाक/नगरपालिका स्तर पर विशेष प्रशिक्षण के लिये भेजा जा सकता है।
- ग्राम और वार्ड सभा के लिये एक उचित ढांचा उपलब्ध कराना ताकि चर्चा के लिये छोटे समूहों को बनाया जा सके।
- बैठकों के रिकार्ड जैसे हाजिरी पंजीका सहित ब्यौरे, फोटोग्राफ आदि, जहां कहीं संभव हो, को सही ढंग से रखना उपयोगी होगा।

3.9.3 भागीदारीपूर्ण नागरिक सर्वेक्षण

योजना के लिये सूचना एक बुनियादी माध्यम है, लेकिन प्रत्येक क्षेत्र और इसकी जनसंख्या के बारे में जानकारी बहुत कम उपलब्ध होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये आंकड़ा आधारित नागरिक सर्वेक्षण को भागीदारीपूर्ण ढंग से विकसित करना भागीदारीपूर्ण योजना बनाने के लिये एक पूर्व-अपेक्षित है। नागरिकों से आंकड़े प्राप्त करने की प्रक्रिया को इस तरह से पूरा किया जाना चाहिये कि ग्राम पंचायतें इसे अपने अधिकार के रूप में देखें। इससे वास्तविक

योजना प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले ही एक अच्छा माहौल तैयार होगा। ग्राम पंचायत द्वारा उत्कृष्ट आंकड़ों का संग्रह करने के निम्नलिखित परिणाम सामने आएंगे :

- ग्राम पंचायत अपने द्वारा एकत्रित आंकड़े का संग्रह करेगी।
- एक बुनियादी ढांचा विकसित किया जाएगा तथा स्थानीय पहलों और प्रोत्साहनों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आंकड़ा एकत्रीकरण में स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। ग्राम पंचायत सदस्य या उनके पढ़े-लिखे सहायक इस सर्वेक्षण का कार्य कर सकते हैं।
- आंकड़े एकत्रित करना एक प्रक्रिया है, न कि कोई कार्यक्रम। आंकड़ों में निरंतर सुधार किया जाएगा।
- ग्राम पंचायतें आंकड़ों का मिलान करने से पहले अपने निष्कर्षों पर कार्य करना प्रारंभ कर देगीं।

3.9.4 प्राकृतिक संसाधन डाटाबेस

प्राकृतिक संसाधन आंकड़ों का संग्रह करने की प्रणाली पहले से उपलब्ध है जो प्रायः जी आई एस समर्थित होती है। मौजूदा जी आई एस प्रणाली से आंकड़ों को विभिन्न स्थायी स्लाइडों में स्थानांतरित किया जाता है और इन्हें सी डी के रूप में ग्राम पंचायत को दिया जा सकता है।

3.9.5 ग्राम पंचायत स्तर पर संसाधनों का मूल्यांकन :

हालांकि इस प्रक्रिया के महत्व का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, फिर भी ग्राम पंचायत स्तर पर इस प्रक्रिया में विशेष रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर विचार किया जाएगा :

- करों, प्रयोक्ता प्रभारों और अंशदानों के जरिये स्थानीय संसाधन बढ़ाना।
- उपकर, बी ओ टी, सामुदायिक अंशदान और उधार के जरिये वित्त पोषण के अभिनव उपाय करना।
- स्थानीय सरकार से निधियों के गैर-महत्वपूर्ण प्रवाह को स्थानीय कार्रवाई के जरिये बढ़ावा देने के अन्य प्रयास करना। इनमें स्थानीय लोकहितैषी, अप्रवासी भारतीय, निगमित क्षेत्र और गैर-सरकारी संगठन से निधियां जुटाना शामिल है।

3.9.6 डाटाबेस के रखरखाव में सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग एक माध्यम के रूप में किया जाना चाहिए जो ग्राम पंचायत स्तर पर निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाती है। अनेक साधारण प्रक्रियाओं जैसे परिवार को एक मानक पहचान संख्या देने से एक डाटाबेस को दूसरे डाटाबेस से जोड़ने में मदद मिल सकती है और इस प्रकार इसका व्यापक इस्तेमाल हो सकेगा।

3.9.7 अच्छे शासन के लिये लोगों के प्रति वचनबद्धता देना :

एक घरेलू योजना भी इस योजना प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है। प्रत्येक पंचायत यह ब्यौरा दे सकती है कि वह विकेन्द्रीकृत योजना और कार्यान्वयन से जुड़े कार्य को किस तरह से निपटाने में पर्याप्त रूप से सक्षम है। यह बेहतर प्रशासन के लिये उन्हें मिले पर्याप्त कार्यकर्ताओं की सुपुर्दगी का भी जायजा लेगी। घरेलू योजना के अंतर्गत कुछेक प्राथमिकताएं निम्नानुसार होंगी :

- रिकार्डों को अद्यतन बनाना
- परिसम्पत्ति रजिस्टर को पूरा करना
- संस्थानों और अधिकारियों के लिये कार्यनिष्पादन मानक निर्धारित करना
- अपव्यय और खामियों को कम करने के उपाय करना
- योजना के कार्यान्वयन के लिये प्राप्ति कैसे की जा सकती है
- कानून के अंतर्गत अनिवार्य कार्यों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के अन्य उपाय करना

3.9.8 योजना के लिये समान संसाधनों की व्यवस्था :

आदर्श रूप से कहें तो प्रत्येक ग्राम पंचायत आकलित आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों का आबंटन करने के लिये स्वतंत्र होगी। तथापि, हमारे विकास के इस चरण में स्थानीय योजना प्रक्रिया के अंतर्गत निधियों के स्रोतों की विविधता को ध्यान में रखना होगा। इनका यथासंभव पूरा इस्तेमाल करने के प्रयास करने चाहिए।

इसलिए एकबार योजना के लिये संसाधनों का कम पता लग जाये तो यह बेहतर होगा कि उन्हें ऐसे आधार-वाक्य के अंतर्गत रखा जाए कि उन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सके अर्थात् पूरी तरह से मुक्त निधियां, आंशिक रूप से मुक्त निधियां (जहां प्रयोग में कुछ छूट हो) तथा निर्धारित निधियां ऐसे आधार-वाक्य से प्रत्येक पंचायत को यह विचार मिलेगा कि यह अपनी प्राथमिकताओं को किस तरह से वित्त पोषण से जुड़ी शर्तों में रखा जा सकता है। यह

सुनिश्चित करेगा कि जो निधियां निर्धारित हैं का सबसे पहले इस्तेमाल किया जाए और तत्पश्चात मुक्त निधियों का प्रयोग किया जाए। पंचायत स्तर निधियों का आंकलन करने पर इन्हें एक-दूसरे के साथ वित्त पोषण के स्रोत को जोड़ने की प्रक्रिया को नीचे दिये गये विस्तृत उपायों के माध्यम से अपनाया जा सकता है :

- **उपाय 1 : प्रत्येक आवश्यकता को आधार-वाक्य के रूप में वर्गीकृत करना**

लोगों से चर्चा करने पर आवास, बच्चों को स्कूल भेजना, पोषाहार, सड़क, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसी विभिन्न आवश्यकताओं का पता चलेगा। इनमें से प्रत्येक आवश्यकता को निधियों के स्रोत के रूप में संबंधित व्यापक शीर्ष में वर्गीकृत किये जाने की आवश्यकता होगी।

- **उपाय 2 : विशिष्ट प्रयोजन अनुदान प्रदान करना**

आवश्यकताओं को वर्गीकृत करने के बाद अगला उपाय उन विशिष्ट प्रयोजन अनुदानों का पता लगाना होगा जिनसे ऐसी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके तथा संसाधन को प्रत्येक आवश्यकता के साथ मिलान किया जा सके।

- **उपाय 3 : आंशिक मुक्त निधियां प्रदान करना :**

कुछ प्रयोजनों के लिये आंशिक मुक्त निधियां उपलब्ध हैं जो अन्य योजनाओं के साथ कुछ सीमा तक परिवर्तन करने की अनुमती देती हैं। उदाहरण के लिये एस जी आर वार्ड तथा केन्द्र और राज्य वित्त आयोग से निधियों की घोषणा। इन निधियों का इस्तेमाल निर्धारित समय-सीमा में अंतर को कम करने के लिये किया जा सकता है।

- **उपाय 4 : पूर्णतया मुक्त निधियां प्रदान करना :**

अंतिम उपाय पूर्णतया मुक्त निधियां उपलब्ध कराना है। ये राजस्व, सामान्य या मुक्त राज्य योजना अनुदान, एस एफ एस अनुदान के अद्वितीय स्रोत हैं। इस संबंध में पूर्णतया या आंशिक रूप से मुक्त संसाधनों के रूप में स्वैच्छिक श्रमिक जैसे गैर-आर्थिक अंशदानों पर विचार करना भी बहुत उपयोगी होगा।

3.9.9 योजना परिवर्तन के साथ सामंजस्य स्थापित करना

योजना में परिवर्तन के लिये अनेक तथ्यों की आवश्यकता होती है। इनमें से एक तथ्य निर्धारित क्षेत्र में सामान्य विकास और प्रौद्योगिकी परिवर्तन का संभावित प्रभाव है तथा इस अवसर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कोई प्राकृतिक आपदा भी आ सकती है जिसके कारण योजना अधूरी रह सकती है और तत्काल राहत और पुनर्वास पर ध्यान दिया जा

सकता है। वर्तमान में मौजूदा पंचायत योजना में ऐसी कोई औपचारिक डिजाइन पद्धति नहीं है जो आपदा राहत अभियान से जुड़ी हो भले ही यह सूखा जैसी मामूली सी आपदा ही क्यों न हो। इससे कार्य का दोहरापन और अनियमितताएं होती हैं। स्थानीय योजना के साथ सम्मिलित रूप से आपदा राहत योजना के लिये एक प्रणाली बनाई जानी चाहिए। आपदा राहत कार्यक्रमों, जिनमें उपयुक्त सामाजिक लेखा प्रणाली भी शामिल है, की निरंतर निगरानी की भी आवश्यकता होगी।

3.9.10 ग्राम पंचायत स्तर पर योजना का क्रम बनाना

योजना प्रक्रिया को राष्ट्रीय योजना अवधि और वार्षिक योजनाओं से संबंधित अवधि के लिये पंचवर्षीय योजना के आधार पर तैयार किया जाना चाहिये जिसमें ऐसी योजना के प्राथमिक क्षेत्रों और योजनाओं का उल्लेख किया जाता है। दीर्घावधि योजनाओं में पंचायत की समग्र तस्वीर उजागर होगी और यह लोगों को यह समझने में मदद करेगी कि योजना और सरकारी वित्त पोषण से उन्हें क्या लाभ हो सकता है। एकबार पंचवर्षीय योजना के तैयार होने पर इसके आधार पर वार्षिक योजना को बनाया जा सकता है।

ग्राम पंचायतों के आकार और कार्मिकों की उपलब्धता को देखते हुए यह स्पष्ट है कि उन्हें सहायता की जरूरत होगी और ये परियोजना और योजना को तैयार करने में मदद करेंगे, लेकिन यह निर्णय ग्राम सभा का होना चाहिये। ग्राम सभा स्तर पर विकास बैठकें/कार्यशालाएं करना योजना के प्रारूप को बनाने के लिये आवश्यक होगा जिसमें योजनाओं और परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर सूचीबद्ध किया जाएगा।

3.10 ग्राम पंचायत स्तर योजना का सामान्य प्रपत्र

जिस बात पर अधिक ध्यान दिये जाने की जरूरत है वह यह है कि प्रत्येक को यह योजना ग्राम वासियों और ग्राम पंचायत सदस्यों की समझ में आए। ग्राम पंचायत स्तर योजना का व्यापक और सामान्य पैटर्न में अनुपालन किया जा सकता है। निम्नलिखित प्रक्रिया के आधार पर संभावित ढांचा तैयार किया जा सकता है :

- विजन
- नागरिकों की रूपरेखा
- प्राकृतिक संसाधन और ढांचागत रूपरेखा
- वित्तीय संसाधन रूपरेखा

- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
- स्त्री-पुरुष समानता कार्यक्रम
- विशेष घटक और आदिवासी कार्यक्रम
- सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रम
- कार्यान्वयन
- निगरानी और मूल्यांकन

3.11 मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया :

3.11.1 मध्यवर्ती पंचायत योजना की प्रक्रिया और फार्मेट मुख्य रूप से समान होगा जैसा कि ग्राम पंचायत के लिये सुझाया गया है। तथापि, वास्तविक घटक ब्लाक पंचायत के लिये कार्यकलाप मानचित्रण तथा मध्यवर्ती पंचायत द्वारा परिकल्पित विजन पर आधारित होंगे। पंचायत के इस स्तर की महत्वपूर्ण भूमिका ग्राम पंचायत स्तर पर योजना के विभिन्न उपायों में एक सहायक के रूप में कार्य करना है। योजना के संबंध में मध्यवर्ती पंचायत का कार्य निम्नानुसार होगा :

- कार्यकलाप मानचित्रण के अनुसार पंचवर्षीय और वार्षिक योजनाएं तैयार करना जिनमें अंतर ग्रामीण पंचायत मुद्दे शामिल हों तथा ग्राम पंचायतों के मामले में सूचीबद्ध उपायों के बाद भागीदारी प्रक्रिया शामिल होनी चाहिये।
- योजना और कार्यान्वयन में ग्राम पंचायतों की सहायता करने के लिये बहुविषयक तकनीकी दलों (जिनमें गैर-सरकारी संगठन शामिल हो सकते हैं) का रखरखाव करना। इससे विशेषकर वाटरशेड विकास और ग्रामीण व्यापार केन्द्र प्रयासों में परस्पर समन्वय स्थापित होगा। योजना सहायता इकाई के साथ प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत को तत्काल जोड़े जाने की जरूरत है।
- अध्यापक, इंजीनियर, वाटरशेड प्रबंधक, सामाजिक वानिकी पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक और मध्यवर्ती स्तरीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षक कार्यकर्ताओं जैसे बहु-पंचायत संवर्ग का रखरखाव और प्रबंधन करना।
- ग्राम पंचायतों के कार्यक्षेत्र से बाहर के कार्यों की जानकारी प्राप्त करना जैसे अंतर ग्रामीण सड़क निर्माण और बहु-पंचायत सिंचाई ढांचे को मध्यवर्ती पंचायत योजनाओं में शामिल किया जा सकता है।

3.12 जिला स्तर पर योजना प्रक्रिया :

3.12.1 अध्याय 4 में हम संविधानिक रूप से निर्देशित जिला योजना समितियों की संरचना और कार्यों से व्यापक रूप से निपटते हैं। इनके कार्य में पंचायतों के विभिन्न स्तरों पर योजना की सहायता करना तथा उनकी योजना के प्रारूप जोड़ना शामिल है।

3.12.2 जहां तक जिला पंचायतों का संबंध है, पंचायतों के सभी निचले स्तरों पर कार्यकलाप मानचित्रण के अनुसार योजनाएं तैयार करना और योजना में समग्र समन्वय करना, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना होना चाहिए। आमतौर पर जिला स्वर्य बेतरतीब विकास के लिये जिम्मेदार होते हैं। जिला पंचायत की यह जिम्मेदारी होती है कि वह जिले में पिछड़े क्षेत्रों के समान विकास की व्यवस्था करे। ऐसा मार्गदर्शिकाओं के माध्यम से पंचायतों के निचले स्तर पर विशेष रूप से घटक योजना और कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों का आबंटन करके किया जा सकता है। जिला स्तर को अपनी योजनाओं को तैयार करते समय स्त्री-पुरुष मुद्दों, आदिवासी उप-योजनाओं और अनु. जातियों के विकास के लिये विशेष घटक योजनाओं को ध्यान में रखना होगा।

3.12.3 यह अनिवार्य है कि जिला पंचायत योजना अनेक मुद्दों पर भी विचार करे जो कार्यकलाप मानचित्र के बाहर आते हैं, किंतु ये जिले के सम्पूर्ण विकास के लिये महत्वपूर्ण होते हैं। हालांकि इनमें से सभी को स्पष्ट रूप से जिला स्तर पर नहीं निपटाया जा सकता, फिर भी इस योजना के अंतर्गत ऐसे उपाय किये जा सकते हैं जिससे उन्हें बढ़ावा मिले। हम यहां नीचे कुछ मुद्दों का उल्लेख कर रहे हैं जिनका जिला पंचायत योजना में उल्लेख किये जाने की जरूरत है। ये विशेष रूप से 200 पिछड़े जिलों में जिला योजनाओं से संबंधित हैं जहां अत्यधिक गरीबी है।

3.12.4 कृषि भूमि से संबंधित मुद्दे :

भूमि से संबंधित अनेक विनियामक मुद्दे अत्यधिक गरीबी को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। इनमें भूमि सर्वेक्षण में पिछड़ना, जिनके पास पट्टा नहीं है उन्हें पट्टा देने की पुष्टि करना, अवैध रूप से अतिक्रमण की गई भूमि की पहचान करना, असम्बद्ध भूमि को पुनः प्राप्त करना शामिल होते हैं, जिनकी ग्राम सभा के जरिये पंचायत (अनसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) के उपबंधों के अंतर्गत उनमें निहित शक्तियों के रूप में पहचान की गई हो तथा ये गैर-अनुसूचित क्षेत्रों में तथा आत्मनिर्भर बनने तथा संसाधनों के स्थायी उपयोग के उपाय के रूप में वृक्षारोपण और पशुपालन जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा देने, पारम्परिक झूम/पोडू क्षेत्रों पर नियंत्रण पाने में सदृश्य रूप में विद्यमान हों।

3.12.5 वन भूमि से संबंधित मुद्दे

इनमें वन गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करने और अन्य पुरानी बसावटों की स्थापना करने, 1980 के पूर्व की बसावटों को नियमित करने तथा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार वन भूमि की तुलना में अन्य विवादित दावों का समाधान करने, ऐसे लोगों की आजीविका का पुनर्वास करना जिनका व्यवसाय नियमित नहीं किया जा सकता, सभी आवासित भूमि की पहचान करना और संबंधित ग्राम सभा, वन विभाग और राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित नक्शों को तैयार करना शामिल है।

3.12.6 ऋण और सूदखोरी से संबंधित मुद्दे :

इनमें निम्नलिखित पहलें शामिल होंगी :

- अनु. जातियों और अनु. जनजातियों तथा अन्य कमजोर वर्गों के सदस्यों की ऋण देयताओं का मूल्यांकन करना,
- अनु. जातियों और अनु. जनजातियों तथा कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विशिष्ट लक्ष्यों सहित व्यापक क्षेत्र बहुदेशीय सहकारी समितियां (एल ए एम पी एस) और प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियां (पी ए सी एस) का पुनरुद्धार और पुनर्गठन करना,
- परिसम्पत्ति विहीन गरीब और संसाधन हीन परिवार, जो अपनी आजीविका के लिये कृषि पर निर्भर हैं, को भूमि की खरीद के लिये दीर्घावधि ऋण की व्यवस्था हेतु विशेष प्रावधान करना,
- कृषि और लघु वन उत्पाद की सभी मदों के लिये प्रभावी सहायता मूल्य प्रचालन उपलब्ध कराना,
- गांव में स्थानीय उत्पाद से लेकर बफर स्टॉक तक की प्रणाली तथा बाहर से समर्थन देने से लेकर अभाव तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना।

3.12.6 आजीविका मुद्दे

इनके अंतर्गत विशेष रूप से प्रत्येक क्षेत्र के लिये उपयुक्त कार्यों को तैयार करने में पंचायतों की सहायता करना तथा राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये उपाय करना शामिल है।

3.12.7 प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल और पोषाहार मुद्दे :

इनमें निम्नलिखित शामिल होंगे :

- आदिवासी क्षेत्रों में उत्पाद नीति के अनुसार वाणिज्यिक रूप में शराब और अन्य मादक पदार्थों की बिक्री को बंद करना तथा पारम्परिक शराब को तैयार करने पर ग्राम सभा का नियंत्रण स्थापित करना।
- राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं को सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि सभी रिक्त पदों को यदि आवश्यक हो तो स्थानीय भर्ती के जरिये प्रशिक्षित व्यावसायिकों/अर्द्ध व्यावसायिकों द्वारा अनिवार्य रूप से भरा जाए।
- सभी बच्चों का सार्वभौमिक पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित करना तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं/कुशल दाईयों के जरिये सुरक्षित प्रसव कराना तथा स्वास्थ्य उप केन्द्र स्तर पर अनिवार्य दवाईयों की आपूर्ति करके छूत के रोगों का उपचार/प्रबंधन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गर्भवती महिलाओं और जच्चा-बच्चा और स्कूलों में पढ़ने वाले सभी बच्चों को प्रभावी पोषाहार देना।

3.12.8 शक्तियों के प्रत्यायोजन के जरिये प्रशासन और योजना का पुनर्निर्माण करना, एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना, इन क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कार्मिकों के लिये आवश्यक ढांचे, सेवा शर्तों और सुविधाओं का निर्माण करने को भी जिला योजना में विशेष रूप से शामिल किया जाना चाहिये। व्यापक ढांचे की व्यवस्था करना भी योजना का हिस्सा होना चाहिये। भारत निर्माण के प्रमुख क्षेत्रों जैसे सभी गांवों को सड़कों से जोड़ना, विद्युतीकरण, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के सभी बिना बिजली वाले आवासों में बिजली पहुंचाने के लिये निचले स्तर पर योजना बनाकर तथा अंतर पंचायत मुद्दों के जरिये जिला योजना में शामिल किया जा सकता है।

3.13 पंचायतों के स्तरों के बीच सहयोग करने की आवश्यकता है, जिनमें संबंध पीढ़ी आधारित या उनमें दोहरापन न हो। वित्तीय सहायता के सिद्धांत का पालन किये जाने की जरूरत है जिसके द्वारा यदि कोई उच्च स्तरीय पंचायत जैसे जिला या मध्यवर्ती पंचायत निर्धारित फ्लोर सीमा से कम मूल्य पर कोई कार्य की मंजूरी करती है तो यह उस कार्य के लिये आबंटित धनराशि को कार्यान्वयन के लिये संबंधित ग्राम पंचायत को निधियां देगी। इससे स्पष्ट समझ पैदा होगी और दोहरापन नहीं होगा भले ही इसे कोई भी स्वीकृति प्रदान करे। इसके अलावा जिस तरह पंचायत के जिला और मध्यवर्ती स्तर को निचले स्तर पर कुछ परिव्यय सीमा के लिये अधिकार दिया जाता है, उसी तरह पंचायतों के निचले स्तर को भी ऐसी योजना की

तत्काल सिफारिश करने का अधिकार दिया जाएगा। इसके अलावा प्रभावी योजना के लिये पर्याप्त स्तर का निर्माण करने के लिये ग्राम पंचायतों के समूह को जुटाने की जरूरत है। यह विशेषकर उन राज्यों के लिये प्रासंगिक है जहां बहुत छोटी और फैली हुई ग्राम पंचायतें बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इस प्रकार, एक सक्षम प्रणाली उपलब्ध कराई जा सकती है जो पंचायतों को तीनों स्तरों पर या उसी स्तर पर एक-दूसरे के लिये सहायक व्यवस्था कर सके। ऐसा प्रत्येक स्तर पर योजना में कार्यों को सौंपते हुए ठेका प्रणाली या समझौता ज्ञापन के माध्यम से किया जा सकता है।

- 3.14 मध्यवर्ती स्तर पर योजना के लिये कुछ बुनियादी नियमों में ग्राम पंचायतों के साथ पूर्व परामर्श करना शामिल है। यह सुझाव दिया जाता है कि मध्यवर्ती और जिला पंचायतों को अपने क्षेत्राधिकार में पंचायत के स्तरों पर सभी निर्वाचित स्थानीय सरकारी सदस्यों की बैठकें की जाएं और विस्तृत परामर्श प्रक्रिया को लागू किया जाए। जिला पंचायतों के मामले में ग्राम पंचायत अध्यक्षों तथा जिला और खण्ड पंचायतों के सभी निर्वाचित सदस्यों की बैठक बुलाई जाए ताकि एक सुगठित परामर्श प्रक्रिया सुनिश्चित की जा सके। पश्चिम बंगाल ने एक प्रणाली विकसित की है जिसे उपयुक्त संशोधनों के साथ अपनाने पर विचार किया जा सकता है। 2003 में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के जरिए प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत में एक खंड संसद होनी चाहिये जिसमें ब्लाक से संबंधित ग्रामीण पंचायतों के सभी सदस्य तथा उस पंचायत समिति के सभी सदस्य शामिल होने चाहिये। ब्लाक संसद की एक छमाही और एक वार्षिक बैठक प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाती है। इसके लिये 10 प्रतिशत कोरम निर्धारित किया गया है। ब्लाक संसद को विकास जिसमें वार्षिक योजनाएं और बजट तैयार करना तथा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये विकास योजना का कार्यान्वयन शामिल है, से संबंधित सभी मामलों पर पंचायत समिति का मार्गदर्शन करने और सलाह देने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ब्लाक संसद की बैठक में पारित चर्चाओं, सिफारिशों और टिप्पणियों पर ब्लाक संसद की बैठक से एक माह के भीतर पंचायत समिति की बैठक में विचार किया जाना चाहिए। जिला पंचायतों के लिये भी इसी प्रकार की प्रणाली जिला संसद के स्तर पर अपनाई जानी चाहिए जिसमें जिले में सभी पंचायत समितियों के प्रधान, सभापति, सहकारी सभापति और कर्माध्यक्षों तथा जिला परिषदों के सभी सदस्य शामिल होते हैं।

3.15 जिला और मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर यह भी जरूरी है कि किसानों, व्यापारियों, उद्योगपतियों, श्रमिक, गरीब और शिक्षाविद तथा व्यावसायिकों जैसे अन्य प्रमुख शेयर धारकों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श किया जाए।

3.16 योजना को अंतिम रूप देने की समय-तालिका :

यह सुझाव दिया जाता है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना को तैयार करने के लिये वर्ष 2006-07 से राज्यों द्वारा निम्नलिखित समय-तालिका का पालन किया जाए। योजना प्रक्रिया में विभिन्न चरणों को पूरा करने के लिये निम्नलिखित अनुसूची का सुझाव दिया जाता है। तारीखों का सुझाव दिया गया है तथा राज्य अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार समग्र समय-सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं। उद्देश्य यह है कि 11वीं योजना के प्रारंभ में कार्यान्वयन के लिये एक जिला विजन दस्तावेज, 2007-12 के लिये पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तथा 2007-08 के लिये वार्षिक योजना तैयार हो सके।

क्र. सं.	कार्यकलाप	पूरा किए जाने वाला कार्यकलाप (अवधि या तारीख द्वारा)
1	सभी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सभी डीपीसी के संयोजक सदस्यों के लिए राज्य स्तरीय कार्यशाला	मई 2006
2	जिला योजना समिति की पहली बैठक में मार्गदर्शिकाओं पर चर्चा करना तथा जिला विजन और भावी योजना तैयार करने के लिये क्षेत्रीय उप समितियों का गठन करना	जून 2006
3	जिला विजन का निर्माण	जून 2006 तक
4	डी पी सी द्वारा जिला विजन को अनुमोदित करना तथा उसे सभी स्थानीय निकाय को भेजना	जुलाई 2006
5	जिला स्तरीय कार्यशालाएं	अगस्त 2006
6	ब्लॉक स्तरीय कार्यशालाएं	अगस्त 2006
7	मार्गदर्शिकाओं पर चर्चा करने के लिये स्थानीय निकायों के साथ बैठक तथा कार्य समूह का गठन	सितम्बर 2006
8	स्थानीय निकाय विजन का निर्माण	सितम्बर 2006
9	स्थानीय निकायों की आमसभा बैठक में अनुमोदन करना	अक्टूबर 2006
10	ग्राम सभा/वार्ड सभा का आयोजन	अक्टूबर/नवम्बर 2006
11	विकास संगोष्ठियां	नवम्बर-दिसम्बर 2006
12	कार्य समूह द्वारा स्थानीय निकायों की अंतिम पंचवर्षीय	जनवरी 2007

	योजनाएं तैयार करना	
13	अंतिम स्थानीय निकायों की पंचवर्षीय योजनाएं बनाना	जनवरी 2007
14	डी पी सी में स्थानीय निकायों की पंचवर्षीय योजनाओं को प्रस्तुत करना	जनवरी 2007
15	स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा तथा डी पी सी द्वारा अनुमोदन	फरवरी 2007
16	डी पी सी द्वारा अनुमोदन	मार्च 2007
17	जिला और स्थानीय निकायों की पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 2007-08 का भावी विकास करना	मार्च 2007

जिला योजना प्रस्तावों (निर्देशात्मक) के लिये आंकड़ों की मुख्य मर्दें

क. सं.	संकेतक	संभावित आंकडा स्रोत
	सामान्य संकेतक	
1	स्त्री-पुरुष जनसंख्या, सामान्य और अनु. जाति, आयु और सामाजिक समूह	जनगणना 2001
2	ग्राम पंचायतों की संख्या, निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या, स्त्री-पुरुष तथा सामाजिक समूह के आधार पर। अंतिम चुनाव वर्ष	पंचायत विभाग
3	खंड में स्वाभाविक स्थायी निधि (संसाधन मानचित्रण) और जल स्रोत	पंचायत विभाग, वानिकी, जल संसाधन
4	प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित जनसंख्या का प्रतिशत (विगत पांच वर्ष)	पंचायत विभाग
	शैक्षिक उपलब्धियां	
1	सामाजिक समूह और स्त्री-पुरुष के आधार पर साक्षरता स्तर	जनगणना 2001
2	विद्यार्थियों के आधार पर नामांकन दर, स्कूल छोड़ने की दर	डी आई एस ई, एन आई ई पी ए
3	प्रशिक्षित अध्यापकों का शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात, प्राथमिक/माध्यमिक, उच्च माध्यमिक	डी आई एस ई, एन आई ई पी ए
4	स्कूलों, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों की संख्या	डी आई एस ई, एन आई ई पी ए
5	कला और विज्ञान कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, चिकित्सा कालेज, आई टी आई आदि व्यावसायिक संस्थान आदि की संख्या	शिक्षा विभाग
6	स्कूल तक पहुंच (दूरी द्वारा, गांव के अंदर, 2 किमी. तक, 2-5 किमी., 5 किमी. से अधिक)	शिक्षा विभाग
	स्वास्थ्य उपलब्धियां	
1	जन्म दर, मृत्यु दर और शिशु जन्म दर	नागरिक पंजीकरण योजना/जिला सांख्यिकीय इकाई
2	स्त्री-पुरुष के आधार पर आयु विभाजन	जनगणना 2001
3	खंड में पीएफसी/उप-केन्द्र के आधार पर जनसंख्या	स्वास्थ्य विभाग

4	आईसीडीएस द्वारा कवर की गयी जनसंख्या	महिला एवं बाल विभाग
5	स्वास्थ्य कर्मचारियों, एएनएम, आईसीडीएस कर्मचारियों की संख्या	स्वास्थ्य विभाग/महिला और बाल विकास विभाग
6	प्रति पीएचसी/उप-केन्द्र में डाक्टरों, अर्द्ध चिकित्सा कर्मचारियों की औसत संख्या	स्वास्थ्य विभाग
7	सरकारी अस्पताल/निजी अस्पताल, क्लिनिक आदि की संख्या	स्वास्थ्य विभाग
8	स्वीकृत पदों की संख्या (पीएचसी/उप-केन्द्र, आईसीडीएस) और भरे गये पदों की संख्या	स्वास्थ्य विभाग
आय और गरीबी संकेतक		
1	बीपीएल के अनुसार गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या (2002), बीपीएल जनगणना (2002) के अनुसार सामाजिक समूह	ग्रामीण विकास विभाग
2	बीपीएल कोडिंग के अनुसार गरीबी रूपरेखा-कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या, भूमि का वितरण, व्यवसाय, शिक्षा मानक, उधार, स्वामित्व, आदि	बीपीएल जनगणना कोडिंग, ग्रामीण विकास और पंचायत विभाग
3	कार्यरत बच्चों (बाल श्रमिक) की अनुमानित संख्या	ग्रामीण विकास/पंचायत/श्रमिक विभाग
4	प्रमुख उत्पादित फसलें, फसल क्षेत्र और प्रमुख फसलों की औसत उपज दर अथवा सिंचित/असिंचित क्षेत्र	कृषि विभाग/टीआरएस/एलयूएस सांख्यिकीय और सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण
5	आर्थिक जनगणना (98/2005) के अनुसार उद्यमों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, एनआईसी की श्रेणी द्वारा किसी प्रमुख जनगणना 1998/2005 की सूची, श्रमिकों की संख्या	आर्थिक जनगणना/डीआईसी डाटाबेस
6	स्त्री-पुरुष आधार पर नियोजित व्यक्तियों की संख्या, बेरोजगारों की संख्या, शिक्षित बेरोजगार	पंचायत/ग्रामीण विकास/श्रम विभाग
7	स्त्री-पुरुष के आधार पर भूमिहीन श्रमिक, कृषि श्रमिक और अन्य श्रमिकों की संख्या	पंचायत/ग्रामीण विकास/श्रम विभाग
8	गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय	ग्रामीण विकास/पंचायत विभाग (बीपीएल जनगणना)
9	कुशल/अकुशल श्रमिकों की मजदूरी दर	श्रम विभाग/श्रम ब्यूरो

10	खाद्य सुरक्षा— पीडीएस के जरिये आपूर्ति की गई मर्दे, पीडीएस मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य, उपभोक्ता आकलन के अनुसार प्रदान की गई मर्दों की गुणवत्ता	खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग
	ढांचागत और अन्य सुविधाएं	
1	क्या सभी गांव ब्लाक मुख्यालय सहित पक्की सड़कों से जुड़े हैं यदि नहीं तो कच्चा सड़क/अर्द्ध पक्का सड़क से जुड़े हैं	ग्रामीण विकास/योजना विभाग/पंचायत
2	जिला— समीप के शहर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पुलिस स्टेशन, यदि खंड में स्थित न हों	ग्रामीण विकास/योजना विभाग
3	बिना बिजली वाले गांवों का प्रतिशत	पंचायत/योजना विभाग, विद्युत बोर्ड
4.	पास के कृषि विपणन केन्द्रों से दूरी	पंचायत विभाग
5	वाणिज्यिक बैंकों, बैंकों/ग्रामीण आरआरबी, सहकारी बैंकों की संख्या	कृषि विभाग/ग्रामीण विकास विभाग
6	महाजनों की उपस्थिति (हां/नहीं)	ग्रामीण विकास/कृषि विभाग
	कृषि और संबद्ध क्षेत्र	
1	प्रत्येक मामले में लागू प्रमुख मर्दे	ग्रामीण विकास/कृषि विभाग
	उद्योग—परम्परागत/लघु	
1	प्रत्येक मामले में लागू प्रमुख मर्दे	उद्योग विभाग

टिप्पणी: उल्लिखित विभागों के अलावा जिला सांख्यिकीय इकाईयां—राज्य और केन्द्र— तथा राज्य योजना आयोग/बोर्ड/विभाग संबंधित आंकडों के संकलन में मदद करने में सक्षम होंगे।

1. शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों के क्षेत्रवार परिव्ययों को दर्शाते हुए अलग जीएन विवरण तैयार किया जाए

ग्रामीण स्थानीय निकाय योजना

क. सं.	क्षेत्र	स्थानीय निकाय की निजी योजना	कार्यान्वयन एजेंसी योजना				कुल
			राज्य योजना	सीएसएस	ईएपी	कुल	

शहरी स्थानीय निकाय योजना

क. सं.	क्षेत्र	स्थानीय निकाय की निजी योजना	कार्यान्वयन एजेंसी योजना				कुल
			राज्य योजना	सीएसएस	ईएपी	कुल	

अनुबंध-3 राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम

पंचायत पदाधिकारियों एवं सदस्यों के लिए
राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम
का प्रारूप

पंचायती राज मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

- अध्याय 1 राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रारूप का परिचय एवं मूलभूत सिद्धांत
- अध्याय 2 प्रारूप के अवयव एवं इसका क्रियान्वयन
- अध्याय 3 प्रारूप को क्रियान्वित करने वाले व्यक्ति
- अध्याय 4 प्रारूप का विकास
- अध्याय 5 कार्यक्रम प्रबंधन, विश्लेषण एवं लिप्यांतरण
- अध्याय 6 प्रारूप को लागू करने की अनुमानित लागत

राष्ट्रीय क्षमता निर्माण प्रारूप का परिचय एवं मूलभूत सिद्धांत

(1) परिचय-

1.1 संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 29 मामलों समेत पंचायत की शक्तियों और दायित्वों के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है। अधिकांश राज्यों ने पंचायती राज व्यवस्था के लिये नियम एवं कानून बना रखे हैं जिसके तहत कुछ मामलों का निपटारा केवल पंचायतों में ही हो सकता है। तथापि, प्रभावी हस्तांतरण अभी किया जाना है। पंचायतों को सौंपी गई जिम्मेदारियों के प्रभावी निर्वहन को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। प्रशिक्षण की अनुपस्थिति को हस्तांतरण न करने के अथवा शक्तियों को सौंपने के बहाने के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है जबकि सत्य यह है कि जिम्मेदारियां अपने आप में ही प्रशिक्षण का एक इटतम साधन है।

1.2 संविधान के नौवें भाग में पंचायतों को पूरी तरह सक्षम बनाने के लिए नियमों का उल्लेख किया गया है जिसके तहत पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण, पदाधिकारियों की पर्याप्त संख्या, तकनीकी सहायता का जिक्र किया गया है। पंचायत स्तर पर पंचायत प्रतिनिधियों के बेहतर प्रशिक्षण और उन्हें पंचायत कार्यों के लिए सक्षम बनाने के लिये दिसंबर 2004 में जयपुर में विभिन्न राज्यों के पंचायत मंत्रियों की सातवीं गोलमेज वार्ता हुई थी। इस वार्ता में पंचायत स्तर पर चुने गये प्रतिनिधियों के लिए राष्ट्रीय क्षमता निर्माण के प्रारूप पर चर्चा की गई। वार्ता में पंचायत स्तर पर चुने गये प्रतिनिधियों पदाधिकारियों स्थायी समितियों के अध्यक्षों और कर्मचारियों को समुचित प्रशिक्षण देने पर विचार किया गया।

1.3 इस प्रारूप का लक्ष्य क्षमता निर्माण को कर्तव्यों, निधियों तथा कार्यकत्ताओं से हस्तांतरण के पूर्व लाया जाय, इसी बात का निर्णय करना है।

1.4 राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रारूप के उद्देश्य

राष्ट्रीय क्षमता निर्माण कार्यक्रम के प्रारूप के उद्देश्य ये हैं:-

(क) समान रूप से कार्यक्रमों के कार्यान्वयन, पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों को यह सोचने में सक्षम बनाने के लिए ठोस कार्रवाई करना अथवा सुविधा प्रदान करना तथा कार्यकारी कर्तव्यों के दिन प्रतिदिन निर्वहन के लिए अपेक्षित निपुणता प्रदान करने जैसे अत्तरदायित्वों के बेहतर निर्वहन के लिए उन्हें नवीनतम जानकारी देने तथा उनकी निपुणता बढ़ाना।

(ख) हस्तांतरित कर्तव्यों से संबद्ध मुख्य कर्मचारियों को (i) तकनीकी सलाहकार एवं प्रशिक्षक के रूप में बेहतर रूप से कार्य करे और (ii) निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के व्यावहारिक अनुभव से प्राप्त करना तथा सीखना एवं आदर करने की ओर उन्मुख करना।

(ग) ग्राम सभा कार्यकरण विशेष रूप से गरीबों के लिए कि वे भागीदारी आयोजना, योजना कार्यान्वयन प्रबोधन के माध्यम से अपनी मांग रख सकें तथा सूचना अधिकार एवं सामाजिक लेखा परीक्षा के जरिए अपनी पंचायत से जबावदेही कर सकें।

(घ) स्थानीय सरकार के एक प्रभावी स्तर के रूप में पंचायती राज को स्वीकार करने तथा बढ़ावा देने के लिए प्रचार माध्यमों राजनीतिक दलों, विधान सभा में प्रतिनिधियों, सिविल सोसाइटी संगठनों तथा नागरिकों को सुग्राही बनाना।

1.5 राष्ट्रीय क्षमता निर्माण नीति का आधार

यह प्रारूप निम्नलिखित मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित है:-

(क) प्रथम, राष्ट्रीय क्षमता निर्माण नीति एक सतत प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक परिणामन एवं विकास है।

(ख) द्वितीय, प्रारूप के तहत प्रशिक्षण न केवल सूचना पर ही आधारित है बल्कि प्रशिक्षकों तथा प्रतिभागियों के बीच जानकारी का आदान प्रदान होना चाहिए।

(ग) तृतीय, मात्र प्रशिक्षण से सभी समस्याएँ समाप्त नहीं हो सकती है लेकिन प्रशिक्षकों के लिए स्थान एवं समय भी उपलब्ध हो तथा वे अपने स्थिति का विश्लेषण करें और अपनी समस्याओं का समाधान करें।

(घ) बहुनिर्देश तथा गैर सोपान बद्ध प्रशिक्षण परिवेश में आपसी जानकारी बेहतर रूप में एकत्र होती है तथा याद आती है।

(ङ) पंचम, सभी प्रतिभागी अपने साथ पर्याप्त अनुभव से प्राप्त जानकारी लाते हैं जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए।

(च) छठे प्रशिक्षण कार्यक्रम में सभी सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाये - केवल ज्यादा बोलने वाले तथा कुछ प्रभावी लोगों पर ही न ध्यान दिया जाये।

(छ) सातवां, प्रशिक्षण दल दृष्टिकोण में वस्तुपरक तथा बिना भेदभाव वाला हो तथा सुविधादाता, मित्र तथा परामर्शदाता के रूप में कार्य करे जो प्रशिक्षुओं के बीच विचार प्रक्रिया को प्रेरित कर सके।

(ज) आठवां, इस प्रारूप की प्रक्रियाएं तथा तर्कगणित सुविधाजनक हों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की जमीनी वास्तविकता के संगत हो।

(झ) नवां, कार्यक्रम एक सीमित समय सीमा के भीतर अधिकतम प्रारंभिक लोगों को समाविष्ट करने के लिए लक्षित हो ताकि सभी संबंधित पक्ष शीघ्र ही जमकर अपनी-अपनी भूमिका अदा करें और अपनी कार्य शुरू करें।

(ञ) दसवां, पी. ई. एस. ए. के लिए प्रशिक्षण को संस्कृति परम्पराओं और जनजाति लोगों की विशेष आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए।

(ट) ग्यारहवां इस प्रारूप को नियमित प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर लगातार विकसित किया जाना चाहिए।

1.6 पंचायत से संबंधित पक्ष

यह प्रारूप निम्नलिखित के लिए लक्ष्यीत है

(क) चुने गये पंचायत प्रतिनिधि

इन प्रतिनिधियों में वार्ड सदस्य तथा प्रादेशिक चुनाव क्षेत्र सदस्य, अध्यक्ष, सरपंच, मुखिया, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सरपंच, उप मुखिया, उपाध्यक्ष तथा स्थायी समितियों के अध्यक्ष ।

(ख) पंचायत में काम करने वाले अधिकारी

इस प्रकार के अधिकारियों की मुख्य श्रेणियां निम्नवत हैं।

(1) पंचायत सेक्रेटरी

(2) कनिष्ठ अभियन्ता

(3) आंगनवाड़ी कर्मचारी

(4) प्राथमिक स्वास्थ्यकर्मी

(5) लोक स्वास्थ्यकर्मी

(6) विल क्लेक्टर तथा लिपिक जैसे पंचायत के अपने कर्मचारी

(7) कृषि से जुड़े कर्मचारी

(8) अध्यापक एवं शैक्षिक प्रशासनिक कर्मचारी

(ग) एस एच जी तथा सी बी ओ जैसे ग्राम सभा में दबाव समूह

(घ)जनप्रतिनिधि एवं उच्च सरकारी अधिकारी

इंजिनियरों, डॉक्टरों जैसे व्यवसायिक संवर्गों के कर्मचारियों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों को पंचायतों का मददगार बनाने के लिए उन्हें संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है । विधायकों, संसद सदस्यों, राजनैतिक नेताओं तथा मीडिया जैसे नीति निर्माताओं को भी संवेदनशील बनाने की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि वे यह सुनिश्चित करें कि पंचायतों के संवर्धन के लिए परिवेश तैयार हो ।

अध्याय- 2 प्रारूप की वीथ वस्तु

2.1 परिचय- प्रशिक्षण विषय वस्तु तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम की चरणबद्धता विस्तृत रूप में नीचे तालिका 1 में दी गयी है:-

तालिका -1

	विषय	पंचायत पदाधिकारियों से संवाद के तौर तरीके	संक्षेप में ओमेहित क्षेत्र	आमेहित श्रेणी	समयावधि	पूर्णता के लिए समय सीमा
भाग- 1	पंचायत राज व्यवस्था के लिए प्रशिक्षण	पाठ्यक्रम 1 (अ) प्रारंभिक पाठ्यक्रम	पंचायती राज का पर्यावलोकन	कुल पंचायत प्रतिनिधि (करीब 22 लाख पंचायती राज कर्मचारी) (करीब 8 लाख)	कुल चार दिन	20 हप्ते
		पाठ्यक्रम 1 (ब) आधारभूत कार्यात्मक पाठ्यक्रम	कार्यालय का रख-रखाव लेखा संबंधी जानकारी, सूचना का अधिकार, पंचायत के राजस्व का ब्यौरा	पंचायत स्तर के सभी प्रतिनिधि (प्रत्येक पंचायत में से पांच का चुनाव) करीब दस लाख पंचायती राज कर्मचारी करीब पांच लाख	चार दिन	निर्वाचन के 20 हप्ते के बीच (प्रारंभिक पाठ्यक्रम को मिलाकर, प्रत्येक पदाधिकारी आठ दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करेगा)
		पाठ्यक्रम 1 (ग) कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम	कम शिक्षित लोगों के लिये	अनपढ़ या कम शिक्षित पंचायत प्रतिनिधि (करीब आठ लाख)	एक महीने का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर	छः माह
भाग- 2	योजना और क्रियान्वयन के लिए मूलभूत कौशलता निर्माण	कोर्स II (क) श्रेणीबद्ध प्रशिक्षण कार्यक्रम	सेवाएं देने तथा विकास कार्यक्रम के लिए क्षमता सुधारने के लिए लक्षित पंचायत के मूल कार्यों को मिलाकर	चुने हुये पंचायत प्रतिनिधि (करीब 22 लाख) पंचायती राज से जुड़े कर्मचारी (करीब 8 लाख)	कम से कम छः दिन तीन-तीन दिन के दो चरण	40 हप्ते के भीतर

		कोर्स (ख) कम्प्यूटर प्रशिक्षण	कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान पंचायत के काम आने वाले साफ्ट वेयर का प्रशिक्षण	प्रत्येक पंचायत में से दो व्यक्ति (करीब पांच लाख)	कम से कम छः दिन संसाधन केन्द्र से स्थानीय हस्तकों के साथ	52 हप्ते के भीतर
भाग -3	परस्पर संवाद और आपसी परिचय के माध्यम से एकजुट करना	III(a) ग्राम सभा स्तर पर अभियान III(b) पंचायती राज टी वी और रेडियो कार्यक्रम III(c) पंचायत राज सूचना पत्र III(d) नि र्वाचित पंचायत पदाधिकारियों का आपसी सं वाद III(e) प्रति र्वा नया प्रशिक्षण III(f) चयनित आदर्श पंचायतों का दौरा	जागरूकता सृजन अनुभवों का आदान प्रदान कार्यस्थल पर प्रशिक्षण	ग्राम सभा गैर सरकारी संगठन एच एच जी तथा सी बी ओ बड़े पैमाने पर लोग पंचायत राज के सदस्य एवं वैयक्तिक अंशदाता चुने गये सभी पंचायत प्रतिनिधि करीब 22 लाख चुने गये पंचायत प्रतिनिधि करीब 22 लाख पंचायत स्तर पर चुने गये करीब दस लाख सदस्य	हप्ते में तीन दिन कम से कम हप्ते में तीन दिन महीने में एक बार कम से कम चार दिन प्रत्येक पंचायत सदस्ये के लिए एक दिन, यात्रा को छोड़कर	र्वा में एक बार सभी ग्राम पंचायत पूरे देश में सभी पंचायत निर्वाचन के पहले र्वा के भीतर शो चाल साल में एक बार साल में कम से कम दो दौर

2.2 प्रारूप के भाग -1 के पाठ्यक्रमों का विवरण-

2.2.1 पाठ्यक्रम 1(क)

भाग I का उद्देश्य प्रत्येक प्रतिभागी को पंचायती राज में आधारभूत जानकारी देना तथा शुरू करने के लिए अपेक्षित निपुणता देना है। भाग- I, भाग- II के लिए प्रवेशिका भी है। पाठ्यक्रम जिससे भाग- I बनता है के विवरण नीचे दिए गए हैं।

आधारभूत पाठ्यक्रम, पंचायती राज के कार्यान्वयन के लिए एक सही विचारधारा का निर्माण पाठ्यक्रम 1(क) का लक्ष्य पंचायती राज के लक्ष्यों तथा उद्देश्यों के कार्यान्वयन एवं इसके महत्व पर सभी संबंधितों में सही विचारधारा तैयार करना है। पाठ्यक्रम (क) को पंचायती राज कार्यान्वयन में शक्तियों तथा कमजोरियों को प्रदर्शित करने तथा समझने में प्रतिभागियों को समर्थ बनाना है। सर्कम रूप में प्रतिभागियों में पंचायती राज के प्रति आशावाद एवं विश्वास जगाना है जिससे वे परिवर्तन एजेंट बन सकें।

2.2.2 पाठ्यक्रम I (ख) आधारभूत कार्यात्मक पाठ्यक्रम सभी पंचायत कार्यालय पदधारकों तथा कर्मचारियों को मूल स्टार्ट अप निपुणता से सज्जित करना सभी स्तरों पर पंचायतों के निर्वाचित नेताओं तथा स्थायी समितियों के अध्यक्षों, जो परिचय पाठ्यक्रम के अलावा इन पाठ्यक्रमों में अलग से भाग ले सकते हैं, के लिए यह विशेष गहन प्रशिक्षण है। इस प्रशिक्षण में कार्य की मंजूरी, बिलों पर हस्ताक्षर, लेखों का अभिरक्षण तथा कार्यालय पदधारकों के लिए आवश्यक कार्यपालक स्तरीय निपुणता जैसे कार्यकरण की ऊंच-नीच पर जोर दिया जाएगा। पाठ्यक्रम में ग्राम तथा वार्ड सभाएं आयोजित करने, विकेन्द्रीकृत आयोजना, कार्यावयन की समीक्षा तथा समायोजन प्रमाण-पत्र तैयार करने तथा अग्रेसरि करने के कार्यात्मक तथा प्रचालनात्मक पहलुओं को भी समाविष्ट किया जाएगा।

2.2.3 पाठ्यक्रम(ग) कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम:

उन पंचायत सदस्यों को जिन्हें इसकी आवश्यकता है, के लिए चुनाव के तत्काल बाद एक कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम चलाया जाएगा और स्थानीय रूप से उपलब्ध साक्षर लोगों को पंचायत सदस्यों के लिए कार्यात्मक साक्षरता कक्षाएं संचालित करने के लिए स्रोतयुक्त व्यक्ति के रूप में सहयोगी बनाया जाएगा।

2.2.4 भाग 1 के लिए विस्तृत पाठ्यचर्चा डिजाइन करने का दायित्व

(क) भाग -1 के लिए पाठ्यचर्चा में संवैधानिक स्थिति, राज्य संगत भिन्नता तथा पंचायती राज के कार्यान्वयन में स्थानीय संगत भिन्नता को शामिल किया जाएगा। राज्य स्तरीय पाठ्यचर्चा में विशेष रूप से पंचायतों को हस्तारित कर्तव्यों की सीमा जैसे राज्य संबंधित तत्व संकेन्द्रित हों। जिला स्तरीय पाठ्यचर्चा में संबंधित जिले की विशेषताएं तथा मामलें शामिल हों।

भाग 1 के संबंध में पाठ्यचर्चा तैयार करने में केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, जिला प्रशिक्षण दल (गैर सरकार संगठन तथा सी.बी.ओ सहित) के दायित्वों के ब्यौरा देते हुए कार्याक्रलाप मान चित्रण सारणी-2 में दिया गया है:-

तालिका 2

केन्द्र सरकार	राज्य सरकार	जिला प्रशिक्षण दल
---------------	-------------	-------------------

पाठ्यक्रम 1 (क) व 1(ख)(मूल एवं आधारभूत कार्य संबंधी पाठ्यक्रम)

<p>(क,) पंचायत राज व्यवस्था के राष्ट्रीय सांझा पहलुओं को आमेलित करते हुए आधारभूत सामग्री तैयार करना नामशः</p> <p>(1) पंचायत राज से जुड़े संवैधानिक प्रावधानों तथा वर्तमान स्थिति, विशेषकर आर.टी.कार्ड वाई बिंदु के संदर्भ में</p> <p>(2) भारत के संविधान से निगत धर्मनिरपेक्षता, समानता तथा मानव अधिकारों के सिद्धांत</p> <p>(3) लिंग समानता तथा सामाजिक न्याय के लिए सामान्य जागरूकता</p> <p>(4) मानव विकास की स्थिति</p> <p>(5) गरीबी अन्मूलन</p> <p>(6) भागीदारी आयोजना</p> <p>(7) कार्यान्वयन तथा प्रबोधन</p> <p>(8) सूचना का अधिकार तथा पारदर्शिता और सामाजिक लेखा परीक्षा</p>	<p>पंचायती राज को आमेलित करते हुए राज्य पंचायती राज अधिनियम, नियम तथा विनियम</p> <p>विकास कार्यों का विश्लेषण करना</p> <p>लिंग समानता तथा सामाजिक न्याय और गरीबी उन्मूलन को शामिल करने के साथ-साथ राज्य में मानव विकास की स्थिति का पर्यावलोकन।</p> <p>भागीदारी आयोजना विशेषकर जिला स्तरीय आयोजना के लिए खुले दृष्टिकोण के संबंध में राज्य विशिष्ट ब्यौरे तथा जिला स्तरीय आयोजना में योजनाओं का समन्वयन।</p> <p>कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा प्रबोधन के अवयव।</p> <p>सूचना के अधिकार, पारदर्शिता तथा सामाजिक लेखा परीक्षा के लिए राज्यों के दृष्टिकोण का पर्यावलोकन</p>	<p>जिले के भीतर पंचायती राज के कार्यान्वयन के विवरण (सदस्यों की संख्या, उनकी अहर्ता आदि जैसे)</p> <p>जिला स्तर पर पंचायत से जुड़े सवालियों का जवाब देना</p> <p>आयोजना तथा कार्यान्वयन के संबंध में जिला विशिष्ट प्रश्नों के उत्तर देना</p> <p>जिले के संदर्भ में कार्यक्रमों के सेक्टर वार कार्यान्वयन का पर्यावलोकन</p> <p>समानता को बढ़ावा देने में पंचायतों की भूमिका</p> <p>जिला योजना को तैयार करने में प्रत्येक पंचायत के स्तर पर सूक्ष्म आयोजना</p> <p>भागीदारी ग्रामीण मूल्यांकन (पी आर ए) अनुक्रिया की तकनीक</p>
---	---	---

<p>(9) ग्राम सभा के नियमित आयोजन का महत्व</p> <p>(ख) पंचायती राज के कार्यान्वयन में राज्यों की तुलनात्मक स्थिति</p> <p>(ग) भारत सरकार से पंचायतों को जानेवाली निधियों के बारे में आधारभूत जानकारियां</p> <p>(घ) लेखा अनुरक्षण समेत पंचायत स्तरीय वित्तीय प्रबंधन का आधारभूत पर्यावलोकन।</p> <p>(ङ) पंचायतों के अपने राजस्व के महत्व की जानकारी तथा उसे एकत्र करने की जरूरत</p> <p>(च) पी इ एस ए के प्रावधानों की जानकारी।</p>	<p>लेखों के पंचायत स्तरीय अनुरक्षण से संबंधित राज्य विशिष्ट प्रावधान अपने संसाधन प्रबंधन तथा लेखन के राज्य विशिष्ट ब्यौरे</p> <p>आदेश प्रत्योजन, लोक निर्माण विभाग कोड प्रतिहस्ताक्षर के नियम, खजाना कोड आदि जैसे संगत नियमों के राज्य विशिष्ट ब्यौरे</p>	
---	---	--

पाठ्यक्रम 1 (ग) कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम

<p>राष्ट्रीय साक्षरता अभियान के लिए यथ अभिकल्पित साक्षरता पर आधारभूत सामग्री। नेहरू युवा केन्द्र द्वारा तैयार किए गए डिजाइन आदि।</p>	<p>साक्षरता पर राज्य विशिष्ट सामग्री</p>	<p>साक्षरता कार्यक्रम के लिए तैयार की गई जिला स्तरीय सामग्री</p>
--	--	--

2.2.5 भाग-1 की प्रशिक्षण कार्य प्रणाली तथा कार्यान्वयन हेतु प्रचालन विज्ञान

2.2.5.1 भाग-1 के लिए सभी प्रशिक्षुओं की अधिक से अधिक 6 मास के भीतर शामिल किए जाने की आवश्यकता होगी पाठ्यक्रम 1 क तथा 1 ख के लिए 20 सप्ताह तथा पाठ्यक्रम 1 ग के लिए 26 सप्ताह। प्रचालन विज्ञान क सेटलाइट अथवा दूरप्रशिक्षण जैसा बड़े पैमाने पर रोल आउट का एक तंत्र

(ख) आमने सामने भागीदारी प्रशिक्षण के माध्यम से गहन स्थानीय अवलंबन तथा सुविधा। एक दूरस्थ तरीके को जोड़कर, आम फिल्में तथा प्रस्तुति के आधार पर तथा बाद में स्थानीय विचार विमर्श करके आपसी आदान-प्रदान सत्र तथा तत्पश्चात सेटलाइट पर प्रश्न तथा उत्तर निम्नवत के लिए किए जाएं।

(क) इससे राज्य विशिष्ट स्तर पर वियाय-वस्तु का मानकीकरण हो सकता है

(ख) इससे व्यापक तथा तीव्र प्रचार-प्रसार होगा।

(ग) सैटेलाइट आधारित परिचय सत्र में दिए गए संदेशों को अपनाकर स्थानीय पारस्परिक चर्चा से स्थानीय रूप से संगठ पाठों तथा अभ्यासों के रूप में बदला जा सकता है।

(घ) आपसी चर्चा के तरीके के माध्यम से समस्याओं को बांटने से भागीदारों के बीच सामुदायिक भावना निर्मित होती है चाहे वे आमने-सामने नहीं होते।

(ड) सैटेलाइट प्रशिक्षण की लागत भी कम होती है क्योंकि पंचायत सदस्यों को प्रशिक्षण स्थल के लिए बहुत दूर तक यात्रा नहीं करनी होती है।

ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

2.252. पारस्परिक सैटेलाइट प्रशिक्षण :

पारस्परिक सैटेलाइट आधारित प्रशिक्षण में, प्रशिक्षुओं द्वारा देखे जाने के लिए विशिष्ट केन्द्रों को कार्यक्रम प्रसारित करने के लिए समर्पित सैटेलाइट चैनल (इसरो द्वारा उपलब्ध कराया गया) का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक प्राप्तकर्ता केंद्र में टॉक बैंक सुविधा होती है (टेलीफोन कनेक्शन द्वारा या सैटेलाइट में ही जिसके जरिए प्रशिक्षु केंद्रीय स्टूडियो में बैठे विशेषज्ञ से प्रश्न पूछ पाते हैं)। स्टूडियो में स्थित ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तर पूरे नेटवर्क पर सुने जा सकते हैं। सैटेलाइट प्रसारण के साथ आमने-सामने भाग लेने की प्रशिक्षण सुविधा शामिल कर दी जाने पर परस्पर मिश्रित कार्यक्रम उपलब्ध कराया जाता है जिसमें केंद्रीय श्रव्य-दृश्य कार्यक्रम द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रेरक तत्व तथा स्थानीय प्रशिक्षण केन्द्रों के उपयुक्त रूप से उन्मुख किए गए विशेषज्ञों द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधा शामिल होती है। इस सामासिक दृष्टिकोण में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु तेजी से और कारगर ढंग से शामिल किए जा सकते हैं। समूह की आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण स्थानीय स्तर पर केंद्रित भी हो सकता है। सत्रों में खेलों को पंचायतों के दैनिक कामकाज से संबंधित और अन्यत्र जुड़े क्षेत्रों से संबंधित अभ्यास चित्रों को शामिल कर उन्हें रोचक और ध्यानाकर्षक बनाया जा सकता है जिससे वे और मनोरंजक बन जाएंगे तथा उनका दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। इन लाभों को ध्यान में रखकर, इस ढांचे में सैटेलाइट प्रशिक्षण के लिए आवश्यक अवस्थापना वाले सभी राज्यों को शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आवश्यक रूप से सैटेलाइट स्टूडियो और प्राप्ति केंद्र (टेलीविजन, सैटेलाइट डिशें, टेलीफोन, निर्बाध विद्युत आपूर्ति प्रणाली और विविध सिविल कार्य आएंगे)।

2.253. स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष प्रशिक्षण :

ग्राम पंचायत के निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के सभी बुनियादी प्रशिक्षण, जहां तक संभव हो ग्राम पंचायत के ही ब्लाक/इंटरमीडिएट पंचायत एरिया के भीतर आयोजित किए जाने चाहिए। ऐसे प्रशिक्षण में सरकार द्वारा ब्लाक के भीतर पहले ही उपलब्ध कराए गए विस्तार प्रशिक्षण केंद्रों के मौजूदा नेटवर्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। स्थानीय अवस्थापना जैसे स्कूल भवन या सामुदायिक केन्द्रों का इस्तेमाल प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए किया जा सकता है।

स्थानीय प्रत्यक्ष प्रशिक्षण विशेषज्ञों के माध्यम से किया जाएगा जिन्हें इसी प्रयोजन से अभिमुख किया गया हो। पूर्ण सहभागिता और ध्यान सुनिश्चित करने के लिए प्रस्ताव है कि प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सत्र के 5 विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाए। प्रत्येक कक्षा में एक बार में 20 सहभागी ही हों। ब्यौरे अध्याय 3 में दिए गए हैं।

2.254. सैटेलाइट को शामिल करना और प्रत्यक्ष प्रशिक्षण :

स्थानीय विशेषज्ञों द्वारा सुकर बनाए गए स्थानीय प्रशिक्षण में सुदूर उपग्रह पारेषण को शामिल करने के लिए सुझाए गए पैटर्न का विवरण सारणी 3 में दिया गया है :

सारणी 3:

कार्यकलाप	एजेंसी	संबंधित प्राधिकारियों के दायित्व
फिल्म की शुरुआत	प्रशिक्षण केंद्रों के विशेषज्ञ	प्रशिक्षण केंद्रों के विशेषज्ञ फिल्म के बारे में संक्षिप्त परिचय देते हैं या फिल्म की कहानी के बारे में पूर्वानुमान लगाए बिना प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करते हैं।
फिल्म दिखाना	सैटेलाइट प्रसारण	सैटेलाइट केंद्र के माध्यम से फिल्म दिखाई जाती है। प्रशिक्षण केंद्रों के विशेषज्ञ सुनिश्चित करते हैं कि फिल्म देखने के लिए सैटेलाइट प्रसारण से 5 मिनट पूर्व टी.वी. सेट का स्विच चला दिया जाए।
सामान्य प्रतिक्रिया	प्रशिक्षण केंद्रों के विशेषज्ञ	फिल्म दिखाई जाने के 5-10 मिनट बाद का समय सहभागियों की सामान्य प्रतिक्रिया जानने के लिए नियत है। प्रशिक्षण केंद्रों के विशेषज्ञ 3-5 अत्यधिक महत्वपूर्ण कथनों/संवादों या दृश्यों की व्यक्तिगत रूप से पहचान करने के लिए सहभागियों को आमंत्रित कर सकते हैं और छोटे समूह में उन पर चर्चा कर सकते हैं। इसके बाद पूरे समूह में सहभागी अपने द्वारा पहचाने गए विषयों पर चर्चा करेंगे। इससे सहभागियों को फिल्म को अपने मन में स्थायी तौर पर बिठाने का अवसर मिलता है।
सुकर बनायी गयी चर्चा/कार्यकलाप	प्रशिक्षण केंद्रों के विशेषज्ञ	प्रत्येक फिल्म प्रशिक्षण पैकेज होता है जिसमें विषयों और गतिविधियों के ऐसे सेट होते हैं जो सहभागियों को फिल्म से आगे जाकर सोचने और अपनी स्वयं की परिस्थितियों में उठाए जाने वाले कदमों के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए विशेषज्ञों द्वारा सुकर बनाए गए होते हैं। विशेषज्ञों को ऐसी तकनीक भी सिखाई जाती है कि किसी चर्चा को एक विशेष दिशा में उन्मुख किया जाए। रुचि बनाए रखने के लिए खेल और गतिविधियाँ शुरू की जा सकती हैं।
प्रश्नोत्तर सत्र	सैटेलाइट प्रसारण	सहभागी, सामान्य प्रतिक्रिया और सुकर बनाए गए विचार-विमर्श के दौरान उभर कर सामने आई बातों के बारे में 'सैटकाम' स्टूडियो स्थित पैनलिस्टों से प्रश्न पूछ सकते हैं। पैनलिस्ट भी 2-3 मुद्दों पर चर्चा शुरू कर सकते हैं।

2.256. मिश्रित समूहों में प्रशिक्षण :

पूरी सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त ध्यान देकर विभिन्न स्टेकहोल्डरों के सामूहिक प्रशिक्षण से उनमें सौहार्दपूर्ण और अनौपचारिक माहौल में संबंध बनता है और उससे प्रत्येक सहभागी के अपने पूर्व निर्धारित विचार दूर हो जाते हैं। परिकल्पना है कि दोनों पाठ्यक्रमों में (क) और (ख) में निर्वाचित प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के मिश्रित समूह शामिल होंगे। सम्मिलित प्रशिक्षण के लिए अन्य मिश्रित समूह भी निम्नानुसार सृजित किए जा सकते हैं:

(क) दूसरी बार चुने गए सदस्य और प्रमुख पंचायतों के सदस्य :

इस कार्यक्रम के लिए उन पंचायत सदस्यों की पहचान की जाएगी जिनका निर्वाचन दूसरी बार हुआ हो तथा जो भलीभाँति काम करने वाली पंचायतों के सदस्य हों। कुल मिलाकर इसका उद्देश्य (क) अनुभवों और अच्छी बातों का आदान-प्रदान करना तथा (ख) नेटवर्किंग को सुकर बनाना है। ऐसे प्रशिक्षणों में क्षेत्रों का दौरा भी शामिल हो सकता है।

(ख) ग्राम पंचायत सरपंचों और सचिवों का संयुक्त प्रशिक्षण :

आमतौर पर ग्राम पंचायतों के सरपंच इन बातों के लिए उत्तरदायी होते हैं (क) भुगतान किए जाने से पूर्व बिलों की प्राप्ति करने के लिए (ख) भुगतान के लिए किसी माप को स्वीकार किए जाने से पूर्व माप की जांच के लिए (ग) विकास कार्यों को प्रशासनिक मंजूरी देने के लिए (घ) ग्राम पंचायत के उचित कार्यकारी और वित्तीय प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए (ङ) निधियों के आहरण के लिए सचिव के साथ संयुक्त रूप से चेकों पर हस्ताक्षर करने के लिए। ग्राम पंचायतों के सचिव (क) रिकार्डों और संपत्तियों की उचित अभिरक्षा (ख) लेखा परीक्षा आपत्तियों को निपटाने (ग) बजट तैयार कर उसे प्रस्तुत करने (घ) ग्राम पंचायत कर्मचारियों के कार्यों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होते हैं। ग्राम पंचायत कार्यालय के अधिकारियों और सचिवों के संयुक्त प्रशिक्षण से वे अपने पारस्परिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे।

(ग) पंचायतों के विभिन्न स्तरों के सदस्य :

इस कार्यक्रम में जिला, मध्यवर्ती और ग्राम पंचायतों के सदस्यों को एक साथ रखा जाएगा ताकि वे पंचायती राज में एक-दूसरे की भूमिका और भलीभाँति समन्वय के महत्व को बेहतर ढंग से समझ सकें। उसी विषय के संबंध में मतभिन्नता होने पर विभिन्न स्तरों पर पंचायतों के विभिन्न स्थायी समितियों के सदस्यों और अध्यक्षों को शामिल किया जा सकता है।

(घ) विभिन्न स्तरों से लिए गए कर्मचारियों का प्रशिक्षण :

इस प्रशिक्षण का उद्देश्य पंचायती राज के कर्मचारियों में सामूहिक भावना और प्रणाली में विश्वास पैदा करना है। इसका उद्देश्य एक अलग प्रकार की संस्कृति और नैतिकता का सृजन करना है जो पंचायतों के लिए

उपयुक्त हो। यह कार्यक्रम, विभिन्न जिलों में अलग-अलग अधिकारियों द्वारा सुकर बनाई गई अच्छी परम्पराओं के आदान-प्रदान और प्रसार के लिए मंच भी उपलब्ध कराएगा।

(ड.) इंजीनियरी, लेखा परीक्षा और लेखा शास्त्र (एकाउंटिंग) कर्मचारी :

इसका उद्देश्य इंजीनियरी, लेखा शास्त्र और लेखा परीक्षा कार्मिकों में परियोजना के सामाजिक, आर्थिक और मानवीय प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने की स्थिति पैदा करना है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सहभागियों को विभिन्न कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में पंचायतों की बढ़ी हुई शक्तियों से परिचय कराना है। इसमें भुगतान के लिए माप को प्रक्रियायित करने से पूर्व ग्राम सभा द्वारा प्रमाणन और पारदर्शिता के महत्व पर बल दिया जाएगा। प्रशिक्षण द्वारा भी सहभागियों को कार्यान्वयन से जुड़े प्रलेखन से परिचित करवाया जाएगा।

2.3. भाग II: ढांचे के भाग II को शामिल करने वाले पाठ्यक्रम का वर्णन :

2.31. पाठ्यक्रम II(क) : सेक्टरवार केंद्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम :

2.311. भाग II में सेक्टरवार प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है जिसमें कार्यक्रम की आयोजना और कार्यान्वयन से जुड़े पहलू शामिल होते हैं और सेवा देने पर अतिरिक्त बल दिया जाता है। स्थानीय स्वशासन के रूप में पंचायतों की भूमिका, आयोजना और कार्यान्वयन के केन्द्र में होगी और एक परस्पर शामिल विषय होगी। जबकि ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए सभी मामले आदर्श रूप में शामिल किए जा सकते हैं, प्रस्ताव है कि पंचायतों द्वारा उठाए गए प्रमुख कार्यों से संबंधित मुख्य सेक्टरों और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए। भाग II में शामिल किए जा सकने वाले सेक्टरों और इन योजनाओं की प्रारंभिक सूची सारणी 4 में दी गई है।

सारणी 4 :

सेक्टर		स्कीम	केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग
izkjafHkd f'k{kk	1	सर्व शिक्षा अभियान	प्रारंभिक शिक्षा विभाग
	2	मध्याह्न भोजन स्कीम	
प्रौढ़ शिक्षा	3	पूर्ण साक्षरता अभियान	पेयजल आपूर्ति विभाग
सार्वजनिक स्वास्थ्य	4	पेयजल मिशन	
	5	पूर्ण सफाई अभियान	
स्वास्थ्य	6	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	स्वास्थ्य मंत्रालय
बाल कल्याण	7	समेकित बाल विकास सेवाएं	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला और बाल कल्याण विभाग

गरीबी उन्मूलन	8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एस जी आर वाई सहित)	ग्रामीण विकास मंत्रालय
	9	स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई)	
ग्रामीण आवास	10	इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)	
ग्रामीण सड़कें	11	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई)	
ग्रामीण विद्युतीकरण	12	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	विद्युत मंत्रालय
	13	दूरस्थ ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम	अपरंपरागत ऊर्जा मंत्रालय
जनजातीय विकास	14	जनजातीय उप-योजना	जनजातीय कार्य मंत्रालय
प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन	15	हरयाली	ग्रामीण विकास मंत्रालय
	16	कृषि मंत्रालय की वाटरशेड स्कीम	कृषि मंत्रालय
उद्योग और ग्रामीण व्यापार केंद्र	17	विभिन्न योजनाएं	खाद्य संसाधन मंत्रालय
			वस्त्र मंचालय
			लघु उद्योग तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग
आपदा प्रबंधन			

सेवा सुपुर्दगी के संदर्भ में आयोजना, कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, मानीटरिंग, प्रकटीकरण और लेखे-जोखे की व्याख्या की जाएगी। योजनाओं के कुशल कार्यान्वयन हेतु कार्य करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की आवश्यकता को भी स्पष्ट किया जाएगा।

2.312. पाठ्यक्रम II की पाठ्यचर्या (क) :

पाठ्यक्रम II (क) के तहत प्रशिक्षण की परिकल्पना ऐसे पारस्परिक अभ्यासों की श्रृंखला द्वारा की गई है जो कार्यान्वयन के एक-एक कर रूपात्मकताओं द्वारा पंचायतों और उनके कर्मचारियों का मार्गदर्शन करते हैं। कोर पाठ्यचर्या का विकास अच्छे रिकार्ड वाले एस.आई.आर.डी. और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा कार्यशाला रीति से किया जाना चाहिए। इसमें प्रत्येक सेक्टर या शामिल स्कीम के बारे में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे जैसा कि नीचे सारणी 5 में दिया गया है :

सारणी 5

5 (क): आयोजना					
1	स्कीम दिशानिर्देशों या संबंधित विधायनों का व्यापक पुनरावलोकन	2	संबंधित सेवा के लिए सहभागी योजना तैयार करना	3	पंचायत स्तर की परियोजनाओं की सूची को प्राथमिकता देना
4	पंचायत योजना की जांच-पड़ताल और मंजूरी प्राप्त करना	5	विभिन्न कार्यक्रमों को एक करने का उदाहरण	6	कार्यों की सूची की तैयारी और अद्यतन बनाना
		7	पंचायत स्तर की योजनाओं को जिला स्तरीय योजनाओं में समेकन		

5 (ख): कार्यान्वयन					
1	लाभग्राही चयन	2	मस्टर रोल का रखरखाव	3	पारिश्रमिक का भुगतान

5 (ग): पर्यवेक्षण और मानीटरिंग					
1	कार्य को मापना	2	गुणवत्ता नियंत्रण	3	जिम्मेदारी लिए गए कार्य का प्रमाणन
		4	वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना		

5 (घ): तथ्यों का उद्घाटन					
1	सूचना के अधिकार की जिम्मेदारियां पूरी करना	2	कार्यों के ब्यौरे सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना	3	सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित करना
		4	शिकायत निवारण		

5 (घ): लेखा-जोखा रखना					
1	पंचायती लेखों का पुनरावलोकन	2	सांविधिक रजिस्ट्रों का रखरखाव	3	पंचायत की निधियों का प्रबंधन
4	कोष प्रक्रिया	5	बैंक प्रक्रिया	6	लेखा परीक्षा करना

2.313. पाठ्यक्रम II (क) के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या तैयार करने में जिम्मेदारियां :

गतिविधियों की रूपरेखा जिसमें पाठ्यक्रम II (क) की पाठ्यचर्या तैयार करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशिक्षण टीम की जिम्मेदारियों के ब्यौरे नीचे सारणी 6 में दिए गए हैं :

सारणी 6 :

केंद्र सरकार	राज्य सरकार	जिला प्रशिक्षण टीम
पंचायतों द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के ब्यौरे, जिन्हें संबंधित मंत्रालय से प्राप्त किया गया है तथा पंचायत के सदस्यों के लिए जिन्हें कोर रूप में संक्षिप्त बनाया गया है।	संबंधित सेक्टर से जुड़ी राज्य विशिष्ट प्राथमिकता क्षेत्र जिन पर सभी पंचायतों द्वारा आयोजना और कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई की जानी अपेक्षित है।	जिले की पंचायत में इन सेक्टर संबंधी कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन से संबंधित जिला स्तरीय सूक्ष्म-भेद।

2.314. पाठ्यक्रम II (क) की प्रशिक्षण प्रणाली और कार्यान्वयन का साजो-सामान :

जिला और उप-जिला लाइन विभाग के कर्मचारियों को विशेषज्ञ के रूप में संलग्न करने पर बल :

भाग I के लिए प्रयुक्त निवेश और विशेषज्ञों को भाग II के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। तथापि, सेक्टर विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए क्षेत्रीय स्तर के लाइन विभाग के उन कर्मचारियों को पाठ्यक्रम II (क) के प्रशिक्षक के रूप में शामिल किया जा सकता है जिनमें सही दृष्टिकोण और अभिवृत्ति हो क्योंकि उनको अपने सेक्टर की स्थानीय

परिस्थितियों और जमीनी हकीकतों के बारे में अच्छी जानकारी होती है और सही ढंग से प्रोत्साहित किए जाने पर सृजनात्मक और उपयोगी परिणाम प्राप्त कर सकेंगे।

पाठ्यक्रम ॥ (क) के प्रशिक्षण का नेतृत्व, जिला प्रशिक्षण टीमों में पहले ही चुने गए विभागीय फील्ड कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। जिला और उप जिला स्तर के कर्मचारियों को लघु अवधि में स्थायी समिति के सदस्यों को तत्काल प्रशिक्षण देने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इस प्रकार के कार्यक्रम एक दिन या आधे दिन के लिए रखे जाएंगे ताकि नियमित कार्य और प्रशिक्षण संबंधी अतिरिक्त कार्य में संतुलन बिठाया जा सके।

2.315. पाठ्यक्रम की अवधि ॥ (क) :

पाठ्यक्रम ॥ (क) के कार्यान्वयन कार्यक्रम को दो चरणों में बांटा जा सकता है जैसा कि नीचे सारणी 7 में दर्शाया गया है :

सारणी 7 :

क्र.सं.	चरण	अवधि	सामग्री	अभ्युक्ति
1.	चरण 1	3 दिन	लेखा-जोखा का ब्यौरा रखने (एकाउंटिंग) निधि प्रबंधन, सार्वजनिक करने, सामाजिक लेखा आदि जैसे सेक्टरल कार्यक्रमों परस्पर संबद्ध पहलू	सारणी 1 में दर्शाए गए अनुसार सभी सहभागियों के लिए
2.	चरण 2	3 दिन	सेक्टर विशिष्ट और योजना विशिष्ट प्रशिक्षण	सहभागियों को उनकी स्थायी समितियों के आधार पर अलग-अलग समूहों में विभाजित कर दिया जाएगा और वे उपयुक्त सत्र में शामिल होंगे।

पंचायतों के सशक्तीकरण के विस्तार के आधार पर राज्य इस बुनियादी पैटर्न में कुछ परिवर्तन लाने के लिए स्वतंत्र है।

2.316. पाठ्यक्रम ॥ (ख) आई सी टी कौशल का निर्माण करना :

पाठ्यक्रम ॥ (ख) के माध्यम से प्रति पंचायत कम से कम दो लोगों को गणना कौशल से युक्त किया जाएगा।

2.317. पाठ्यक्रम II (ख) के लिए पाठ्यचर्या :

प्रशिक्षण सामग्री का उद्देश्य उस साफ्टवेयर के बारे में जागरूकता लाना और कौशल का विकास करना है जिसे पंचायत स्तर पर लगाने का प्रस्ताव है। पाठ्यक्रम II (ख) की पाठ्यचर्या में पंचायती व्यवस्था के प्रचालानात्मक पहलू तथा एन.आई.सी. के बैक एंड साल्यूशन साफ्टवेयर एप्लीकेशन शामिल होंगे। राष्ट्रीय पंचायत की प्रारंभिक जानकारी देने पर विशेष बल दिया जाएगा (NPP, <http://panchayat.gov.in>)। चुने गए लोगों को साफ्टवेयर आपरेशन डेटा एंट्री कौशल का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2.318. पाठ्यक्रम II (ख) के लिए विस्तृत पाठ्यचर्या तैयार करने की जिम्मेदारियां :

गतिविधियों की रूपरेखा जिसमें पाठ्यक्रम II (ख) की पाठ्यचर्या तैयार करने में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और जिला प्रशिक्षण टीम की जिम्मेदारियों के ब्यौरे दिए गए हैं नीचे सारणी 8 में दी गई है :

सारणी 8 :

केंद्र सरकार	राज्य सरकार	जिला प्रशिक्षण टीम
एन आई सी सॉफ्टवेयर और बुनियादी मैन्युअल उपलब्ध कराएगी	एन आई सी के राज्य सूचना विज्ञान अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य विशिष्ट मैन्युअल तैयार किए जाएंगे	प्रशिक्षण के लिए विशेषज्ञों का स्थानीय तौर पर चयन

2.319. पाठ्यक्रम II (ख) की प्रशिक्षण प्रणाली और कार्यान्वयन का साजो-सामान :

आई सी टी कौशलों का प्रशिक्षण प्रपाती रीति से सर्वोत्तम ढंग से किया जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए कि ढांचे के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त संख्या में चुने गए विशेषज्ञ सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) में निपुण हों। एस आई आर डी और राज्य सूचना अधिकारियों के बीच परस्पर सहयोग द्वारा राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा सकता है।

2.4. भाग III: परस्पर चर्चा और नेटवर्क स्थापित कर योग्यता को सुदृढ़ करना :

2.41. प्रत्येक राज्य में चुनाव के बाद का पहला वर्ष ढांचे के भाग I और भाग II को कार्यान्वित करने के लिए समर्पित किया जाएगा। तथापि पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों को काम के लिए वापस जाने के बाद भी उत्साह को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि परस्पर विचार-विमर्श जारी रखा जाए तथा जब उन्हें जमीनी स्तर पर मुद्दों के संबंध में निर्णय लेना पड़े तब उन्हें अतिरिक्त सहायता दी जाए। ढांचे के भाग III में अनेक गतिविधियां (आवश्यक रूप से पाठ्यक्रम प्रकृति की नहीं) आती हैं जो इस प्रकार हैं :

2.42. III (क) ग्राम सभा स्तर पर अभियान :

पंचायत सदस्यों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण में व्यापक स्तर का सामुदायिक सहयोग कार्यक्रम जोड़ा जाएगा जिसका उद्देश्य लोगों को ग्राम सभाओं के कार्यों में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। गैर-सरकारी संगठनों और सी बी ओ को सहभागिता का संदेश फैलाने तथा ग्राम सभा स्तर की चर्चाओं जैसे लाभग्राही के चयन, सामाजिक लेखा आदि कार्यों में व्यापक स्तर पर संलग्न किया जाएगा। सामान्य अभियान के भीतर स्व-सहायता समूहों, महिला और युवा मंडल जैसे समूहों तथा अन्य गतिविधि आधारित समूहों द्वारा ग्राम सभाओं में भाग लेने तथा अधिक मुखर दबाव समूह के रूप में काम करने पर विशेष बल होगा। ऐसे अभियानों का लक्ष्य लोगों को विभिन्न पंचायत स्थायी समितियों में सेवा करने तथा सेक्टरों के कार्यक्रमों की आयोजना और कार्यान्वयन में अधिक सक्रियता से भाग लेने को प्रोत्साहित करना होगा।

ग्राम सभा स्तर के अभियान, कला जत्था नाटकों के मंचन और आव्हान गीतों के माध्यम से लोगों और पंचायतों के महत्वपूर्ण सरोकारों जैसे शराबबंदी, साक्षरता, बालिका शिक्षा, घरेलू हिंसा, दहेज, जल और मृदा संरक्षण ऑर्गेनिक खेती आदि पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं ताकि पंचायतों और लोगों के बीच दैनिक आधार पर सहयोग और सामान्य कार्य हो न कि केवल ग्राम सभा के आयोजन के समय।

2.43. III (ख) : पंचायती राज टी.वी. चैनल :

2.431. टी.वी. चैनलों से कम से कम समय में अधिक से अधिक कवरेज हो सकता है इसलिए यह पंचायती राज के संदेशों को फैलाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आज बड़ी संख्या में निजी और सरकारी क्षेत्र के टेलीविजन चैनल हैं जिनका कवरेज क्षेत्र बहुत बड़ा है। हालाँकि संरचनात्मक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए उनका प्रयोग नहीं किया जा सकता तथापि जागरूकता अभियानों के लिए उनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

2.432. रेडियो : पंचायती राज आधारित कार्यक्रमों के लिए वाणिज्यिक रेडियो पर निर्धारित समय दिए जाने से पंचायती राज के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा होगी।

2.44. III (ग): पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेटवर्क का गठन :

पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों के नेटवर्क और संघों का गठन ताकि ढांचे के अंतर्गत उचित हस्तांतरण और विकास के लिए अधिक मुखर मांग की जा सके, पंचायती राज के बारे में सतर्कता बरती जा सके, अनुभवों का आदान-प्रदान किया जा सके और हरेक से सामग्री प्राप्त करने को प्रोत्साहित किया जा सके। इसे विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा जैसी कि पंचायती महिला शक्ति अभियान और पंचायत युवा शक्ति अभियान में परिकल्पना की गई है। कुछ विशिष्ट पहलें जिन्हें नेटवर्क के जरिए स्व-शिक्षण प्रक्रिया के रूप में प्रोत्साहित किया जाएगा, इस प्रकार हैं :

(क) सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) का प्रयोग

(ख) सामुदायिक रेडियो :

सामुदायिक रेडियो एक उभरता क्षेत्र है जो पंचायती राज सदस्यों के छोटे स्थानीय नेटवर्क को सहायता प्रदान कर सकता है। इस ढांचे में ब्लाक स्तर के संसाधन केंद्रों के सहायक के रूप में अन्यत्र स्थित सामुदायिक रेडियो प्रशिक्षण के प्रभावों को जुड़ाव और निरंतरता प्रदान करेगा।

2.45 ।।। (ड.) : वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :

सभी पंचायत सदस्यों के लिए वर्ष में एक बार पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसे पाठ्यक्रम 1 (क) की भांति अर्थात् सैटेलाइट सहायित प्रत्यक्ष रूप में ही कार्यान्वित किया जाएगा। इस प्रशिक्षण का समग्र उद्देश्य पंचायत प्रतिनिधियों को एक मंच प्रदान करना होगा ताकि (क) वे अच्छी पद्धतियों की अच्छाइयों के अनुभव का आदान-प्रदान कर सकें तथा अपनी असफलताओं से सीख सकें और (ख) एक-दूसरे के साथ तालमेल बैठा सकें। प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि 4 दिन होगी और इसमें अनुभवों का आदान-प्रदान और क्षेत्र (फील्ड) के दौरे शामिल किए जा सकते हैं।

2.46. ।।। (च) : चिन्हित प्रमुख पंचायतों का दौरा :

प्रमुख पंचायतों की पहचान पारदर्शी और स्वतंत्र प्रक्रिया द्वारा की जा सकती है ताकि उनके द्वारा किए गए कार्य को दर्शाया जा सके। अन्य पंचायतों द्वारा इन प्रमुख पंचायतों का अध्ययन दौरा किया जा सकता है ताकि सर्वोत्तम पद्धतियों की जानकारी प्राप्त हो सके तथा विकास और सुशासन के मॉडलों को कार्यान्वित किया जा सके।

2.47. ।।। (छ) : तत्काल पंचायत स्तरीय विस्तार और संसाधन केन्द्र :

2.471. प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर कम से कम एक विस्तार केंद्र स्थापित किया जा सकता है ताकि मध्यवर्ती पंचायत क्षेत्र में सभी पंचायतों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। प्रत्येक प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण गतिविधियाँ चलाने, फील्ड के विशेषज्ञों को उहराने तथा पंचायत के सदस्यों द्वारा आपसी विचार-विमर्श नेटवर्किंग के लिए स्थान का प्रावधान होगा। सैटेलाइट प्रशिक्षण सुविधा विस्तार संसाधन केन्द्र पर वास्तविक रूप में स्थापित किया जा सकता है। छोटे स्तर की बैठकें आयोजित करने और परस्पर सहायता करने के लिए पंचायत सदस्यों को इन संसाधन केंद्रों पर एकत्र होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

2.472. प्रत्येक विस्तार केन्द्र पर कुछ ऐसे विशेषज्ञ रखे जाएंगे जो पंचायतों को निम्नलिखित प्रकार की तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे :

(क) पंचायत स्तर की अवस्थापना निर्माण परियोजनाओं की तकनीकी दृष्टि से समीक्षा करने तथा अनुमान तैयार करने, टेंडर प्राप्त करने तथा गुणवत्ता पर निगरानी रखने के लिए एक इंजीनियर,

(ख) पंचायतों द्वारा निर्धारित वित्तीय दिशानिर्देशों का पालन करने में सहायता देने, यथावश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा जिले में स्थानांतरण के लिए ब्लाक स्तर पर पंचायत लेखाओं को एकत्र करने के लिए एक लेखाकार,

(ग) आयोजना के लिए विकेन्द्रीकृत सहभागी प्रक्रियाएं आयोजित करने में पंचायतों की सहायता करने, ग्राम सभाओं और वार्ड सभाओं में शामिल होने के लिए निर्धनतम और कमजोर वर्गों को जुटाने के लिए एक सामाजिक विशेषज्ञ।

2.473. संसाधन केन्द्रों को (क) जिला या मध्यवर्ती पंचायत (ख) जिला या मध्यवर्ती पंचायत द्वारा समर्थित एस.आई. आर.डी. (ग) जहां पंचायत सदस्यों का नेटवर्क बन चुका हो और मजबूत हो वहां स्वयं उनके द्वारा (घ) पंचायत सदस्य नेटवर्क या पंचायत प्रतिनिधियों से जुड़े गैर-सरकारी संगठन (एन जी ओ) द्वारा चलाया जाना चाहिए। इन प्रबंधों से सुनिश्चित किया जा सकेगा कि ओ एंड एम आवश्यकताएं, समुचित करारों द्वारा पूरी की जा रही हैं। कोई भी मॉडल अपनाया जाए, संसाधन केन्द्रों को चलाने के लिए पंचायत सदस्य पूरी तरह अभिशासी प्रबंधों से जुड़े रहेंगे।

2.48. III (ज) : हेल्पलाइन :

प्रशिक्षित व्यक्तियों को स्पष्टीकरण और सूचना का त्वरित चैनल उपलब्ध कराने तथा सहायता चाहने वालों को उपलब्ध कराने वालों से जोड़ने के लिए टेलीफोन हेल्पलाइनें स्थापित की जा सकती हैं। टेलीफोन हेल्पलाइन स्थापित करने के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदु नीचे सारणी 9 में संक्षेप में दिए गए हैं :

सारणी 9 :

स्थान :	प्रारंभ में राज्य स्तर पर हो सकता है पर जिला स्तर पर आदर्श स्थिति होगी।
न्यूनतम सुविधाएँ :	प्रत्येक हेल्पलाइन के लिए कम से कम एक टेलीफोन लाइन एक स्वतंत्र फैक्स लाइन आवश्यक है।
प्रशिक्षण :	आए हुए संदेशों को सुनने और उनका उत्तर देने के लिए कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। उनका व्यवहार अच्छा हो, स्वभाव सहायता करने वाला तथा उन्हें पंचायती राज के सभी पहलुओं की जानकारी हो। फील्ड स्तर के सर्वोत्तम विशेषज्ञों को बारी-बारी से हेल्पलाइन ड्यूटी पर लगाया जा सकता है।
समय :	हेल्पलाइन, प्रतिदिन 8-8 घंटों के शिफ्ट में 16 घंटे चलाई जानी चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि फोन पर स्पष्टीकरण चाहने वाले व्यक्ति फोन करते समय अक्सर एस टी डी की दर कम होने की प्रतीक्षा करते हैं।
प्रचार :	सभी सरकारी संचार माध्यमों में हेल्पलाइन के टेलीफोन नम्बरों का भरपूर प्रचार किया जाना चाहिए। समाचार पत्रों में भी उनका भरपूर प्रचार किया जाना चाहिए।
स्पष्टीकरण के लिए सामग्री की उपलब्धता :	राज्य से अपेक्षा होगी कि वह सभी सामग्री जैसे विधायनों, नियमों, विनियमों, क्रियाकलापों, आदेशों और परिपत्रों की प्रतियां हेल्पलाइन को उपलब्ध कराए। सूचना के अधिकार से जुड़ी सूचना सहित सभी सूचनाएं हेल्पलाइन के पास उपलब्ध होनी चाहिए। हेल्पलाइन अनुमान, दरों की अनुसूची का संदर्भ आदि तैयार करने में शीघ्र स्पष्टीकरण देकर भी सहायता प्रदान कर सकते हैं।

हेल्पलाइनों से अनुदेशों को फैंक्स करना :	संभव है कि ग्राम पंचायतों आदि से ऐसे सार्वजनिक एस टी डी बूथों के जरिए फोन पर ब्यौरे मांगे जाएं जहाँ फैंक्स सुविधा भी हो इसलिए हेल्पलाइन ऐसी होनी चाहिए जहां से अपेक्षा करने वाले को तुरंत फैंक्स भेजा जा सके।
काल लागिंग और उत्तर :	हेल्पलाइन पर काल करने पर पंचायती राज के संबंध में बहुमूल्य सूचनाएँ प्राप्त होंगी। इसलिए काल दर्ज करने की प्रणाली लगाई जानी चाहिए। दैनिक आधार पर कालों के सारांश को इस प्रयोजनार्थ रखे गए विशेष लाग बुकों में दर्ज करना होगा।
शिकायत निवारण :	यह भी संभव है कि लोग अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। इस प्रकार की व्यवस्था करनी होगी कि प्राप्त शिकायतें निवारण के लिए संबंधित प्राधिकारियों को भेजी जाएं तथा संबंधित व्यक्ति का उत्तर दिए जाएं।
संक्षेप में पूछताछ (डिब्रीफिंग) :	जहां राज्य एक से अधिक हेल्पलाइन की व्यवस्था करने का निर्णय लेता है, वहां प्रति माह डिब्रीफिंग सत्र आयोजित किया जाए ताकि फील्ड गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। इससे कर्मचारियों को एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का अवसर मिलेगा। डिब्रीफिंग के दौरान लोगों को एक सामान्य रिपाजिटरी में दर्ज किया जा सकता है वहां से उनका उपयोग प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर तैयार करने के लिए किया जाए।

2.48. 111(i) : पंचायती राज में औपचारिक प्रमाणन पाठ्यक्रम :

प्रशिक्षण के लिए औपचारिक पाठ्यक्रम प्रमाणन प्रदान करने के लिए एक अधिक औपचारिक प्रशिक्षण प्रणाली स्थापित की जा सकती है। इग्नू जैसी संस्थाओं के माध्यम से विशेष रूप से पंचायती राज के अनुसचिवीय और तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किए जाएंगे। इस पाठ्यक्रम के लिए पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधियों सहित अन्य स्टेकहोल्डरों की सहायता की जाएगी। निर्धारित स्तर का शिक्षण प्राप्त कर लेने पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के बाद औपचारिक प्रमाणन किया जाएगा।

अध्याय—3

आधारभूत ढांचे के कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञ

3.1 आधारभूत ढांचे के भाग I और II को लागू करने के लिए सैटेलाइट और आमने-सामने दिए जाने वाले प्रशिक्षण को संयुक्त रूप से प्रयोग में लाया जाएगा। क्रमिक प्रशिक्षण द्वारा राष्ट्रीय स्तर से लेकर ब्लाक स्तर तक कुशल व्यक्तियों का एक समूह बनाने का लक्ष्य है जो कि प्रशिक्षण शृंखला में निवेश की तरह होंगे। जैसे कि प्रशिक्षण पर एक बार में किए जाने वाले प्रयास के रूप विचार विमर्श नहीं किया गया है वहीं कुशल व्यक्तियों को इस आधार पर चुना नहीं जा सकता कि उनकी जरूरत अन्तराल पर पड़ेगी। कुशल व्यक्तियों के समूह को बनाने के लिए तीन चरणों वाली क्रमिक प्रक्रिया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के कुशल व्यक्तियों, राज्य-स्तर के कुशल व्यक्तियों तथा जिला और उप जिला स्तर के कुशल व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा, द्वारा बनाया जाएगा। आई.टी. प्रशिक्षण के मामले में (कोर्स 11 (ब)) के मामले पर यह विचार किया गया है कि सिर्फ दो स्तर पर, राज्य और जिला स्तर की क्रमिक प्रक्रिया को अपनाया जाएगा।

3.2 कार्यक्रम के लिए अपेक्षित विशेषज्ञों का ब्यौरा

3.2.1. प्रमुख/कुशल व्यक्ति

प्रमुख प्रशिक्षकों की मुख्य भूमिका है और उनमें प्रमुख विकास कार्यक्रमों से संबंधित विशेष विचारों और क्षमताओं को प्रदान करने की क्षमता होनी चाहिए। दक्षता में विविधता की आवश्यकता कार्यक्रम की विषयवस्तु, लागू करने की प्रक्रिया और संचार-तंत्र पर आधारित होगी। प्रमुख प्रशिक्षक की मूल शिक्षा का निर्धारण पहले से ही करना होगा और यह कार्यक्रम की रूपरेखा पर निर्भर करेगी। प्रशिक्षकों के कार्य प्रत्येक स्तर पर भिन्न-भिन्न होंगे। यह उनके तात्कालिक स्थिति पर भी निर्भर करेगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर के प्रशिक्षकों से आशा है कि वे राज्य स्तर के प्रमुख प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। ऐसी आशा की जा रही है कि राज्य स्तर के प्रमुख प्रशिक्षक अपने प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण के साथ-साथ सरकार की योजनाओं को लागू करने जैसे महत्वपूर्ण अनुभवों को लेकर आयेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर सम्प्रेषित करने के लिए दोनों पंचायती राज के लोकाचार और उसमें सम्मिलित प्रक्रिया को शामिल करने का प्रस्ताव है। यही राज्य के प्रमुख प्रशिक्षकों का मुख्य तरीका होगा।

3.2.2. जिला स्तर पर कुशल व्यक्ति

जिला स्तर पर कुशल व्यक्तियों के रूप में चुने गए व्यक्ति पंचायती राज में भागीदार और हितधारक भी होंगे। प्रशिक्षक संसाधन केन्द्रों में कार्य करके कार्यकरण को दुगुना कर सकते हैं।

3723 आवश्यक कुशल व्यक्तियों की संख्या :

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक कुशल व्यक्तियों की किस्म नीचे सारणी 10 में दी गई है।

क्रम संख्या	कुशल व्यक्तियों की श्रेणी	आवश्यक संख्या	आवश्यक संख्या की गणना का आधार	संबंधित कोर्स समेत कार्य का मोटे तौर पर कार्य चार्ट	प्रशिक्षण देने का उत्तरदायित्व
-------------	---------------------------	---------------	-------------------------------	---	--------------------------------

केन्द्रीय स्तर पर

1	सैटेलाइट प्रशिक्षण के एंकर और प्रस्तुतकर्ता	96 (100)	प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम चार	कार्यक्रम के भाग 1 और 2 के राज्य के ट्रांसमिशन के लिए एंकर	पंचायती राज मंत्रालय द्वारा मूल पुनश्चर्या कार्यक्रम दिया जाएगा जोकि पहले से मनोनीत एस.आई.आर.डी. द्वारा इस्तेमाल में लाया जा रहा है।
2	राष्ट्रीय कुशल व्यक्ति	150	नीचे सारणी में दिए गए हैं।	फ्रेम वर्क के भाग 1 और 2 के कोर्सों के अंतर्गत राज्य स्तर के प्रमुख प्रशिक्षकों को टी.ओ.टी. देने के लिए	मनोनीत एस.आई.आर.डी. में एम.ओ.पी.आर. के तहत राजा द्वारा व्यक्तियों को मूल पुनश्चर्या कोर्स उपलब्ध कराना।
	कुल योग	250			

राज्य स्तर पर

1	राज्य स्तर के प्रमुख कुशल व्यक्ति	1850	नीचे सारणी में दिए गए हैं	फ्रेम वर्क के भाग-1 और 2 के कोर्सों के अंतर्गत जिला स्तर के प्रमुख प्रशिक्षकों को टी.ओ.टी. देने के	एस.आई.आर.डी. में कार्यक्रम के लिए राज्य द्वारा चुनाव और प्रशिक्षण
---	-----------------------------------	------	---------------------------	--	---

				लिए	
2.	जिला स्तर के कुशल व्यक्ति	27500	नीचे सारणी में दिए गए हैं।		राज्य के प्रमुख कुशल प्रशिक्षकों द्वारा जिला स्तर पर प्रशिक्षण
3.	आई.टी. के लिए राज्य स्तर के प्रमुख कुशल व्यक्ति	100	प्रत्येक राज्य के लिए कम से कम चार	जिला स्तर के कुशल व्यक्तियों को ही ओटी देने के लिए	एन.आई.सी. द्वारा राज्य के साथ विचार विमर्श कर चुनाव
4.	जिला स्तर के कुशल व्यक्तियों के लिए	1800	तीन व्यक्ति प्रति जिला के हिसाब से		राज्यों द्वारा एन.आई.सी. के साथ विचार विमर्श के बाद चुनाव तथा प्रशिक्षण
	कुल	31250			
	कुल योग	31500			

आवश्यक कुशल व्यक्तियों की गणना की विस्तृत जानकारी सारणी संख्या-11 में दी गई है:-

सारणी संख्या-11

क	प्रशिक्षण दिए जाने वाले चुने गए प्रतिनिधियों की संख्या	2200000	
ख	प्रति बैच व्यक्तियों की संख्या	20	ऐसा विचार किया गया है कि प्रशिक्षण के दौरान 20 व्यक्तियों से अधिक का बैच नहीं बनाया जाएगा ताकि प्रशिक्षण में अर्थपूर्ण भागीदारी हो सके।
ग	प्रशिक्षण बैचों की संख्या (अ/ब)	110000	20 व्यक्ति प्रति बैच के हिसाब से 110000 बैचों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी।
घ	प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र को पूरा करने के लिए सप्ताहों की संख्या	20	ऐसा माना गया है कि प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र (सेक्टरल और पुनश्चर्या कोर्सों) को पूरा करने के लिए 20 सप्ताह से ज्यादा का समय नहीं दिया जा सकता। अन्य शब्दों में कहें तो प्रत्येक राज्य में प्रशिक्षण के प्रत्येक सत्र को पूरा करने के लिए 20 सप्ताह का समय होगा।
ङ	प्रत्येक सप्ताह प्रशिक्षित किये जाने वाले बैचों की संख्या	5500	यदि प्रत्येक बैच को 20 सप्ताह का प्रशिक्षण देना होगा तो प्रत्येक सप्ताह 5500 बैचों को प्रशिक्षण देना होगा।

च	प्रति बैच के लिए फील्ड में कुशल व्यक्तियों की संख्या	5	ऐसा विचार किया गया है कि अधिकतम नतीजों और अंतर गतिविधियों के लिए प्रत्येक बैच को सहायता देने के लिए 5 कुशल व्यक्तियों को प्रशिक्षण स्थल पर रहना होगा। ऐसा विचार किया गया है इन पांच कुशल व्यक्तियों में से तीन पूर्णकालिक प्रशिक्षक होंगे जो गैर सरकारी संस्थाओं, पूर्व पंचायत या वर्तमान पंचायत के सदस्य अथवा सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी इत्यादि में से होंगे। तथा अन्य दो सम्बन्धित विभाग से होंगे जो जिला अथवा ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे होंगे।
छ	फील्ड में कुशल व्यक्तियों की कुल संख्या (इ X फ)	27500	पंचायत स्तरीय प्रशिक्षण के लिए कुशल व्यक्ति की कुल आवश्यकता
ज	प्रति राज्य प्रमुख प्रशिक्षक पर फील्ड कुशल व्यक्तियों की संख्या	15	ऐसा विचार किया गया है प्रत्येक राज्य के मुख्य प्रशिक्षक 15 फील्ड कुशल व्यक्तियों को संभालेगा।
झ	राज्य के लिए आवश्यक मुख्य प्रशिक्षकों की संख्या (ग/ह)	1833	
ण	राष्ट्रीय स्तर के मुख्य प्रशिक्षक के अंतर्गत प्रति राज्य मुख्य प्रशिक्षक	15	ऐसा विचार है कि एक राष्ट्रीय स्तर का मुख्य प्रशिक्षण 15 राज्य स्तर के मुख्य प्रशिक्षकों को देखेगा।
ट	राष्ट्रीय स्तर के आवश्यक प्रशिक्षकों की संख्या	122	

3.3 कुशल व्यक्तियों का चयन

3.31 आधारभूत ढांचे के प्रभावी क्रियान्वयन प्रत्येक स्तर पर कुशल व्यक्तियों की योग्यता पर आधारित होगा। कुशल व्यक्तियों के चयन सही सोच, समर्पण और जोश जैसी विशेषताओं वाले लोगों को पहचान करने में विशेष ध्यान रखना होगा। यह व्यक्ति वर्तमान पंचायत का सदस्य (अथवा पंचायत का पूर्व सदस्य), गैर-सरकारी संगठन, अथवा सरकारी सेवा में कार्य कर रहा हो या सेवानिवृत्त कर्मचारी भी हो सकता है। चयन की प्रक्रिया के तीन चरण निम्नलिखित हैं—

(क) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के लिए चयन करने से पहले प्राथमिक जांच,

- (ख) एक कठोर पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
- (ग) पुनश्चर्या पाठ्यक्रम के पश्चात् मूल्यांकन प्रत्येक चरण की विस्तृत जानकारी नीचे दी जा रही है—

3.32 पाठ्यक्रम के लिए प्रतिभागियों का चुनाव करने से पहले उनकी प्राथमिक जांच पड़ताल प्राथमिक पहचान और जांच पड़ताल के मापदण्ड निम्न है—

- (क) जात-पात और स्त्री-पुरुष समानता और धर्मनिरपेक्षता जैसे मूल्यों के प्रति वचनबद्धता तथा जातिवाद, लिंग आधारित अथवा धर्म आधारित पूर्वाग्रहों से ग्रस्त न होना।
- (ख) पंचायती राज प्रणाली का अनुभव वांछनीय है परन्तु आवश्यक नहीं है।
- (ग) सहानुभूतिपूर्वक संप्रेषण करने में सक्षम हो खासकर संस्थान से अलग हुए लोगों को वापिस जोड़ना।
- (घ) बहुत काम एक साथ करने की क्षमता कुशल व्यक्ति में होनी चाहिए। उन्हीं घरों में दिए जाने वाले समक्ष प्रशिक्षणों, सैटेलाइट प्रशिक्षणों, हेल्प लाइन के संचालन और पंचायत के प्रतिनिधियों क्षेत्र स्तर पर आन लाइन सहायता उपलब्ध कराने में सक्षम होना चाहिए।

3.33 प्रवेश पाठ्यक्रम

मुख्य प्रशिक्षकों के चयन के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम बेहद कठिन तथा पंचायती राज की जरूरतों और मामलों पर ध्यान केन्द्रित करना भी है। यह 2 माह लंबा चलने वाला कोर्स है जिसमें खासकर प्रतिभागियों के विभिन्न कौशलों खासकर गरीबों के साथ सहानुभूति और कठिन समय में उसको बनाए रखने की जांच करने की लक्ष्य से बनाए गए हैं। इसमें एक हिस्सा वह भी शामिल है जब गांवों में पूरी तरह से तल्लीन हो जाना है। इस प्रवेश पाठ्यक्रम में मुख्य प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रक्रिया का प्रबंधन जिसमें कोष निधि तथा उपस्करों की पूरी जानकारी दी जाएगी।

3.34 अंतिम जांच

प्रवेश पाठ्यक्रम के बाद अंतिम जांच होगी जिसमें जानकारी, प्रतिबद्धता और परामर्श कौशल की पड़ताल की जाएगी।

3.4 प्रशिक्षक के रूप में लाइन विभाग स्टाफ

लाइन विभाग के स्टाफ को सभी स्तरों पर, नामशः राष्ट्रीय या राज्य स्तर मुख्य कुशल व्यक्तियों अथवा क्षेत्र स्तर कुशल व्यक्तियों के स्तर पर प्रशिक्षण प्रणाली में समाविष्ट किया जा सकता है। प्रत्येक प्रशिक्षण बैच में अपेक्षित पांच कुशल व्यक्तियों में से कम से कम दो इस प्रकार की लाइन विभाग के कर्मचारी हो सकते हैं। ये कर्मचारी प्रशिक्षक प्रणाली में कुछ पूर्व जानकारी व प्रतिबद्धता के साथ आएंगे। यद्यपि, आदर्शतः इस प्रकार के व्यक्तियों को 2 मास के प्रवेश पाठ्यक्रम में भी डाला जा सकता है। अगर यह महसूस किया जाता है कि इन्हें प्रशिक्षण के लिए पूर्णकालिक रूप में नहीं छोड़ा जा सकता है तो ऐसे मामले में उन्हें कम

समय के प्रवेश पाठ्यक्रम (लगभग दो से तीन सप्ताह) में डाला जा सकता है तथा तब वे रिसोर्स टीम बैच में जा सकते हैं ।

इस प्रकार के क्षेत्रीय स्टाफ जो कुशल व्यक्ति दलों में काम करते हैं, के लिए अलग से मानदेय दिया जाएगा । इसका निर्धारण राज्यों द्वारा किए जाने की जरूरत है लागतों के परिकलन के मानकीकरण के प्रयोजन के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की लागत में मानदेय से संबंधित लागतों को भी जोड़ लिया जायेगा ।

3.5 कुशल व्यक्तियों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम :

कुशल व्यक्तियों के परस्पर विचार विमर्श के लिए वार्षिक वार्तालाप होना चाहिए। मुख्य कुशल व्यक्तियों के लिए बने पुनश्चर्या पाठ्यक्रम में वह राज्य जहां पंचायती राज संस्थाओं का अच्छा प्रदर्शन हुआ है, में प्रशिक्षकों को दौरा करना चाहिए।

अध्याय-4

प्रशिक्षण सामग्री का विकास

4.1 प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करने में मार्गदर्शन के सामान्य नियम।

प्रशिक्षण सामग्री अधिकतर व्याख्यात्मक होनी चाहिए। यह हमेशा स्थानीय भाषाओं खासकर आम बोलचाल की तथा सहज भाषा में होनी चाहिए। पारंपरिक संसाधनों का बहुलता से इस्तेमाल होना चाहिए। निचले स्तर के पदाधिकारियों के लिए सामग्री प्रश्न-उत्तर पद्धति की होनी चाहिए। ज्यादातर पूछे जाने वाले प्रश्नों, (काम करने अथवा न करने) और ज्यादातर इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली के एक विस्तृत शब्दसंग्रह को भी प्रशिक्षण सामग्री में शामिल किया जाना चाहिए। शपथ लेने के समय ही पंचायती राज संस्थानों के पदाधिकारियों को आसान भाषा में जनसंपर्क प्रणाली के आधारभूत जानकारी वाली एक पुस्तिका देनी चाहिए।

4.2 मुद्रित सामग्री :

इतने बड़े पैमाने पर होने वाले प्रशिक्षण कार्य के लिए भिन्न-भिन्न प्रकार के मुद्रित सामग्री को विकसित करने की आवश्यकता होगी जो कि देखने में आंखों को अच्छी लगे तथा चित्रांकित हो। मुद्रित सामग्री निम्न प्रकार की हो सकती है :

- (क) पंचायत के सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए संदर्भ पुस्तिका जो कि अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने की पद्धति में हो।
- (ख) चार्ट, दीवारों पर लगाए जा सकने वाले अखबार और पोस्टर जो कि पंचायती राज के विभिन्न पक्षों की जानकारी दे तथा इन्हें पंचायतों के कार्यालयों और अन्य जनसंपर्कों के स्थानों पर लगाया जा सके।
- (ग) हितधारकों के साथ-साथ आम आदमी के बीच बांटा जा सकने वाला समाचार पत्र।

4.3 फिल्म और प्रसारण सामग्री :

प्रशिक्षण के लिए फिल्म सामग्री का विकास करते हुए निम्न बिन्दुओं का ध्यान रखना चाहिए।

- (क) फिल्मों को बनाते समय ध्यान रखा जाए कि फिल्म नाटक, व्यक्ति के साक्षात्कार अथवा कार्यशाला विचार-विमर्श पर आधारित हो। चुनी हुई पंचायत के सदस्यों के अनुभवों, विचार-विमर्श, और भविष्य की योजनाओं के साथ अपनी ग्राम पंचायत को ध्यान में रखकर वह क्या कर सकते जैसे विषयों पर आधारित हो।
- (ग) लिंग भेद और जात-पात को समाप्त करने वाले विषयों पर आधारित हो।

जहां भी संभव हो, गैर-सरकारी संस्थाओं को फिल्म सामग्री के विकास में शामिल किया जा सकता है।

4.4 कार्यक्रम की परिकल्पना और प्रबंधन में पंचायत की भागीदारी :

प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपने स्वामित्व मान कर विकास करने की अनुभूति और प्रशिक्षण की क्रियाविधि और विषय-वस्तु की परिकल्पना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है । इसकी शुरुआत करने के लिए पंचायत के सदस्यों को उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन बोर्ड और टास्कफोर्स में उनका प्रतिनिधित्व देना होगा। इसके लिए पहले, प्रशिक्षित सदस्यों को क्षेत्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन द्वारा राज्यों में अथवा राज्यों के बाहर पंचायत के प्रतिनिधियों को और समक्ष प्रशिक्षण देने के लिए प्रोत्साहन और सहायता देनी चाहिए। हालांकि एक दीर्घकालिक तरीका ही यह सुनिश्चित कर पाएगा कि पंचायत सदस्यों का नेटवर्क प्रशिक्षण कार्यक्रम जो कि एक स्वयं प्रशिक्षण प्रणाली है के प्रबंधन को अपने हाथ में ले।

अध्याय-5

कार्यक्रम प्रबंधन, मूल्यांकन और प्रलेखन

- 5.1 प्रशिक्षण का मूल्यांकन उन संस्थानों द्वारा किया जाएगा जो प्रशिक्षण नहीं देते हैं। प्रशिक्षण संस्थानों का स्वयं मूल्यांकन करना होगा। आधारभूत ठांचे के क्रियान्वयन के मूल्यांकन और निगरानी की प्रक्रिया में दोनों शामिल होंगे।
- (क) परिमाणात्मक और परिमेय उत्पादन, गतिविधियों के संदर्भ में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन, उपस्थिति, महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों की उपस्थिति और भागीदारी रेडियो/फिल्मों का प्रयोग, सैटलाइट प्रशिक्षण का प्रयोग इत्यादि।
- (ख) परिणामों के संदर्भ में
- (i) पंचायतों को उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की गुणवत्ता खासकर ग्राम पंचायतों की अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के विषय में।
- (ii) पंचायत स्तर पर गतिविधियों के संचालन और सेवा देने की गुणवत्ता देने में आचार-व्यवहार में बदलाव और वृद्धि।
- 5.2 परिणामों की निगरानी**
- गुणात्मक मापदण्डों के विस्तृत विश्लेषण की तुलना में परिणामों के मूल्यांकन की जरूरत है। पंचायतों की शक्यता का किस सीमा तक उपयोग हो रहा है इसके निर्धारण को निम्नवत रूप में कुछ पहलुओं का मूल्यांकन किया जा सकता है:-
- (क) किस प्रकार प्रशिक्षण के द्वारा सामुदायिक भागीदारी में बढ़ोत्तरी हुई है खासकर ग्राम सभा, वार्ड सभा और सामाजिक लेखा-परीक्षा के संदर्भ में,
- (ख) किस प्रकार प्रशिक्षण द्वारा पंचायतों की स्थायी समिति के कार्यों पर प्रभाव पड़ा है।
- (ग) प्रशिक्षण द्वारा किस प्रकार के पदाधिकारियों, निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा लोगों के बीच भागीदारी को प्रेरणा मिल रही है।
- (घ) पंचायत एवं ग्रामसभा के निर्णय प्रक्रिया में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाने के लिए पंचायतों द्वारा किए गए का प्रयास।
- (ङ) प्रशिक्षण से डिजाइन और भागीदारी योजना पर किस तरह सुविधा हुई है ?
- (च) कार्यान्वयन प्रक्रिया विशेषकर सांविधिक प्रक्रिया के अनुपालन को शामिल करते हुए अनेक निर्णय लेना।
- (छ) दायित्व निर्वहन के संबंध में उत्तरदायित्व में सुधार करना।
- (ज) जन शिकायतों को दूर करना।
- (झ) ग्राम पंचायत की बैठकों में एवं इसके निर्णय प्रक्रिया में वार्ड सदस्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना।

(ण) ग्रामसभा सदस्यों के ग्राम पंचायत की निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाना।

5.3 प्रशिक्षण योजना प्रबंधन

स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए योजना प्रबंधन का विकेन्द्रीकरण करना चाहिए। नीचे सारणी 12 में दी गई प्रक्रिया अनुसार कार्यक्रम प्रबंधन के विशिष्ट पहलुओं को देखने के लिए विभिन्न उप-समितियां भी स्थापित की जा सकती है :-

सारणी 12 :

समिति का नाम	कर्तव्य
पाठ्यक्रम समिति	यह समिति प्रशिक्षण की विषय-वस्तु एवं प्रक्रिया समेत प्रशिक्षण डिजाइन के विकास के लिए जिम्मेदार होगी,। यह विकास, उत्पादन तथा प्रचार-प्रसार के लिए मुख्य तथा अनूपूरक पठन/प्रशिक्षण सामग्री भी अभिज्ञात कर सकती है।
निगरानी, विकास और प्रलेखीकरण समिति	यह समिति निगरानी विकास हेतु सूचकांक की पहचान करेगी। यह इस बात की भी पहचान करेगी कि विभिन्न स्तरों पर कौन सी उचित एजेंसी है जो प्रलेखीकरण और विकास के कार्यों को अपने हाथों में ले सकती है।
वित्तीय एवं लेखा-समिति	यह समिति प्रशिक्षण हेतु जारी धनराशि के प्रयोग की निगरानी करेगी तथा नियमित रूप से राशि जारी होने को सुनिश्चित करेगी। यह समय पर समुपयोजन प्रमाणपत्र को प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करेगी।

5.4 जिला स्तर पर पंचायतों के प्रशिक्षण सामग्री, अभिकल्प-विषय, मूल्यांकन फार्म तथा प्रशिक्षण उपरान्त कार्यनिष्पादन कार्य-कलापों के संबंध में पंचायत प्रतिनिधियों को अभिज्ञात समूह कुशल व्यक्तियों गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ मिल कर कार्य करेगा।

अध्याय –6

आधारभूत ढांचे के कार्यान्वयन की लागत का आकलन

6.1 जब हम क्षमता निर्माण की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं तब इसके मूल्यजनित आकड़े के निर्धारण हेतु बहुत सारे पहलुओं पर ध्यान केन्द्रित करना पड़ता है। ढांचागत प्रयोग का मूल्य पूंजी और राजस्व से जुड़ा है। पूंजीगत मूल्य का प्रक्रिया के शुरुआत के प्रथम वर्ष में ही निवेश करना चाहिए। प्रशिक्षण प्रक्रिया को लगातार सुधार एवं शुद्धता की तरफ अग्रसर होना चाहिए। योजना लागू करने के उद्देश्य से प्रथम वर्ष प्रशिक्षण के दौरान ही सभी धारकों को कुछ न कुछ तकनीकी ज्ञान अवश्य देना चाहिए। प्रथम वर्ष के अनुभव से लाभ उठाते हुए दूसरे वर्ष प्रशिक्षण स्तर को और बेहतर बनाया जा सकता है। नमूना प्रशिक्षण समूह तथा प्रशिक्षण रणनीति आदि में बदलाव के साथ मूल्यगत ढांचे में भी परिवर्तन आ जाता है। कुछ मूल्य प्रत्येक वर्ष बढ़ जाता है जैसे माडल तथा दृश्य-मुख्य सामग्री। प्रस्ताव है कि इनका भुगतान प्रथम वर्ष ही होना चाहिए। उपर्युक्त कारणों से प्रशिक्षण की लागत राजस्व मूल्य प्रथम वर्ष की तुलना में अनुवर्ती वर्षों से अलग होगा। घटकों जिनकी लागत का आकलन किया गया है का वर्णन नीचे सारणी 13 में दिया गया है: –

सारणी 13

पूंजीगत लागत मूल्य जो कि प्रथमवर्ष में निवेश किया जाना है।	राजस्व लागत	
	प्रथम वर्ष में ली जाने वाली मर्दे	वार्षिक मर्दे, दूसरे वर्ष तथा इससे आगे
	स्रोत युक्त व्यक्ति के लिए प्रवेश पाठ्यक्रम	संदर्भ कार्यक्रम स्रोतयुक्त व्यक्ति के लिए
सेटलाइट प्रशिक्षण सुविधा		
पंचायतों में कम्प्यूटर हार्डवेयर की व्यवस्था करना	1(क) बुनियादी पाठ्यक्रम	।।।(ई) वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम
मध्यम स्तरीय पंचायत स्तरीय स्रोत केन्द्र	1(ख) आधारभूत क्रियात्मक पाठ्यक्रम	।।।(ए) अभिज्ञात आदर्श पंचायतों का दौरा करना
NIRD को मजबूत करना	।।(ग) क्रियात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम	।।।(आई)ग्रामसभा स्तर पर अभियान

SIRD को मजबूत करना	॥(क) क्षेत्रवार संकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यक्रम	॥॥(1) प्रमाणपत्र आधारित पाठ्यक्रम
	(॥॥)(घ) निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के मध्य नेटवर्क का गठन	परिणामों का प्रबोधन
	(॥॥)(ब) आई सी टी प्रतिभा का निर्माण	कार्रवाई अनुसंधान
	फिल्म और इलेक्ट्रानिक सामग्री	
	मुद्रित सामग्री	
	प्रथम वर्ष तथा बाद में सामान्य मर्दे	
	॥॥ (बी) पंचायत राज टीवी चैनल और रेडियो प्रोग्राम	
	॥॥ (सी) पंचायत राज समाचार पत्र	
	॥॥ (जी) माध्यमिक पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र	
	॥॥ (एच) हेल्प लाइन	
	प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंधन	

6.2 पूंजीगत लागत के संदर्भ में निगमित लागतों को सारणी 14 में दी गयी है।

सारणी 14 –पूंजीगत लागत

सारणी 14 (ए-2) सेटलाइट प्रशिक्षण हेतु पूंजीगत लागत :

मद	प्रति यूनिट मूल्य (₹0 करोड़)	यूनिट संख्या	यूनिट स्तर	कुल लागत
सेटलाइट स्टूडियो	5		राज्य	
सेटलाइट ग्रहण स्टेशन	0.007		प्रत्येक माध्यमिक पंचायत स्तर पर	
विविध सिविल कार्य विद्युतीकरण, प्रशिक्षण हाल आदि)				
कुल				

सारिणी 14 (बी)

पंचायतों में कम्प्यूटर हार्डवेयर लगाने की लागत

मद	प्रति यूनिट लागत (रु० करोड़)	यूनिट संख्या	यूनिट स्तर	कुल लागत (करोड़ में)
कम्प्यूटर हार्डवेयर	50,000		प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक	

सारिणी 14 (सी)

प्रशिक्षण ढांचे को मजबूत करने में पूंजीगत लागत

मद	प्रति यूनिट लागत (रु० लाख में)	यूनिट संख्या	यूनिट स्तर	कुल लागत (करोड़ में)
मध्यवर्ती पंचायत स्तर संसाधन केन्द्र	10		प्रत्येक मध्यवर्ती पंचायत स्तर पर	
एस आई आर डी को मजबूत करना	100		एक प्रति राज्य	

सारिणी 15

मद	कुल लागत (करोड़ में)
सेटलाइट प्रशिक्षण (विकल्प)	
कम्प्यूटर हार्डवेयर	
माध्यमिक पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र एस आई आर डी को मजबूत करना	
जोड़	

आधारभूत ढांचे के कारण पूंजीगत निवेश में विभिन्नता देखी जा सकती है जैसेकि, प्रशिक्षण केन्द्रों का विस्तार, सेटलाइट प्रशिक्षण सुविधा आदि, जो कि पहले से ही राज्यों में विद्यमान हैं।

6.3 राजस्व खर्च

6.31 राजस्व व्यय प्रत्येक वर्ष कार्यान्वित कार्यक्रमों के निम्न पर निर्भर करते हुए हर वर्ष अलग अलग होगा।

6.32 प्रथम वर्ष की लागत का परिकलन नीचे दिए गए मेट्रिक्स के आधार पर किया जा सकता है

सारिणी 16

क्रम सं०	मद	संख्या	परिकलन का आधार	कुल राशि (करोड़ में)
1.	मास्टर स्रोत व्यक्ति के लिए परिचय कोर्स		1000 रु. प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी की दर पर 60 दिवसीय कोर्स (सभी खर्च सहित)	
2.	1 (क) आधारभूत पाठ्यक्रम		22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं 8 लाख कर्मचारियों के लिए 150 रु. खर्च की दर पर 4 दिवसीय कोर्स	
3	1 (ख) आधारभूत कार्यात्मक पाठ्यक्रम		10 लाख निर्वाचित पदधारी और समितियों के अध्यक्षों तथा 5 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए 150 रु. प्रतिदिन खर्च की दर पर चार दिवसीय कोर्स	
4.	II (ग) कार्यात्मक साक्षरता पाठ्यक्रम		8 लाख निरक्षर व्यक्तियों के लिए 1000 रु. प्रति निरक्षर व्यक्ति की दर पर एक मुश्त अनुदान	
5.	II (क) विशेष क्षेत्र आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम		22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों तथा 8 लाख कर्मचारियों के लिए 150/- रु. प्रति दिन की दर पर 4 दिवसीय पाठ्यक्रम	
6.	III (घ) पंचायत निर्वाचित प्रतिनिधि हेतु नेटवर्क का गठन		प्रत्येक राज्य के लिए 2 लाख रु. की लागत पूंजी के साथ शुरुआत	
7.	II (ख)आई सी टी निपुणता का निर्माण		पांच लाख व्यक्तियों हेतु 2000/- प्रति व्यक्ति की दर से नियोजित	
8.	फिल्म तथा इलेक्ट्रानिक सामग्री		आधा घंटे की फिल्म पर 10 लाख रूपये	
9.	प्रिंट सामग्री		एक मुश्त आबंटन	
10	III (ख) पंचायत राज टीवी चैनल और रेडियो प्रोग्राम		एक मुश्त आबंटन	

11	।।।(ग) पंचायती राज समाचार पत्र		प्रत्येक मास प्रति पंचायत 5 प्रतियां अर्थात् 60 प्रतियां प्रतिवर्ष प्रत्येक पंचायत 10/- रु प्रति समाचार पत्र की दर पर	
12	।।। (जी) माध्यामिक पंचायत स्तरीय संसाधन केन्द्र		प्रत्येक संसाधन केन्द्र के लिए एक मुश्त 3 लाख रुपये का आबंटन	
12	।।।(एच) हेल्प लाइन्स		1 करोड़ रु. प्रति राज्य का एक मुश्त आबंटन	
14	प्रशिक्षण योजना प्रबंधन		कुल राजस्व लागत का 1 प्रतिशत	
	कुल			

6.33 दूसरे वर्ष तथा इससे आगे की अवधि के लिए प्रत्येक वर्ष के संबंध में परिकलन नीचे सारणी 17 में दिए गए मेट्रिक्स के अनुसार किया जा सकता है:-

सारणी 17:

क्र.स.	मद	संख्या	परिकलन का आधार	कुल राशि (करोड़ में)
1.	स्रोतयुक्त व्यक्ति के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम		200 रु. प्रतिदिन प्रति प्रतिभागी की दर पर 4 दिन का पाठ्यक्रम (सभी लागत सहित)	
2.	।।। (ई) वार्षिक पुनश्चर्या पाठ्यक्रम		22 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए 150 रु. प्रतिदिन की दर पर 4 दिवसीय पाठ्यक्रम	
3.	।।।(एफ) अभिज्ञात आदर्श पंचायतों का दौरा।		10 लाख निर्वाचित पदधारकों और समितियों के अध्यक्षों के लिए को 150 रु. के प्रतिदिन के हिसाब से 2 दिवसीय पाठ्यक्रम	
4.	।।।(ए) ग्रामसभा स्तरीय अभियान		एक मुश्त 5 लाख रु. का प्रति जिला अनुदान	
5.	।।।(आई) प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम		प्रतिवर्ष 100 व्यक्तियों के लिए 10000/- रु. प्रति पाठ्यक्रम की दर पर	

10.	।।।(बी) पंचायत राज टीवी चैनल और रेडियो प्रोग्राम		एक मुश्त आबंटन	
11.	।।।(सी) पंचायत राज समाचार पत्र		प्रति पंचायत के हिसाब से अर्थात 60 प्रतियां प्रतिवर्ष प्रति पंचायत 10 रू. प्रति समाचार पत्र की दर पर	
12	।।।(जी) माध्यामिक स्तरीय पंचायत संसाधन केन्द्र		एकमुश्त 3 लाख रू. प्रति केन्द्र को आबंटन	
13	।।।(एच) हेल्प लाइन्स		एकमुश्त 1 करोड़ रू. प्रति राज्य का आबंटन	
	परिणाम की निगरानी		एक मुश्त आबंटन	
	क्रियाकलाप अन्वेषण		एक मुश्त आबंटन	
14.	प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रबंधन जोड़		प्रथम वर्ष की खर्च लागत को बनाए रखना	

6.4 “प्रत्येक राज्य के लिए विस्तृत प्रक्षेपण:

प्रत्येक राज्य आधारभूत ढांचे के प्रत्येक पहलू के कार्यान्वयन को समाविष्ट करते हुए एक परियोजना रिपोर्ट तैयार करेगा । राज्य विशिष्ट संरचना कार्यान्वयन परियोजना दस्तावेज को तैयार करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा तकनीकी सहयोग उपलब्ध करवाया जाएगा । राज्य विशिष्ट परियोजनाएं इसी कमबद्ध पाठ्यक्रमों एवं कार्यकलापों का अनुसरण करेंगी । तथापि, पंचायतों को हस्तांतरण की सीमा के आधार पर कुछ मामलों पर प्रशिक्षण के लिए निर्धारित दिनों में भिन्नता हो सकती है । इसी प्रकार, राज्य जिनके पास वर्तमान में सेटलाइट प्रशिक्षण सुविधाएं नहीं हैं, उनमें प्रशिक्षण का प्रपाती तंत्र अपनाया जाए और एक डिस्टेंस ट्रेनिंग नेटवर्क स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने को प्रयास जारी रहना चाहिए । राज्य-वार परियोजनाएं प्रशिक्षण के लिए पहले से उपलब्ध सुविधाओं की गणना करेंगी ताकि केवल अभिवृद्ध आवश्यकताओं की ही पूर्ति की जानी होगी । इन सभी मामलों की एक राज्य-वार आवश्यकता निर्धारण में लिया जाएगा जो राज्य विशिष्ट संरचना अभिकल्प का एक अभिन्न अंग होगा ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास के लिए उद्दिष्ट निधियों की सूची

1. सामुदायिक हाल
2. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति बच्चों के लिए इन्टरमीडिएट आवासीय कालेज/हास्टल
- 3- आई. टी. आई.
4. ग्रामीण खेलमैदान
5. प्रख्यात गैरसरकारी संगठनों जिनके पास लड़कियों के लिए सेकेन्ड्री स्कूल/कालेज स्थापित करने के लिए भूमि है, को एक समय का अवलंबन (लगभग 20 लाख रूपये)
6. 20 छोटे/सीमांत अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के किसानों के स्व सहायता समूह के लिए ट्राली सहित ट्रैक्टर तथा कृषि यंत्र
7. कम्प्यूटर, मोबाइल फोन की मरम्मत, ड्राइविंग आदि जैसे क्षेत्रों में शिक्षित युवाओं का प्रशिक्षण
8. अर्धसैनिक तथा अन्य सुरक्षा बलों के लिए भर्ती से पूर्व प्रशिक्षण
9. दुकानों का निर्माण तथा आबंटन आदि ।